सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

उद्योग विभाग

# कार्यालय आयुक्त उद्योग
# एवं
# शासन सचिव, कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर), राजस्थान, जयपुर

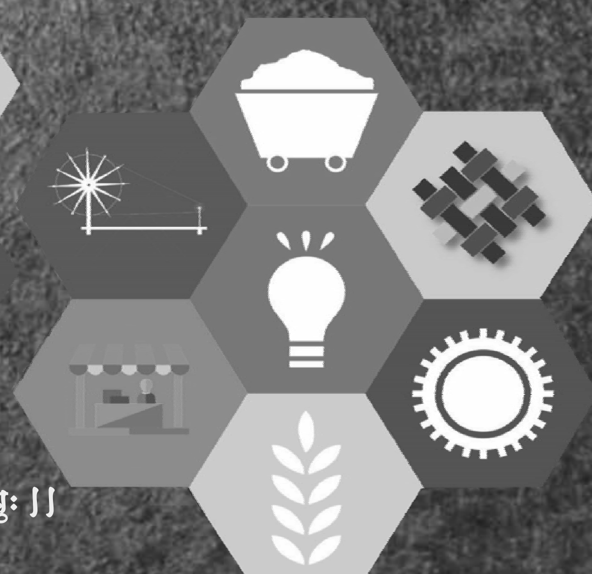

।। नास्ति उद्यमः समो बंधुः ।।

# प्रगति प्रतिवेदन
## 2019-2020

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर 302 005

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

# उद्योग विभाग

कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर), राजस्थान, जयपुर

# प्रगति प्रतिवेदन
# वर्ष 2019–2020

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर–**302005**

अनुक्रमणिका


| *क्र. सं.* | *विवरण* | *पृष्ठ संख्या* |
|---|---|---|
| | *भाग– 1*<br>**उद्योग विभाग : सामान्य परिचय व कार्यों का संक्षिप्त विवरण** | 1 |
| 1 | उद्योग विभाग का सामान्य परिचय व कार्यों का संक्षिप्त विवरण | 1 |
| 2 | उद्योग विभाग की शासन स्तर पर सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था | 6 |
| 3 | कारपोरेट एवं सामाजिक दायित्व (सीएसआर) | 9 |
| 4 | बाट व माप (विधिक माप विज्ञान) | 12 |
| | *भाग– 2*<br>**उद्योग विभाग के नियमित कार्य एवं सामान्य योजनाएँ** | 14 |
| 1 | **उद्योग पंजीयन संबंधी कार्य** | 14 |
| (i) | सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के स्थापनार्थ **उद्योग आधार (UAM)** जारी करना | 14 |
| (ii) | वृहद उद्योगों के स्थापनार्थ **औद्योगिक उद्यमिता ज्ञापन/पावती (IEM)** जारी करना | 14 |
| (iii) | भागीदारी फर्मों का पंजीयन<br>(भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 एवं राजस्थान भागीदारी नियम, 2017 के अन्तर्गत) | 15 |
| (iv) | नॉन ट्रेडिंग कम्पनीज का पंजीयन<br>(नॉन ट्रेडिंग कम्पनीज एक्ट, 1960 एवं राजस्थान नॉन ट्रेडिंग कम्पनीज नियम, 1962 के अन्तर्गत) | 16 |
| 2 | **उद्योगों हेतु प्रक्रिया सरलीकरण** | 16 |
| (i) | उद्यम स्थापित करने की प्रक्रियाओं का सरलीकरण | 16 |
| (ii) | एकल खिड़की योजना<br>(राजस्थान एन्टरप्राईजेज सिंगल विण्डो एनेबलिंग एण्ड क्लीयरेन्स अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत) | 17 |
| (iii) | उद्यमों का विलंबित भुगतान निस्तारण<br>(राजस्थान सूक्ष्म लघु उद्यम सुविधा परिषद के माध्यम से) | 17 |
| 3 | **उद्योगों हेतु आधारभूत संरचना विकास, सामान्य राजकीय सहायता, प्रोत्साहन, पुरस्कार, प्रदर्शनी व शिविर** | 20 |
| (i) | राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2019 | 20 |
| (ii) | क्लस्टर विकास योजना – राज्य सरकार व भारत सरकार | 22 |
| (iii) | राजस्थान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम सहायता योजना 2015 | 23 |
| (iv) | राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना–2014 | 24 |
| (v) | राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना–2019 | 26 |
| (vi) | राजस्थान सूक्ष्म,लघु व मध्यम उद्यम (फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेन्ट एण्ड ऑपरेशन) अधिनियम 2019 | 28 |

| | | |
|---|---|---|
| (vii) | राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को विपणन (मार्केटिंग) प्रोत्साहन | 28 |
| (viii) | राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार<br>**(राजस्थान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम दिवस पर)** | 30 |
| (ix) | उद्योगों हेतु मेले, प्रदर्शनी व हाट व्यवस्था<br>**(उद्यम प्रोत्साहन संस्थान तथा शहरी एवं ग्रामीण हाट के माध्यम से)** | 31 |
| (x) | औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर | 33 |
| (xi) | राजकीय उपापन में राज्य के उद्यमों को मूल्य आरक्षण एवं क्रय वरीयता | 34 |
| 4 | **उद्योग विभाग से संबंधित अन्य कार्य एवं संस्थान** | 34 |
| (i) | ऋण ब्याज वसूली | 34 |
| (ii) | जिला उद्योग केन्द्रों में नये निर्माण/नवीनीकरण कार्य | 36 |
| | *भाग– 3*<br>**उद्योग विभाग प्रमुख विशिष्ट योजनाएँ** | 37 |
| 1 | **सामान्य स्वरोजगार योजनाएँ** | 37 |
| | (i) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम | 37 |
| | (ii) भामाशाह रोजगार सृजन योजना | 38 |
| | (iii) मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना | 38 |
| | (iv) मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना | 38 |
| 2 | **हस्तशिल्प एवं संबंधित विकास योजनाएँ** | 40 |
| क | राज्य में हस्तशिल्प : वस्तुस्थिति व सम्भावना – विकास, सम्भावना व हस्तशिल्प उत्पादों का निर्यात | 40 |
| ख | हस्तशिल्प विकास योजनाएँ | 41 |
| | (i) हस्तशिल्पी (आर्टीजन) परिचय पत्र | 41 |
| | (ii) ब्याज अनुदान योजना | 42 |
| | (iii) शिल्पियों हेतु बाजार सहायता योजना | 42 |
| 3 | **हाथकरघा (Handloom) विकास योजनाएँ** | 43 |
| क | हाथकरघा उद्योग : वस्तुस्थिति व सम्भावना | 43 |
| ख | हाथकरघा उद्योग से सम्बन्धित योजनाएँ | 46 |
| | (i) महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना | 46 |
| | (ii) उत्पाद विविधीकरण योजना | 48 |
| | (iii) बुनकर पुरस्कार योजना | 48 |

| | | |
|---|---|---|
| 4 | **कपड़ा (TEXTILE) उद्योग व उससे सम्बन्धित योजनाएँ** | 49 |
| क | कपड़ा उद्योग : वस्तुस्थिति व सम्भावना | 49 |
| ख | कपड़ा उद्योग से सम्बन्धित योजनाएँ | 50 |
| | (i) एकीकृत कौशल विकास योजना | 50 |
| | (ii) एकीकृत प्रोसेसिंग विकास योजना | 50 |
| | (iii) टैक्सटाईल पार्क योजना | 51 |
| 5 | **चर्म उद्योग व उससे सम्बन्धित योजनाएँ** | 52 |
| क | चर्म उद्योग : वस्तुस्थिति व सम्भावना | 52 |
| ख | चर्म उद्योग से सम्बन्धित योजनाएँ | 53 |
| | (i) चर्म प्रशिक्षण | 53 |
| | (ii) राजस्थान चर्म शिल्प विकास एवं आधुनिकीकरण योजना, 2012 | 54 |
| 6 | **नमक उद्योग व उससे सम्बन्धित योजनाएँ** | 55 |
| क | लवण उद्योग : वस्तुस्थिति व सम्भावना– लवण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विवरण, लवण क्षेत्रों में सर्वेक्षण एवं सीमांकन | 55 |
| ख | लवण उद्योग से सम्बन्धित योजनाएँ | 57 |
| | (i) लवण श्रमिक कल्याण योजना | 57 |
| 7 | **निर्यात व निर्यात सम्बन्धी योजनाएँ** | 58 |
| क | **निर्यात : वस्तुस्थिति व सम्भावना–** राज्य से किये जा रहे निर्यात, सेक्टर वाईज निर्यात वर्ष 2017–18 | 58 |
| ख | **निर्यात से सम्बन्धित योजनाएँ** | 60 |
| | (i) अन्तर्राष्ट्रीय विदेशी व्यापार मेलों में भाग लेने पर सहायता योजना | 60 |
| | (ii) निर्यात प्रोत्साहन प्रक्रिया एवं दस्तावेजीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम | 60 |
| | (iii) राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना | 60 |
| | (iv) राज्य निर्यात पुरस्कार योजना 2019 | 61 |
| 8 | **अल्पसंख्यक कल्याण योजना (15 सूत्रीय कार्यक्रम)** | 67 |
| 9 | **उद्योग विभाग से संबंधित अन्य प्रमुख संस्थान व कार्य** | 67 |
| | (i) राष्ट्रीय फैशन तकनीकी संस्थान (NIFT) | 67 |

| | | |
|---|---|---|
| | (ii) सिरेमिक परीक्षण प्रयोगशाला, बीकानेर | 67 |
| | (iii) सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी (सिपेट-CIPET) | 69 |
| | (iv) ब्रह्मगुप्त अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, जोधपुर | 71 |
| | (v) एस्पायर योजना (ASPIRE) | 72 |
| | *भाग– 4*<br>**परिशिष्ट** | 73 |
| 1. | परिशिष्ट–1 स्वीकृत पदों का विवरण | 73 |
| 2. | परिशिष्ट–2 बजट (वर्ष 2016–17, 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20) | 76 |
| 3. | परिशिष्ट –3 विभागीय योजनाओं की प्रगति (वर्ष 2016–17, 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20) | 77 |
| 4. | परिशिष्ट –4 प्रमुख कार्यक्रमों में जिला उद्योग केन्द्रवार लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ (वर्ष 2016–17) | 78 |
| 5. | परिशिष्ट –5 प्रमुख कार्यक्रमों में जिला उद्योग केन्द्रवार लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ (वर्ष 2017–18) | 79 |
| 6. | परिशिष्ट –6 प्रमुख कार्यक्रमों में जिला उद्योग केन्द्रवार लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ (वर्ष 2018–19) | 80 |
| 7. | परिशिष्ट–7 प्रमुख कार्यक्रमों में जिला उद्योग केन्द्रवार लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ<br>(वर्ष 2019–20 ––माह दिसम्बर, 2019 तक) | 81 |
| 8. | परिशिष्ट–8 दो अंकीय कोड वार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई उद्योग)<br>(2007–08 से 2018–19 तक) | 82 |
| 9. | परिशिष्ट–9 वृहद् एवं मध्यम उद्योगों की जिलेवार तालिका | 88 |
| 10. | परिशिष्ट–10 उद्योग विभाग मुख्यालयों के अधिकारियों की सूची | 90 |
| 11. | परिशिष्ट–11 जिला उद्योग केन्द्रों के नाम एवं स्थान की सूची | 93 |

# कार्यालय आयुक्त उद्योग, राजस्थान

# प्रगति प्रतिवेदन
# वर्ष 2019–2020
## (दिसम्बर, 2019 तक)

## भाग–1

# उद्योग विभाग : सामान्य परिचय व कार्यों का संक्षिप्त विवरण

## (1) उद्योग विभाग : सामान्य परिचय व कार्यों का संक्षिप्त विवरण

राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। किसी भी राज्य के आर्थिक विकास में अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्रों कृषि, उद्योग एवं सेवा में से उद्योग क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राज्य के औद्योगिक वातावरण का विकास स्थानीय संसाधनों के अधिकतम उपयोग, परम्परागत दस्तकारों के कौशल, उत्पादकता में सुधार, बुनियादी ढाँचे के लिए समुचित प्रावधान, राज्य में उद्यमियों को निवेश हेतु आकर्षित करने हेतु दीर्घकालीन राजकोषीय एवं निवेश प्रोत्साहन नीति के साथ उद्योगों को वित्तीय सहायता पर निर्भर है। तीव्र औद्योगीकरण के लिए राज्य में आधारभूत संरचना के साथ राज्य सरकार की सहायता, सहयोग एवं मार्गदर्शन की महती आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के दृष्टिगत राज्य में उद्योग, हस्तशिल्प, हाथकरघा तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्यमों के द्रुतगति से विकास करने इन्हें मार्गदर्शन एवं आवश्यक सहायता व सुविधाएँ प्रदान करने हेतु कार्यालय आयुक्त, उद्योग विभाग कार्यरत है।

आयुक्त उद्योग विभाग द्वारा मुख्य रुप से राज्य में लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को प्रोत्साहन, इनके उत्पादों के विपणन में सहायता, क्लस्टर विकास, नमक क्षेत्रों का विकास, हस्तशिल्पियों कारीगरों व दस्तकारों का विकास, हथकरघा विकास आदि कार्य किया जाता है। राजस्थान को इको सिस्टम के साथ भारत में सबसे पंसदीदा निवेश गंतव्य के रूप में उभारने हेतु समावेशी, संतुलित, सतत् एवं पर्यावरण अनुकूल औद्योगिक विकास करने, आधारभूत ढांचा सृजित करने, रोजगार के अवसर सृजित करने, संतुलित क्षेत्रीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से **राजस्थान औद्योगिक विकास नीति, 2019** दिनांक 19.12.2019 को जारी की गई है। राजस्थान में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा **राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना–2019** दिनांक 17.12.2019 से लागू की गई है।

राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों के विलम्बित भुगतान के प्रकरणों में सुनवाई कर, उनका समयबद्व निस्तारण हेतु दिनांक 08.08.2019 को **4 सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषदो** का गठन किया गया। राज्य में निर्यात प्रोत्साहन हेतु "**राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद**" का गठन 08.11.2019 एवं "**राजस्थान निर्यात संवर्धन समन्वय परिषद**" का गठन 25.10.2019 किया गया।

पूर्व में उपभोक्ता हितों के संरक्षण की दृष्टि से सही माप व तौल की सुनिश्चित करने हेतु बाट व माप अधिनियम का क्रियान्वयन आदि कार्य उद्योग विभाग के अधीन ही सम्पादित किये जा रहे थे, किन्तु राज्य सरकार की बजट घोषणा के तहत 30 सितम्बर, 2016 से बाट व माप अधिनियम संबंधी कार्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, विधिक माप विज्ञान एवं उपभोक्ता मामलात विभाग को हस्तान्तरित कर दिया गया है।

विभाग द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना (दिनांक 13.12.2019 से लागू) के माध्यम से कम ब्याज दर पर **व्यापार, सेवा एवं विनिर्माण क्षेत्र** के उद्योगों की स्थापना हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा स्वरोजगार हेतु क्षमता में वृद्धि के लिए तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने, परम्परागत हस्तशिल्प, दस्तकारी, शिल्पकारी एवं हाथकरघा आदि हुनरों को जीवन्त रखकर प्रोत्साहित करने तथा इनमें आधुनिकता के सम्मिश्रण हेतु विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण एवं सहायता उपलब्ध कराने का कार्य भी किया जा रहा है।

नवीन सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम उद्यमों की सरल स्थापना हेतु उद्यमों को प्रारम्भिक 3 वर्षों में राज्य के विभिन्न एक्ट्स के अधीन दी जाने वाली स्वीकृतियों एवं सम्बन्धित निरीक्षणों से मुक्त करने हेतु **राजस्थान सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम (फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेन्ट एण्ड ऑपरेशन) अध्यादेश, 2019** दिनांक 04.03.2019 को तथा अधिनियम के रूप में दिनांक 17.07.2019 को अधिसूचित किया गया है।

इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत आयुक्त, उद्योग विभाग राज्य में भागीदारी फर्मों के पंजीयन हेतु रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स का कार्य भी सम्पादित करता है। सभी महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र सहायक रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के रुप में कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा नॉन ट्रेडिंग कम्पनीज एक्ट, 1960 एवं राजस्थान नॉन ट्रेडिंग कम्पनीज नियम, 1962 के अन्तर्गत नॉन ट्रेडिंग कम्पनीज का पंजीयन का कार्य भी किया जाता है। राज्य में 18.09.2015 से उद्यमिता ज्ञापनों की जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी की जाने वाली अभिस्वीकृतियों के स्थान पर भारत सरकार द्वारा उद्योग आधार अभिज्ञापन जारी करने की व्यवस्था ऑनलाइन की गई है।

विभाग द्वारा राज्य में न केवल रोजगार के अवसरों में वृद्धि के लिए नये उद्यमियों को उद्योग स्थापना हेतु मुख्यालय एवं जिला स्तर पर स्थापित औद्योगिक मार्गदर्शन ब्यूरो के माध्यम से सभी प्रकार का मार्गदर्शन एवं परामर्श दिया जाता है, बल्कि अन्य विभागों से समन्वय कर अनापत्ति/सहमति की सुविधा भी उपलब्ध करवायी जा रही है। जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से उद्यमियों को राज्य में उद्योग स्थापित करने हेतु मार्गदर्शन, सहायता एवं सुविधाएँ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाती है।

वर्तमान में राज्य में 36 जिला उद्योग केन्द्र एवं 8 उपकेन्द्र ब्यावर, फालना, आबूरोड, बालोतरा, मकराना, किशनगढ़, नीमराना एवं सुजानगढ़ कार्यरत हैं।

## उद्योग विभाग के प्रमुख कार्य

| क.सं. | प्रमुख कार्य |
|---|---|
| 1. | राज्य में उद्योग संवर्धन में नोडल विभाग की भूमिका निभाना |
| 2. | राज्य के औद्योगिक वातावरण का विकास स्थानीय संसाधनों के अधिकतम उपयोग, परम्परागत दस्तकारों के कौशल, उत्पादकता में सुधार, बुनियादी ढॉचे के लिए समुचित प्रावधान हेतु आवश्यक कार्यवाही करना एंवं नीति बनाना |
| 3. | राज्य में उद्यमियों को निवेश हेतु आकर्षित करने हेतु दीर्घकालीन राजकोषीय एवं निवेश प्रोत्साहन नीति निर्माण में सहयोग करना |
| 4. | उद्यमिता एंव रोजगार हेतु विभिन्न राजकीय योजनाओं का संचालन करना |
| 5. | हस्तशिल्प, हाथकरघा तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्यमों का विकास करना |
| 6. | हस्तशिल्पियों, कारीगरों व दस्तकारों की समस्याओं का निवारण करते हुए उनका विकास करना |
| 7. | इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत आयुक्त, उद्योग विभाग राज्य में भागीदारी फर्मों के पंजीयन हेतु रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स का कार्य सम्पादित करना<br>नॉन ट्रेडिंग कम्पनीज एक्ट, 1960 एवं राजस्थान नॉन ट्रेडिंग कम्पनीज नियम, 1962 के अन्तर्गत नॉन ट्रेडिंग कम्पनीज का पंजीयन करना |
| 8. | उत्पादों के विपणन में सहायता करना, इस हेतु मेला, शिविर, संगोष्ठी, सेमिनार कार्यशाला आदि का आयोजन करना |
| 9. | औद्योगीकरण के लिए राज्य में आधारभूत संरचना के विकास में सहयोग प्रदान करना, उद्योगों के लिए उनके समुचित क्लस्टर विकास हेतु कार्यवाही करना |
| 10. | उद्योगों से संबंधित समस्याओं और औद्योगीकरण में आने वाली बाधाओं के निराकरण में समन्वयकारी भूमिका निभाना |

## राज्य में उद्योगों की वर्तमान स्थिति (अनुमानित स्थिति 31.03.2019 तक)

| क.सं. | उद्योग की श्रेणी | संख्या | निवेश राशि (करोड़ रू.) | रोजगार की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 1. | वृहद उद्योग | 390 | 132269.20 | 200764 |
| 2. | मध्यम उद्योग | 254 | 46106.85 | 25597 |
| | **योग** | **644** | **178376.05** | **226361** |

**नोटः–** राज्य में आदिनांक तक (दिसम्बर, 2019 तक) कुल लगभग 8.66 लाख सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम पंजीकृत हैं, जिनमें लगभग 78500 करोड़ रू. से अधिक की राशि का निवेश हो चुका है और 40 लाख से अधिक लोगों को रोजगार का अवसर प्राप्त हुआ है।

**उद्योग स्थापना व संचालन से जुड़े विभिन्न चरण व उद्योग विभाग के कार्य**

वस्तुतः उद्योग स्थापना से लेकर उसके संचालन तक अनेक चरणों में अनेक स्तरों पर सहयोग एवं मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ सकती है, जिनका सामान्य विवरण निम्नानुसार है:—

| क.सं. | कार्य | उद्योग विभाग के कार्य |
|---|---|---|
| 1. | उद्योग का पंजीयन | इसमें सूक्ष्म, लधु एवं मध्यम उद्यमों को उद्योग आधार अनुज्ञापन ऑनलाईन जारी करने का प्रावधान है। साथ ही **इंडियन पार्टनरशिप एक्ट** एवं **नॉन ट्रेडिंग कम्पनीज एक्ट** में भी पंजीयन किया जाता है। |
| 2. | उद्योग हेतु भूमि आवंटन | यह कार्य मुख्यतः रीको क्षेत्र में रीको द्वारा किया जाता है। अन्य क्षेत्र में भूमि आरक्षित होने पर उस क्षेत्र में भू–खण्ड आवंटन जिला कलक्टर/आयुक्त उद्योग द्वारा किया जाता है। |
| 3. | उद्योग हेतु ऋण वितरण | इसमें रोजगार सृजन व उद्योग संचालन हेतु विभिन्न योजनाएं चलाई जाती है। इसमें विभिन्न प्रकार के अनुदान व सहायता दी जाती है। |
| 4. | उद्योग हेतु प्रशिक्षण | इसमें मुख्यतः हस्तशिल्प/हाथकरघा, चर्म उद्योग आदि के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते है। |
| 5. | उद्योग हेतु विपणन | उद्योग विभाग इसके लिए उद्योग प्रोत्साहन संस्थान विभिन्न मेले व प्रदर्शनियां आयोजित करता है। अन्तरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेने हेतु निर्यातकों को प्रोत्साहित करने के लिए ग्राउंड रेन्ट सब्सीडी दी जाती है। |

**उद्योग को प्रारम्भ करने के लिए उद्योग के पंजीयन अथवा ज्ञापन प्राप्त के आधार पर आदि प्राप्त करने से संबंधित महत्वपूर्ण नियम/अधिनियम व प्रावधान**

सामान्य तौर पर किसी उद्योग को प्रारम्भ करने के लिए उद्योग के पंजीयन की आवश्यकता नहीं होती, किन्तु उसमें नियोजित होने वाले श्रमिकों, प्रयुक्त होने वाली मशीनरी एवं उत्सर्जित होने वाले प्रदूषण के नियन्त्रण के लिए विभिन्न विभागों के अन्तर्गत संबंधित नियम/अधिनियम पंजीयन कराने अथवा अनापत्ति/प्रमाणपत्र का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त किसी उद्योग के संचालन हेतु अनेक विभागों की सेवाओं या सुविधाओं की आवश्यकता होती है, जिसमें उनके द्वारा यथा अपेक्षित उद्योग के पंजीयन क्रमांक की मांग की जाती है। ऐसी स्थिति में सुविधा हेतु कोई उद्यमी उद्योग का पंजीयन अपने अनुरूप नियम या अधिनियम के अन्तर्गत करा सकता है। भारत सरकार की वेबसाइट https://udyogaadhaar.gov.in/ पर जा कर कोई अपने लघु, सूक्ष्म या मध्यम उद्योग के लिए **उद्योग**

**आधार ज्ञापन** (UAM) प्रस्तुत कर तत्काल निशुल्क **उद्योग आधार** प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार भारत सरकार की वेबसाइट https://services.dipp.gov.in/lms/iemServices पर जा कर कुछ विहित औपचारिकताओं की पूर्ति कर कोई अपने वृहद उद्योग के लिए **औद्योगिक उद्यमिता ज्ञापन** (IEM) प्रस्तुत कर पावती की सूचना (Acknowledgement) प्राप्त कर सकता है।

वर्तमान में कोई उद्यमी अपनी आवश्यकता के अनुरूप अनेक विभागों में अथवा अनेक अधिनियमों के अन्तर्गत उद्यम के पंजीयन/प्रमाण पत्र/ अनापत्ति के संबंध में कार्यवाही करता है, जिनमें कुछ प्रावधानों की सूची निम्नानुसार हैः–

| S.No. | Acts | Department |
|---|---|---|
| 1. | Companies Act 2013 | Registrar of Companies |
| 2. | Partnership Act 1932 | Industries Department |
| 3. | Rajasthan Partnership Rules | Industries Department |
| 4. | Non- Trading Companies Act 1960 | Industries Department |
| 5. | Rajasthan Non-Trading Companies Rules 2017 | Industries Department |
| 6. | Rajasthan Shops and Commercial Establishments Act, 1958 | Labour Department |
| 7. | Factories Act 1948 & Boilers Act 1923 | Labour Department |
| 8. | Indian Trust Act 1920 | Registration & Stamps Department |
| 9. | Rajasthan Public Trust Act 1959 | Devasthan Department |
| 10. | Rajasthan Public Trust Rules 1962 | Devasthan Department |
| 11. | Societies Registration Act 1860 | Co-operative Department |
| 12. | The Air (Prevention and Control of Pollution) Act 1981 | Pollution Control Board |
| 13. | The Water (Prevention and Control of Pollution) Act 1974 | Pollution Control Board |
| 14. | The Environment (Protection) Act 1986 | Pollution Control Board |

उक्त सूची केवल सुलभ संदभार्थ है। इनमें नियमों एवं प्रावधानों में समयानुसार परिवर्तन होते रहते हैं जो तदनुरूप देखे जा सकते है।

विभाग द्वारा राज्य में औद्योगिक विकास हेतु विभिन्न योजनाएँ/कार्यक्रम संचालित किये जा रहे है जिनका विवरण अग्रलिखित है :

| *क.सं.* | योजना का नाम व विवरण | *टिप्पणी* |
|---|---|---|
| (क) | **उद्योग पंजीयन संबंधी कार्य** | |
| 1. | सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के **उद्योग आधार** (UAM) जारी करना | भारत सरकार |
| 2. | वृहद उद्योगों की स्थापनार्थ **औद्योगिक उद्यमिता पावती** (IEM) जारी करना | भारत सरकार |
| 3. | भागीदारी फर्मों का पंजीयन | राज्य सरकार |
| 4. | नॉन ट्रेडिंग कम्पनीज एक्ट, 1960 एवं राजस्थान नॉन ट्रेडिंग कम्पनीज नियम, 1962 के अन्तर्गत नॉन ट्रेडिंग कम्पनीज का पंजीयन | राज्य सरकार |
| 5. | राजस्थान एन्टरप्राईजेज सिंगल विण्डो एनेबलिंग एण्ड क्लीयरेन्स अधिनियम, 2011 | राज्य सरकार |
| (ख) | **उद्योगों को सामान्य राजकीय सहायता, प्रोत्साहन व पुरस्कार** | |
| 6. | राजस्थान सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम सहायता योजना 2015 | राज्य सरकार |
| 7. | राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना–2014 | राज्य सरकार |
| 8. | राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना–2019 | राज्य सरकार |
| 9. | राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को विपणन (मार्केटिंग) प्रोत्साहन | राज्य सरकार |
| 10. | राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार | राज्य सरकार |
| (ग) | **सामान्य स्वरोजगार योजनाएँ** | |
| 11. | (I) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम | भारत सरकार |
| 12. | (II) भामाशाह रोजगार सृजन योजना | राज्य सरकार |
| 13. | (III) मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना | राज्य सरकार |
| (घ) | **हस्त शिल्प विकास योजनाएँ** | |
| 14. | (I) आर्टीजन परिचय पत्र | राज्य सरकार |
| 15. | (II) ब्याज अनुदान योजना | राज्य सरकार |
| 16. | (III) शिल्पियों हेतु बाजार सहायता योजना | राज्य सरकार |

| | | |
|---|---|---|
| **(ण)** | **हाथकरघा विकास योजनाएँ** | |
| 17. | (I) महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना | भारत सरकार |
| 18. | (II) उत्पाद विविधीकरण योजना | राज्य सरकार |
| 19. | (III) बुनकर पुरस्कार योजना | राज्य सरकार |
| **(च)** | **कपड़ा (TEXTILE) उद्योग से सम्बन्धित योजनाएँ** | |
| 20. | (I) एकीकृत कौशल विकास योजना | भारत सरकार |
| 21. | (II) एकीकृत प्रोसेसिंग विकास योजना | भारत सरकार |
| **(छ)** | **चर्म उद्योग सम्बन्धी योजनाऍ** | |
| 22. | (I ) चर्म प्रशिक्षण | राज्य सरकार |
| 23. | (II) राजस्थान चर्म शिल्प विकास एवं आधुनिकीकरण योजना, 2012 | राज्य सरकार |
| **(ज)** | **नमक उद्योग से सम्बन्धित योजनाऍ** | |
| 24. | (III) लवण श्रमिक कल्याण योजना | राज्य सरकार |
| **(झ)** | **निर्यात सम्बन्धी योजनाऍ** | |
| 25. | (I) अन्तर्राष्ट्रीय विदेशी व्यापार मेलों में भाग लेने पर सहायता योजना | राज्य सरकार |
| 26. | (II) निर्यात प्रोत्साहन प्रक्रिया एवं दस्तावेजीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम | राज्य सरकार |
| 27. | (III) राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना | राज्य सरकार |
| **28.** | **अल्पसंख्यक कल्याण योजना (15 सूत्रीय कार्यक्रम )** | राज्य सरकार |

## (2) उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार–प्रशासनिक व्यवस्था

राज्य स्तर पर उद्योग विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था निम्नानुसार हैः–

**माननीय उद्योग मंत्री**

↓

**माननीय उद्योग राज्य मंत्री**

↓

<table>
<tr><td colspan="3" align="center">अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग व एमएसएमई</td></tr>
<tr><td align="center">(ग्रुप–1)</td><td colspan="2" align="center">(ग्रुप–2)</td></tr>
<tr><td>उप शासन सचिव, उद्योग</td><td>संयुक्त शासन सचिव</td><td>सहायक शासन सचिव</td></tr>
</table>

## उद्योग विभाग से संबंधित विभाग, निगम एवं बोर्ड

| ग्रुप–1 | ग्रुप–2 |
|---|---|
| • आयुक्त, उद्योग<br>• राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम (रीको)<br>• निवेश संवर्धन ब्यूरो<br>• राजस्थान वित्त निगम | • आयुक्त, उद्योग<br>• राजस्थान लघु उद्योग निगम<br>• राजस्थान गैर कृषि ग्रामीण विकास अभिकरण (रूडा)<br>• राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड<br>• राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ<br>• राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम<br>• उद्यम प्रोत्साहन संस्थान<br>• शिल्प एवं माटी कला बोर्ड |

# राज्य सरकार के स्तर पर आयुक्त उद्योग के कार्यों का विभाजन

| ग्रुप–1 | ग्रुप–2 | |
|---|---|---|
| 1. आधारभूत सुविधाएं एवं विकास (भू–आवंटन सहित)<br>2. निर्यात संवर्द्धन<br>3. राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS)<br>4. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (EoDB)<br>5. राजस्थान औद्योगिक विकास नीति– 2019 | 1. संस्थापन संबंधी कार्य<br>2. रजिस्ट्रार ऑफ फर्म संबंधी कार्य<br>3. रोजगार सृजन संबंधी योजनाएं (प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम / भामाशाह रोजगार सृजन योजना/मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना–2019)<br>4. टेक्सटाईल, हाथकरघा विकास, हस्तकला विकास, चर्म उद्योग, नमक उद्योग संबंधी योजनाएं<br>5. राज्य क्लस्टर विकास कार्यक्रम<br>6. उद्योग मेला/प्रदर्शनी<br>7. राजस्थान क्राफ्ट काऊंसिल<br>8. उद्यम निवेश सुविधा केंद्र (एम.आई.एफ.सी.) | 9. औद्योगिक सलाहकार समिति संबंधी कार्य (राज्य स्तर)<br>10. उद्यम संबंधी अन्य नीतियां व योजनाएं<br>• सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति 2015 (एम.एस.एम.ई.पॉलिसी–2015)<br>• सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम–2006<br>• सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई.) सहायता योजना–2015<br>• सूक्ष्म,लघु और मध्यम (स्थापना एवं प्रवर्तन का सुकरीकरण) अधिनियम 2019<br>• शिकायत एवं विवाद निवारण तंत्र (DRM) |

## (3) कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

- भारतीय कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार ऐसी कम्पनी जिसकी वार्षिक आधार पर Networth 500 करोड़ या अधिक अथवा Turnover 1000 करोड़ या अधिक अथवा Net Profit 5 करोड़ या अधिक हो, ऐसी कम्पनियों को CSR के तहत् उनके विगत 3 वर्षो में शुद्ध लाभ के औसत का 2 प्रतिशत विभिन्न कॉरपोरेट सामाजिक दायित्वों में व्यय किये जाने का प्रावधान हैं। भारतीय कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार सीएसआर कम्पनीज केवल रजिस्ट्रॅार ऑफ कम्पनीज, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित हैं तथा कम्पनीयों द्वारा व्यय की जाने वाली सीएसआर राशि की मॉनिटरिंग करने का राज्य सरकार को अधिकार प्राप्त नही हैं। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 27.02.2014 द्वारा कम्पनी (कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 के बिन्दु संख्या 5 के अनुसार कम्पनियों द्वारा सीएसआर समिति गठित की जाती है एवं उक्त सीएसआर समिति में लिये गये निर्णयों के अनुसार ही सीएसआर कम्पनियों द्वारा सीएसआर राशि का व्यय किया जाता है।

- राज्य सरकार द्वारा राज्य में सी.एस.आर. के अन्तर्गत निवेश किये जा रहे फण्ड्स के सही उपयोग हेतु सर्वप्रथम दिनांक 24.12.2014 को शासन सचिव सी.एस.आर. के पद का अतिरिक्त कार्यभार आयुक्त उद्योग विभाग को सौंपा गया।

- उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा अद्वितीय एवं परस्पर संवादात्मक राजस्थान सीएसआर वेब पोर्टल (www.csrrajasthangov.in) विकसित किया गया है। यह पोर्टल राज्य में संचालित सीएसआर कम्पनियों, सीएसआर परियोजनाओं/कार्यक्रमों की पहचान करने तथा सूचीबद्ध करने हेतु डिजाईन किया गया है। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किये गये कम्पनी अधिनियम, 2013 तथा सीएसआर नीति नियम, 2014 के तहत् पोर्टल सीएसआर वित्त पोषण के लिये परियोजनाओं/कार्यक्रमों तथा कियान्वयन एजेंसीयों की पहचान करने एवं उन्हें सुविधा प्रदान करने में मदद करता हैं। कम्पनियां सीधे ही क्रियान्वयन एजेंसी को उनकी सीएसआर परियोजना क्रियान्वित करने हेतु सिफारिश कर सकती है। उक्त पोर्टल की वर्तमान वस्तुस्थिति निम्नानुसार हैं:

  कारपोरेट उपयोगकर्ता – 120
  सरकारी उपयोगकर्ता – 20
  क्रियान्वयन एजेन्सीज – 232
  सर्विस प्रोवाईडर– 43

साथ ही राज्य सरकार के सीएसआर पोर्टल पर रजिस्टर्ड कॉरपोरेट्स द्वारा कुल 573.10 करोड़ रूपयें के 149 प्रोजेक्टस पंजीकृत किये गये हैं।

- राज्य में कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के प्रावधानों को समुचित रूप से क्रियान्वित करने, इसमें समन्वय कर समुचित सहयोग प्राप्त करने, विभिन्न औद्योगिक समूहों से समन्वय स्थापित कर उनसे आवश्यक सुझाव प्राप्त करने, उन्हें नवीन प्रावधानों के संबंध में यथोचित मार्गदर्शन प्रदान करने एवं प्राप्त राशि से समुचित आधारभूत सुविधाओं का सृजन एवं विकास करने के लिये राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 05.11.2019 द्वारा **राजस्थान कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) प्राधिकरण** का गठन किया गया है तथा इसका प्रकाशन राजस्थान असाधारण गजट में दिनांक 06.11.2019 को कराया गया है।
- सीएसआर प्राधिकरण में माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय 19 सदस्यीय परामर्शदात्री मण्डल और मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में 18 सदस्यीय प्राधिकरण तथा आयुक्त, उद्योग एवं विशिष्ठ शासन सचिव, सीएसआर की मुख्यकार्यकारित्व में 6 सदस्यीय अधिशाषी समिति का गठन किया गया है। सीएसआर प्राधिकरण हेतु गठित परामर्शदात्री मण्डल एवं प्राधिकरण के सदस्यों में राज्य सरकार द्वारा मनोनीत 4–4 उद्योग जगत के उद्यमी/प्रतिनिधि भी होंगे तथा इनका कार्यकाल 3 वर्ष होगा।
- सीएसआर प्राधिकरण राज्य में विभिन्न औद्योगिक समूहों से समन्वय स्थापित करते हुये उन्हें भारतीय कम्पनी अधिनियम के तहत् कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के प्रावधानों व गतिविधियों के संबंध में मार्गदर्शन देने के साथ ही परस्पर समन्वय स्थापित करते हुये सीएसआर गतिविधियों का संचालन करेगा। राज्य में प्राधिकरण स्तर पर सीएसआर कोष स्थापित किया जायेगा और इस कोष में उपलब्ध राशि से प्रदेश में राज्य की प्राथमिकताओं के अनुसार आधारभूत सुविधाओं का सृजन और संवर्द्धन किया जायेगा। इसके लिये औद्योगिक समूहों से भी सुझाव लिये जायेंगे।
- राज्य में संचालित 134 सीएसआर कम्पनियों से प्राप्त सूचनानुसार उनके द्वारा वर्ष 2015–16 में 370.72 करोड़, वर्ष 2016–17 में 389.34 तथा वर्ष 2017–18 में 436.96 करोड़ रूपयें सीएसआर के तहत् व्यय किये गये हैं।
- दिनांक 04.06.2019 को जयपुर मैरियट होटल, जयपुर में **तृतीय राजस्थान सीएसआर समिट–2019 का आयोजन एनजीओ बॉक्स के संयुक्त तत्वावधान** में किया गया जिसमें

सीएसआर के 11 क्षेत्रों में श्रेष्ठ कार्य करने वाली **कुल 9 कम्पनियों एवं 8 कियान्वयन एजेन्सीज का अवार्ड दिये गये तथा राजस्थान सीएसआर रिपोर्ट–2019 का विमोचन** किया गया।

- दिनांक 06.02.2018 को होटल द ललित, जयपुर में द्वितीय राजस्थान सीएसआर समिट–2018 का आयोजन एनजीओ बॉक्स के साथ कॉरपोरेट्स के सहयोग से किया गया जिसमें सीएसआर के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने वाली कुल 7 कम्पनियों एवं 5 कियान्वयन एजेंसीज को अवार्ड दिये गये तथा राजस्थान सीएसआर रिपोर्ट–2018 का विमोचन किया गया।
- दिनांक 07.03.2017 को एस.एम.एस. कन्वेंशन सेंटर, रामबाग पैलेस, जयपुर में प्रथम राजस्थान सीएसआर समिट–2017 का आयोजन अन्तरा फाउण्डेशन के साथ कॉरपोरेट्स के सहयोग से किया गया जिसमें सीएसआर के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने वाली कुल 14 कम्पनियों एवं 3 क्रियान्वयन एजेन्सीज को राजस्थान सीएसआर एक्सीलेंसी अवार्ड प्रदान किये गये तथा राजस्थान सीएसआर एक दृष्टि में पुस्तक का विमोचन किया गया।
- आयुक्त, उद्योग एवं शासन सचिव, सीएसआर के स्तर से 22 प्रमुख विभागों के पदाधिकारियों को राजस्थान सीएसआर वेब–पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराकर उनके प्रोजेक्टस/प्रोगाम्स को अपलोड/अपडेट किये जाने हेतु निवेदन।
- राज्य में दिनांक 03.11.2015 को एक सीएसआर कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया जिसमें 56 कम्पनियों द्वारा भाग लिया गया।
- **प्रमुख सीएसआर एमओयू :**
  1. बारां जिलें की 44 ग्राम पंचायतों में संचालित 106 आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं शाहबाद, किशनगंज ब्लॉक में संचालित 60 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के नवीनीकरण हेतु पॉवर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि., ग्रामीण विकास ट्रस्ट (कार्यकारी एजेन्सी) तथा जिला कलक्टर, बारां के मध्य सीएसआर के तहत् रूपयें 9.00 करोड़ का त्रिपक्षीय अनुबंध दिनांक 10.06.2019 को हस्ताक्षरित किया गया।
  2. सीएसआर वेब पोर्टल के संचालन हेतु आयुक्त उद्योग एवं सचिव सीएसआर, हिन्दुस्तान जिंक लि. उदयपुर एवं गिरनार सॉफ्टवेयर जयपुर के मध्य एक त्रिपक्षीय अनुबंध दिनांक 22.08.2016 को हस्ताक्षरित किया गया।
  3. श्री सीमेन्ट–डीडवाना शिक्षा समिति, डीडवाना।

राजस्थान टेक्सटाईल मिल्स एसोसिएशन–राजस्थान स्टेट स्पोर्टस काउंसिल, राज्य में खेलकूद सम्बन्धी आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु।

## (4) बाट व माप (विधिक माप विज्ञान)

विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 24 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक बाट व माप उपयोगकर्ता का यह दायित्व है कि उसके द्वारा प्रयोग में लिये जा रहे बाट व माप उपकरणों का सत्यापन एवं मुद्राकंन भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट अवधि के अन्तराल में सत्यापन एवं मुद्रांकन हेतु निरीक्षक, विधिक माप विज्ञान को प्रस्तुत करेगा। इसके अतिरिक्त राजस्थान विधिक माप विज्ञान प्रवर्तन नियम 2011 के नियम 14 में यह प्रावधान है कि निरीक्षक, विधिक माप विज्ञान नियत अन्तराल पर उसको प्रस्तुत किये गये बाट व माप उपकरणों का सत्यापन करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि व्यापारी द्वारा प्रस्तुत बाट व माप भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हैं। मानकों के अनुरूप पाये जाने पर सत्यापन एवं मुद्रांकन कर प्रमाण पत्र जारी करेगा।

वर्ष 2014–15 में बाट व माप के मुद्रांकन व सत्यापन से राजस्व के निर्धारित लक्ष्य 1079.60 लाख रुपये के विरुद्ध 1082.06 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त किया गया। बाट व माप एवं पी.सी.आर. के विभिन्न प्रावधानों व धाराओं के उल्लंघन पर 1703 अभियोगों को कम्पाउण्ड किया जाकर कम्पाउण्डिंग राशि 23.20 लाख रुपये की राजकीय कोष में जमा की गई है। निरीक्षकों द्वारा 4383 सामान्य प्रकृति के व्यापारिक संस्थान, 1182 पेट्रोल पम्प, 396 केरोसीन डीलर्स एवं उचित मूल्य की दुकानें, 87 एल.पी.जी. गैस डीलर, 1733 मिठाई की दुकानें, 9445 टैक्सीमीटर, 1763 डिब्बा बन्द वस्तुओं के विक्रेता, 1086 फल व सब्जी विक्रेता, 2732 ऑटोमेटिक व्हेईग मशीन, 1803 टैंक लॉरीज, 420 एफपीएस एवं 138 दुग्ध पैकिंग संस्थाओं का निरीक्षण किया गया। जिसमें 768 सामान्य संस्थान, 142 पेट्रोल पम्प, 30 केरोसीन व उचित मूल्य की दुकानें, 2 एल.पी.जी. गैस, 42 एफ.पी.एस., 128 मिठाई की दुकानें, 23 फल एवं सब्जी, 312 पी.सी.आर. 110 ऑटो व्हेईंग संस्थाओं के विरुद्ध अभियोग दर्ज किये गये।

वर्ष 2015–16 में बाट व माप के मुद्रांकन व सत्यापन से राजस्व के निर्धारित लक्ष्य 1166.30 लाख रुपये के विरुद्ध 1189.27 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त किया गया है एवं व्यापारिक नियमों का उल्लंघन करने पर 1985 के लक्ष्य के विरूद्ध 520 व्यापारियो का बाट माप अधिनियम अन्तर्गत चालान किया गया। बाट व माप सत्यापन कार्य के अलावा राज्य में विक्रित होने वाले पैकेटों को विधिक माप विज्ञान (पैकेज कमोडिटी) नियम 2011 की पालना सुनिश्चित कराना भी है जिसमें उपभोक्ताओं की अनुपस्थिति में पैक किये पैकेटों पर निर्माता का नाम व पता, वस्तु का नाम, पैकिंग माह, पैकेट की कीमत, बैच न. एवं कस्टमर केयर नम्बर आदि होने चाहिए। इसके अतिरिक्त कोई भी विक्रेता अंकित

मूल्य से ज्यादा राशि वसूल नही करें, यह भी सुनिश्चित कराना विधिक माप विज्ञान विभाग का दायित्व है। देश के निर्मित पैकेटों के साथ साथ आयातित पैकेटों पर भी पीसीआर नियमों की पालना सुनिशचित की जाती है।

वर्ष 2016–17 में माह सितम्बर 2016 तक बाट व माप के मुद्रांकन व सत्यापन से राजस्व के निर्धारित लक्ष्य 1166.30 लाख रुपये के विरुद्ध 543.87 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त किया गया है एवं व्यापारिक नियमों का उल्लंघन करने पर 1230 के लक्ष्य के विरूद्ध 44 व्यापारियो का बाट माप अधिनियम अन्तर्गत चालान किया गया।

**(30 सितम्बर, 2016 से यह कार्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान उपभोक्ता मामलात विभाग को राज्य सरकार की बजट घोषणा के तहत हस्तानान्तरित कर दिया गया है।)**

# भाग–2

# उद्योग विभाग के नियमित कार्य एवं सामान्य योजनाएँ

## (1) उद्योग पंजीयन संबंधी कार्य

### (i) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के स्थापनार्थ उद्योग आधार (UAM) जारी करना

**उद्योग आधार मेमोरेण्डम (UAM)**–दिनांक 14.09.2015 से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा **Ease of Doing Business** के तहत उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्रणाली प्रारंभ की है। इसके तहत उद्यम स्थापना से पूर्व पंजीयन की प्रक्रिया को समाप्त करते हुए उत्पादन पश्चात् एक स्तरीय उद्योग आधार मेमोरेण्डम ऑनलाईन जारी करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। इस प्रक्रिया के तहत 14 प्रकार की सूचनाओं युक्त एक पृष्ठीय आवेदन संबंधित वेबपोर्टल http://udyogaadhaar.gov.in/UA/UAM_ Registration.aspx पर ऑनलाईन प्रस्तुत करने पर स्वतः ही उद्योग आधार मेमोरण्डम जारी हो जाता है।

राज्य में **18.09.2015** से उद्यमिता ज्ञापनों की जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी की जाने वाली अभिस्वीकृतियों के स्थान पर भारत सरकार द्वारा **उद्योग आधार अभिज्ञापन** जारी करने की व्यवस्था ऑनलाइन की गई है।

| क्र0सं0 | वर्ष | ऑनलाईन जारी UAM(संख्या) | नियोजन / रोजगार के प्रस्ताव (संख्या) | विनियोजन (करोड़ रु.) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016–17 | 99,340 | 5,72,210 | 15,051.00 |
| 2 | 2017–18 | 1,02,515 | 4,39,289 | 10,917.08 |
| 3 | 2018–19 | 1,04,584 | 4,65,445 | 11589.64 |
| 4 | 2019–20 (माह दिसम्बर, 2019 तक) | 1,05,334 | 4,47,326 | 11539.73 |

### (ii) वृहद उद्योगों के स्थापनार्थ औद्योगिक उद्यमिता ज्ञापन / पावती (IEM) जारी करना

राज्य में वृहद उद्योगों की स्थापनार्थ उद्यमियों द्वारा भारत सरकार को प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन उपरान्त भारत सरकार द्वारा जारी किये गये औद्योगिक उद्यमिता ज्ञापन (IEM ) एवं उनमें प्राप्त निवेश / विनियोजन की वर्ष वार स्थिति निम्नानुसार है।

| क्र0 सं0 | वर्ष (जनवरी से दिसम्बर तक) | भारत सरकार द्वारा ऑनलाईन जारी IEM(संख्या) | विनियोजन (करोड़ रु.) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2016 | 97 | 5613.00 |
| 2 | 2017 | 99 | 7252.00 |
| 3 | 2018 | 92 | 39606.00 |
| 4 | 2019 (माह नवम्बर, 2019 तक) | 94 | 8811.00 |

**राजस्थान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम दिवस**

राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष विश्वकर्मा दिवस 17 सितम्बर को राजस्थान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम दिवस समारोह के रूप में मनाया जाता है। इस दिन राज्य स्तरीय समारोह में उत्कृष्ट उद्यमियों, बुनकरों एवं हस्तशिल्पियों को सम्मानित किया जाता है। जिला स्तरीय समारोह में उद्यमियों, बुनकरों एवं हस्तशिल्पियों को आमंत्रित कर संगोष्ठी आयोजित की जाकर राज्य व केन्द्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, उनके लिए उपयोगी प्रावधानों एवं नियमों की जानकारी प्रदान की जाती है।

## (iii) भागीदारी फर्मों का पंजीयन

### (भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 एवं राजस्थान भागीदारी नियम, 2017 के अन्तर्गत)

कार्यालय आयुक्त, उद्योग विभाग द्वारा राज्य के सभी जिलों में महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा रजिस्ट्रॅार ऑफ फर्म्स के रूप में राज्य की भागीदारी फर्मों का पंजीयन भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 एवं राजस्थान भागीदारी नियम, 2017 के अन्तर्गत किया जाता हैं।

राजस्थान भागीदारी नियम, 2017 द्वारा दिनांक 31.10.2017 से राज्य में नई भागीदारी फर्मों के पंजीयन की प्रक्रिया ऑनलाईन कर दी गई है। ऑनलाईन आवेदन sso.rajasthan.gov.in वेब पोर्टल के माध्यम से किये जा सकते है। ऑनलाईन आवेदन पत्रों का पंजीयन करने की समयावधि आवेदन प्राप्ति की तिथि से 7 कार्यदिवस निर्धारित है।

| क्र0सं0 | वर्ष | भागीदारी फर्म | |
|---|---|---|---|
| | | पंजीयन संख्या | राशि (लाख रु.) |
| 1. | 2016—17 | 3602 | 11.10 |
| 2. | 2017—18 | 4800 | 14.22 |
| 3. | 2018—19 | 4674 | 15.09 |
| 4. | 2019—20 (माह दिसम्बर, 2019 तक) | 3207 | 14.49 |

## (iv) नॉन ट्रेडिंग कम्पनीज का पंजीयन

### (नॉन ट्रेडिंग कम्पनीज एक्ट, 1960 एवं राजस्थान नॉन ट्रेडिंग कम्पनीज नियम, 1962 के अन्तर्गत)

कार्यालय आयुक्त, उद्योग विभाग द्वारा नॉन ट्रेडिंग कम्पनीज एक्ट, 1960 एवं राजस्थान नॉन ट्रेडिंग कम्पनीज नियम, 1962 के अन्तर्गत नॉन ट्रेडिंग कम्पनीज का पंजीयन किया जाता है।

| क्र0सं0 | वर्ष | नॉन ट्रेडिंग कम्पनीज | |
|---|---|---|---|
| | | पंजीयन संख्या | राशि (रूपये) |
| 1. | 2016—17 | 10 | 10, 350 / — |
| 2. | 2017—18 | 14 | 14, 500 / — |
| 3. | 2018—19 | 15 | 15, 600 / — |
| 4. | 2019—20 (माह दिसम्बर, 2019 तक) | 8 | 8, 100 / — |

## (2) उद्योगों हेतु प्रक्रिया सरलीकरण

### (i) उद्यम स्थापित करने की प्रक्रियाओं का सरलीकरण

(EoDB- Ease of Doing Business)

औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष राज्यों के लिए Business ReformAction Plan जारी किया जाता है एवं राज्यों द्वारा किए गए Reform Implementation का आकलन करने के पश्चात् राज्यों को Ranking प्रदान की जाती है।

उद्यम स्थापित करने हेतु प्रक्रियाओं के सरलीकरण (EoDB- Ease of Doing Business) के लिए उद्योग विभाग नोडल विभाग के रूप में कार्य करता है।

1. Business ReformAction Plan-2015 (285 Reform Points)— राजस्थान रिफार्म बिन्दुओं के 61.04 प्रतिशत क्रियान्वयन के साथ देश में छठे स्थान पर रहा तथा राजस्थान को इस वर्ष ''Aspiring Leader States'' की श्रेणी में सम्मिलित किया गया।
2. Business ReformAction Plan-2016 (340 Reform Points)— राजस्थान रिफार्म बिन्दुओं के 96.43 प्रतिशत क्रियान्वयन के साथ देश में आठवें स्थान पर रहा तथा राजस्थान को इस वर्ष ''Leader States'' की श्रेणी में सम्मिलित किया गया।
3. Business Reform Action Plan- 2017 (372 Reform Points)— राजस्थान रिफार्म बिन्दुओं

के 99.46 प्रतिशत क्रियान्वयन तथा फीडबैक में 64.44 प्रतिशत के साथ देश में नवें स्थान पर रहा तथा राजस्थान को इस वर्ष ''Top Achievers'' की श्रेणी में सम्मिलित किया गया।

4. वर्ष 2018–19 में DPIT नें BRAP में कोई सुधार बिंन्दु प्रस्तावित नहीं किया था। BRAP 2019 के 80 बिन्दुओं की क्रियान्विति हो चुकी है।

## (ii) एकल खिड़की योजना

### (राजस्थान एन्टरप्राईजेज सिंगल विण्डो एनेबलिंग एण्ड क्लीयरेन्स अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत)

राज्य में उद्यम की स्थापना को बाधा रहित बनाने, स्वीकृतियों के समयबद्ध निस्तारण तथा एकल खिड़की योजना को सुदृढ़ बनाये जाने एवं उसे विधिक आधार प्रदान किये जाने के दृष्टिकोण से राजस्थान एन्टरप्राइजेज सिंगल विण्डो एनेबलिंग एण्ड क्लीयरेंस एक्ट–2011 एवं इस एक्ट के प्रावधानों की क्रियान्विति तथा निवेश प्रस्तावों के समयबद्ध निस्तारण हेतु संशोधित रूल्स, 2016 जारी किये गये हैं।

राज्य में निवेश प्रस्तावों के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक अनुमतियों व स्वीकृतियों हेतु निर्णय लेने के लिए राज्य सक्षम समिति व जिला सक्षम समिति अपने क्षेत्राधिकार में सक्षम है। राज्य सक्षम समिति द्वारा आवश्यक अनुमतियों/स्वीकृतियों पर निर्णय लेने के साथ–साथ कस्टमाइज्ड पैकेज हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर निर्णय हेतु अपनी अभिशंषा मंत्रीमण्डल के समक्ष प्रस्तुत करने की व्यवस्था है। जिला सक्षम समिति के लिए जिला उद्योग केन्द्र तथा राज्य सक्षम समिति के लिए ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन (बीआईपी) नोडल एजेन्सी है। संशोधित रूल्स, 2016 नोटिफिकेशन के पश्चात नवीन सिंगल विण्डो पोर्टल (ऑन–लाईन सिस्टम) का संचालन दिनांक 1 जून, 2016 से प्रारम्भ कर दिया गया है।

राज्य में निवेश हेतु सिंगल विण्डो ऑन–लाईन सिस्टम के तहत 1 जून, 2016 से दिसम्बर, 2018 तक प्राप्त 11360 आवेदन पत्रों में से 7603 आवेदन पत्रों पर वांछित स्वीकृतियां जारी की गई।

## (iii) उद्यमों का विलंबित भुगतान निस्तारण

### (राजस्थान सूक्ष्म लघु उद्यम सुविधा परिषद के माध्यम से)

एमएसएमईडी एक्ट 2006 के अंतर्गत उद्योग विभाग में ई.एम. पार्ट II/उद्योग आधार की अभिस्वीकृति प्राप्त सूक्ष्म एवं लघु उद्यम द्वारा क्रेता को आपूर्ति की गयी सामग्री/माल के भुगतान का नियत करार के बाद भुगतान न करने पर रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित बैंक दर पर मासिक अवशेष के साथ 3 गुना चक्रवृद्धि ब्याज के भुगतान कराने हेतु राज्य सरकार के स्तर से सुविधा परिषद का प्रथम

बार गठन दिनांक 06.05.2008 को किया गया। राजस्थान सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद नियम–2007 की अधिसूचना दिनांक 08.09.2008 को जारी की गयी है।

सुविधा परिषद के प्रथम गठन दिनांक 06.05.2008 के उपरान्त से दिसम्बर, 2018 तक सुविधा परिषद की 44 बैठकों का आयोजन किया गया है।

| क्र0सं0 | वर्ष | परिषद् में प्राप्त परिवाद | निर्णित परिवाद | परिषद् द्वारा जारी अवार्ड (राशि लाख रु.) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | मार्च 2008 से 31 मार्च 2012 | 65 | 13 | 287.27 |
| 2. | 2012–13 | 62 | 62 | 720.37 |
| 3. | 2013–14 | 52 | – | – |
| 4. | 2014–15 | 142 | 16 | 45.66 |
| 5. | 2015–16 | 149 | 72 | 518.94 |
| 6. | 2016–17 | 245 | 31 | 849.78 |
| 7. | 2017–18 | 316 | 156 | 1617.32 |
| 8. | 2018–19 | 197 | 215 | 6179.50 |

- 18 दिसम्बर, 2017 से सुविधा परिषद में आवेदन पत्र ऑनलाईन करने की व्यवस्था भारत सरकार के पोर्टल msme.samadhan.gov.in पर की गई है।
- सुविधा परिषद को और सुदृढ करने हेतु राजस्थान सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद नियम, 2018 जारी किये गये।

## राजस्थान सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद

## वस्तुस्थिति रिपोर्ट

राज्य सरकार के उद्योग (ग्रुप–2) विभाग के आदेश क्रमांक पं.1(16)उद्योग/ग्रुप–2/2018 दिनांक 08.08.2019 द्वारा राज्य में 4 सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषदो का गठन किया गया, उक्त नव गठित परिषदों द्वारा राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों के विलम्बित भुगतान के प्रकरणों में सुनवाई कर, उनका समयबद्व निस्तारण किया जाएगा।

नव गठित परिषदों के मुख्यालय एवं क्षेत्राधिकार निम्न प्रकार है–

**1. सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद, जयपुर (प्रथम) :–**

मुख्यालय :– कार्यालय आयुक्त, उद्योग, जयपुर।

क्षेत्राधिकार :– जयपुर जिले से संबंधित प्रकरण

2. **सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद, जयपुर (द्वितीय) :—**

मुख्यालय :— कार्यालय आयुक्त, उद्योग, जयपुर।

क्षेत्राधिकार :— जयपुर जिले से संबंधित प्रकरण

3. **सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद, जयपुर (तृतीय) :—**

मुख्यालय :— कार्यालय आयुक्त, उद्योग, जयपुर।

क्षेत्राधिकार :— दौसा, सीकर, झुन्झुनु, अलवर, अजमेर, टोंक, नागौर, भीलवाडा, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड, सवाई माधोपुर, धोलपुर, करौली, भरतपुर जिलों से संबंधित प्रकरण।

4. **सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद, जोधपुर :—**

मुख्यालय :— जिला उद्योग केन्द्र, जोधपुर।

क्षेत्राधिकार :—जोधपुर, जैसलमेर, बाडमेर, जालौर, सिरोही, पाली, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ, श्रीगंगानगर, डूंगरपुर, प्रतापगढ, बांसवाडा, चित्तौडगढ, राजसमन्द, उदयपुर जिलों से संबंधित प्रकरण।

**राजस्थान सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषदों के समक्ष प्रस्तुत प्रकरणों के संबंध में वस्तुस्थिति**

सुविधा परिषद, जयपुर (प्रथम) के समक्ष प्रस्तुत प्रकरणों की स्थिति

| बैठक कमांक | बैठक दिनांक | कुल प्रस्तुत प्रकरण | निस्तारित |
|---|---|---|---|
| 45 वीं | 30.09.2019 | 20 | श्री के.के.पाठक, आयुक्त उद्योग के स्थानान्तरण के कारण स्थगित |
| 45 वीं (पुनः आयोजित) | 18.10.2019 | 20 | उक्त बैठक एसएलबीसी के सदस्य की अनुपस्थिति के कारण नहीं हो सकी। |
| 45 वीं (पुनः आयोजित) | दिनांक 13.11.2019 | 20 | 12 |
| कुल | | 20 | 12 |

सुविधा परिषद, जयपुर (द्वितीय) के समक्ष प्रस्तुत प्रकरणों की स्थिति

| बैठक कमांक | बैठक दिनांक | कुल प्रस्तुत प्रकरण | निस्तारित |
|---|---|---|---|
| प्रथम बैठक | दिनांक 30.09.2019 | 20 | 07 |
| द्वितीय बैठक | दिनांक 08.11.2019 | 30 | उक्त बैठक एसएलबीसी के सदस्य की अनुपस्थिति के कारण नहीं हो सकी। |
| द्वितीय बैठक (पुनः आयोजित) | दिनांक 10.12.2019 | 50 | 29 |
| तृतीय बैठक | दिनांक 22.01.2020 | 54 | उक्त बैठक एसएलबीसी के सदस्य की अनुपस्थिति के कारण नहीं हो सकी। |
| कुल | | 70 | 36 |

सुविधा परिषद, जयपुर (तृतीय) के समक्ष प्रस्तुत प्रकरणों की स्थिति

| बैठक कमांक | बैठक दिनांक | कुल प्रस्तुत प्रकरण | निस्तारित |
|---|---|---|---|
| प्रथम बैठक | दिनांक 30.09.2019 | 21 | 12 |
| द्वितीय बैठक | दिनांक 04.11.2019 | 40 | 03 |
| तृतीय बैठक | दिनांक 04.12.2019 | 40 | 16 |
| चतुर्थ बैठक | दिनांक 10.01.2020 | 50 | 5 |
| कुल | | 151 | 36 |

सुविधा परिषद, जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत प्रकरणों की स्थिति

| बैठक कमांक | बैठक दिनांक | कुल प्रस्तुत प्रकरण | निस्तारित |
|---|---|---|---|
| प्रथम बैठक | दिनांक 20.09.2019 | 21 | 04 |
| द्वितीय बैठक | दिनांक 21.1102019 | 38 | 03 |
| तृतीय बैठक | दिनांक 07.11.2019 | 44 | 07 |
| चतुर्थ बैठक | दिनांक 08.11.2019 | 41 | 1 |
| पंचम बैठक | दिनांक 18.11.2019 | 19 | 4 |
| छठी बैठक पार्ट I | दिनांक 17.01.2020 | 25 | 2 |
| छठी बैठक पार्ट II | दिनांक 20.01.2020 | 69 | 18 |
| कुल | | 257 | 39 |

नव गठित सुविधा परिषदों के समक्ष प्रस्तुत प्रकरणों की स्थिति

| **कुल बैठकें** | **कुल प्रस्तुत प्रकरण** | **कुल निस्तारित प्रकरण** |
|---|---|---|
| **13** | **498** | **123** |

## (3) उद्योगों हेतु आधारभूत संरचना विकास, सामान्य राजकीय सहायता, प्रोत्साहन, पुरस्कार, प्रदर्शनी व शिविर

### (i) राजस्थान औद्योगिक विकास नीति– 2019

राजस्थान को इको सिस्टम के साथ भारत में सबसे पंसदीदा निवेश गंतव्य के रूप में उभारने हेतु समावेशी, संतुलित, सतत् एवं पर्यावरण अनुकूल औद्योगिक विकास करने, आधारभूत ढांचा सृजित करने, रोजगार के अवसर सृजित करने, संतुलित क्षेत्रीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से राजस्थान औद्योगिक विकास नीति, 2019 तैयार की गई है।

राजस्थान औद्योगिक विकास नीति, 2019 के अन्तर्गत निम्न उद्देश्य के साथ विशेष प्रावधान किये गये है:

1. **अनुकूल औद्योगिक आधारभूत संरचना**–भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को लचीला बनाना, निजी भूमि–रीको द्वारा निवेश तथा रीको की भूमि–निजी निवेश मॉडल पर पीपीपी मोड पर औद्योगिक पार्कों का विकास, प्लग एंड प्ले सुविधाओं एवं बहुमंजिला कारखानों को बढ़ावा देना, औद्योगिक क्षेत्रों में आवश्यकता अनुसार सामजिक बुनियादी ढांचे का विकास करना, पिछड़े क्षेत्र में उद्योग स्थापना हेतु रियायती दर पर बंजर भूमि का आवंटन, पेट्रो केमिकल उद्योग के लिए तेल रिफाईनरी के पास औद्योगिक टाऊनशिप विकसित करना, बिजली दरों को परिवर्तनशील बनाना एवं व्हीलिंग चार्जेज कम करना।
2. **प्रतियोगात्मक राजकोषीय प्रोत्साहन**–मैन्युफेक्चरिंग एवं सेवा क्षेत्र के उद्यम हेतु प्रोत्साहन पैकेज, थ्रस्ट सेक्टर एवं पिछड़े व अति पिछडे क्षेत्रों के उद्योगों को अतिरिक्त प्रोत्साहन, एंकर इकाइयों को आकर्षक प्रोत्साहन, एमएसएमई को पूंजी निवेश, प्रौद्योगिकी अधिग्रहण/उन्नयन, क्रेडिट गारंटी, गुणवत्ता प्रमाणन, रिसर्च एण्ड डवलपमेंट आदि के लिए सहायता, अनु.जाति, जनजाति, महिला उद्यमियों, कुटीर उद्योगों, फुटकर व्यापारियों एवं स्वंय सहायता समूह के उद्यमियों को वित्तीय सहायता के लिए विशेष योजना का प्रावधान।
3. **कुशल मानव संसाधन**–बेरोजगार युवाओं का डेटाबेस तैयार करना एवं संभावित अवसरों का सृजन करना, उद्योगों को कौशल विकास संस्थान की स्थापना हेतु प्रोत्साहित करना तथा लॉजिस्टिक्स, ईएसडीएम तथा ऑटोमोबाइल (इलेक्ट्रिक वाहन खंड) आदि उभरते क्षेत्रों के लिए नये कौशल विकास कार्यक्रम पर बल।
4. **संतुलित क्षेत्रीय औद्योगिक विकास का बढ़ावा**–जिला स्तरीय औद्योगिक संभावना सर्वेक्षण तैयार करना, बड़े उद्योगों के साथ एमएसएमई की आपूर्ति श्रृंखला लिंकेज को प्रोत्साहित करना, जिला स्तर पर व्यावसायिक सुविधा केन्द्र की स्थापना का प्रावधान।
5. **उद्यमशीलता एवं नवाचार**–नवाचार एवं प्रभारी ईको सिस्टम को बढ़ावा देने हेतु नई स्टार्ट–अप नीति का निर्माण, प्रमुख शहरों के निकट स्टार्ट अप क्षेत्र विकसित कराना, राज्य के बाहर से स्टार्टअप को राज्य में स्थापित एवं विकसित करने के लिए सुविधायुक्त ढांचे का निर्माण करना, सभी क्षेत्रों में नवाचार को प्रोत्साहित करने हेतु वार्षिक नवाचार पुरस्कार का प्रावधान।
6. **पर्यावरण संरक्षण एवं सतत् औद्योगिक विकास**–औद्योगिक अपशिष्ट के पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करना, औद्योगिक पार्कों के लिए प्रभावी कचरा प्रबन्धन, ग्रीन बिल्डिंग

एवं इको फ्रेंडली उद्योगों को सहायता, आवश्यक सहायता के साथ वर्षा जल संचयन को प्रोत्साहन।

7. **उद्योगों का तकनीकी उन्नयन**–अनुसंधान एवं विकास केन्द्रों, परीक्षण और प्रमाणीकरण प्रयोगशालाओं के लिए सहायता का प्रावधान।

8. **उद्योग 4.0**–प्रौद्योगिक अधिग्रहण, कौशल विकास, रिसर्च एण्ड डवलपमेंट को प्रोत्साहन के माध्यम से उद्योग 4.0 के नये युग में उभार।

9. नियमों और निरीक्षणों को युक्तिसंगत बनाना।

10. ईओडीबी और उद्योग समर्थक दृष्टिकोण को अपनाना।

**थ्रस्ट सेक्टर्स का विकास करना**–राज्य के आर्थिक विकास के मुख्य क्षेत्र–कपड़ा एवं परिधान, फूड प्रोसेसिंग, ईएसडीएम, ऑटो और ऑटो कम्पोनेन्ट, लेदर व फुटवियर, खान एवं खनिज, जैम्स व ज्वैलरी एवं सेवा क्षेत्र पर विशेष बल।

## (ii) क्लस्टर विकास

राज्य सरकार द्वारा राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों तथा दस्तकारों का विकास क्लस्टर डवलपमेंट एप्रोच के आधार पर किया जा रहा है। इस हेतु वर्ष 2005–06 से राज्य क्लस्टर विकास कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत् बेस लाईन सर्वे के आधार पर चयनित क्लस्टर्स में क्लस्टर विकास गतिविधियों का क्रियान्वयन स्वयं सेवी संस्थाओं/क्रियान्वयन एजेन्सियों के माध्यम से महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र के निर्देशन में कराया जाता है। इस कार्यक्रम के तहत् क्लस्टर्स में आवश्यकता के आधार पर सॉफ्ट गतिविधियां यथा–एसपीवी का गठन, कौशल विकास एवं कौशल उन्नयन प्रशिक्षण, डिजाईन विकास प्रशिक्षण, तकनीकी उन्नयन, मार्केट असिस्टेन्स, क्षमता संवर्धन आदि क्रियान्वित की जाती है। क्लस्टर में आवश्यकता होने पर सामान्य सुविधा केन्द्र (सीएफसी) की स्थापना भी की जाती है, जिसका संचालन उद्यमों/दस्तकारों की एसपीवी द्वारा किया जाता है।

वर्ष 2005–06 से अब तक क्लस्टर विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 57 क्लस्टर्स में क्लस्टर विकास परियोजनाओं का क्रियान्वयन प्रारम्भ किया गया, जिनमे से 45 क्लस्टर्स की परियोजना अवधि पूर्ण हो चुकी है एवं शेष 12 क्लस्टर्स में क्लस्टर विकास गतिविधियां संचालित है।

वर्ष 2016–17 से वर्ष 2019–20 के मध्य जिन क्लस्टर्स में क्लस्टर विकास गतिविधियां संचालित है, उनका विवरण निम्नानुसार है –

| क्र.सं | चयन वर्ष | क्लस्टर का नाम | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|
| 1. | 2017—18 | 1.प्लास्टिक बैंगल्स क्लस्टर, पाली | परियोजना पूर्ण। |
| | | 2.एप्लीक एवं एम्ब्राईडरी क्लस्टर, बाड़मेर | परियोजना चल रही है। |
| | | 3.वुडन हैण्डीक्राफ्ट क्लस्टर, जोधपुर | परियोजना चल रही है। |
| 2. | 2018—19 | 1. मार्बल मूर्ति क्लस्टर, शिकारी,भरतपुर | परियोजना चल रही है। |
| | | 2. अजरख ब्लॉक पेरियन्ट क्लस्टर, बाडमेर | परियोजना चल रही है। |
| | | 3. टेरा कोटा क्लस्टर, घाटोल,बांसवाडा | परियोजना चल रही है। |
| | | 4. वास टोकरी क्लस्टर, डूंगरपुर | परियोजना चल रही है। |
| | | 5. पड़ पेन्टिंग क्लस्टर, भीलवाड़ा | परियोजना चल रही है। |
| | | 6. पाक विस्थापित क्लस्टर, जोधपुर | परियोजना चल रही है। |
| | | 7. आर्ट मेटल क्रॉफ्ट क्लस्टर, जोधपुर | परियोजना चल रही है। |
| | | 8. लेदर क्रॉफ्ट क्लस्टर, बाड़मेर | परियोजना चल रही है। |
| | | 9. हेण्ड एमबरोएडरी क्रॉफ्ट क्लस्टर, जैसलमेर | परियोजना चल रही है। |
| 3. | 2019—20 | 1. लेदर जुटटी क्लस्टर, गंगरार,चितौड़गढ़ | परियोजना चल रही है। |

राज्य क्लस्टर विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2016—17 में 114.93 लाख रुपये एवं 2017—18 में 168.50 लाख रुपये एवं वर्ष 2018—19 में 62.59 लाख रुपये एवं वर्ष 2019—20 में 59.67 लाख रुपये की राशि व्यय हुई है।

## (iii) राजस्थान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम सहायता योजना 2015

राज्य में उपलब्ध संसाधनों एवं सम्भाव्यताओं के आधार पर नये सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की स्थापना को प्रोत्साहित करने एवं पूर्व स्थापित उद्यमों के गुणवत्ता संवर्धन, पर्यावरण संरक्षण एवं इनमें वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकसित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.11.2015 को **राजस्थान सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम सहायता योजना—2015** लागू की गई है। इसके तहत निम्नानुसार प्रमुख प्रावधान हैं—

- वित्तीय संस्थानों से सम्पार्श्विक प्रतिभूति रहित ऋण प्राप्त करने के लिए सीजीएफटी एमएसई का लाभ लेने वाले उद्यमों को एकमुश्त सेवा प्रसंस्करण शुल्क अदा करने वाले एमएसएमई को इसका पुनर्भरण करने का प्रावधान
- एसएमई एक्सचेंज के जरिये केपिटल राईजिंग करने वाले लघु व मध्यम उद्यमों को इस हेतु किये गये व्यय का 10 प्रतिशत राशि का पुनर्भरण करने का प्रावधान

- उत्पाद गुणवत्ता नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को इस हेतु किये गये व्यय की 50 प्रतिशत राशि पुनर्भरण करने का प्रावधान
- पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से कॉमन एफ्यूलेन्ट ट्रीटमेंट प्लांट एवं एफ्यूलेन्ट ट्रीटमेंट प्लांट स्थापना पर किये गये पूँजीगत व्यय की 50 प्रतिशत राशि पुनर्भरण का प्रावधान

योजनान्तर्गत अब तक 1 उद्यम को पूंजी अभिवृद्धि व्यय का पुनर्भरण राशि 2.50 लाख उपलब्ध कराई गई है। वर्ष 2018—19 के दौरान अब तक किसी भी इकाई को सहायता राशि स्वीकृत नही की गई हैं। वर्ष 2019—20 में 6 ईकाईयों को 1,20,02,000 रूपये राशि वितरित की गई हैं।

## (iv) राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना—2014

राजस्थान में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना—2014 दिनांक 08.10.2014 को जारी की गई है।

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना—2014 दिनांक 08.10.2014 से दिनांक 31.03.2021 तक प्रभावी रहेगी।

**योजना हेतु पात्रता—** यह योजना नए उपक्रम, स्थापित उपक्रम जो विस्तार करना चाहें, रूग्ण इकाइयों के पुनर्जीवन एवं चयनित सेवाओं में किये गये निवेश पर लागू होगी। इस प्रकार इसमें **पात्रता** निम्ननुसार होगी—

- नवीन उद्यम स्थापित करने पर
- वर्तमान उद्यम द्वारा विस्तार हेतु निवेश करने पर
- रूग्ण औद्योगिक इकाई को पुनर्जिवित करने पर

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना—2014 के अन्तर्गत निम्नानुसार **छूट/लाभ** के प्रावधान किए गए हैं—

(i) मुद्रांक शुल्क एवं भू—रूपान्तरण शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट

(ii) विद्युत कर, मण्डी शुल्क एवं भूमि कर में 50 प्रतिशत की छूट (7 वर्षों के लिए)

(iii) 30 प्रतिशत निवेश अनुदान व 20 प्रतिशत रोजगार सृजन अनुदान (7 वर्षों के लिए)

(iv) टेक्सटाइल क्षेत्र के लिए 5 से 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान 5 वर्ष तक।

(v) टेक्सटाइल, एग्रो प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग एवं बायोटेक्नोलॉजी इकाइयों को ईटीपी स्थापना पर 20 प्रतिशत पूंजी अनुदान।

➢ निम्नांकित थ्रस्ट सेक्टर्स के लिए विशेष प्रावधान–

| क.सं. | विनिर्माण क्षेत्र (मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर) | सेवा क्षेत्र (सर्विस सेक्टर) |
|---|---|---|
| 1. | (i) सिरेमिक्स व ग्लास | (i) आईटी |
| 2. | (ii) डेयरी | (ii)बायोटेक्नोलोजी |
| 3. | (iii) एम.एस.एम.ई. | (iii) ट्यूरिज्म |
| 4. | (iv) ई.एस.डी.एम. (इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन मैन्यूफैक्चरिंग) | |
| 5. | (v) फार्मास्यूटीकल, | |
| 6. | (vi) प्लास्टिक टू ऑयल मैन्यूफैक्चरिंग, | |
| 7. | (vii) टेक्सटाईल | |
| 8. | (viii) इण्डस्ट्रियल गैसेज | |
| 9. | (ix) डिफेन्स | |
| 10. | (x) आई टी एण्ड रोबोटिक्स | |
| 11. | (xi) बायोटेक्नोलोजी | |
| 12. | (xii) कोटा स्टोन मार्बल एण्ड ग्रेनाईट | |
| 13. | (xiii) डिसेलीनेशन | |
| 14. | (xiv) एग्रो प्रोसेसिंग एण्ड एग्रो मार्केटिंग | |
| 15. | (xv) फूड प्रोसेसिंग | |

**कतिपय क्षेत्रों में अतिरिक्त लाभ–**

➢ महिला के लिए अतिरिक्त लाभ प्रस्तावित है।

➢ अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए अतिरिक्त लाभ प्रस्तावित है।

➢ पिछडा एवं अतिपिछडा क्षेत्रों में किये गये निवेश पर भी अतिरिक्त लाभ का प्रावधान है।

➢ एक निश्चित सीमा से अधिक निवेश करने एवं रोजगार प्रदान करने वाली इकाइयों को कस्टमाईज पैकेज स्वीकृत करने का प्रावधान भी किया गया है।

जीएसटी लागू होने के पश्चात् योजना में संशोधन आदेश दिनांक 30.04.2018 को जारी कर दिए गए हैं।

**प्रगतिः**

| वर्ष | प्राप्त प्रस्ताव | जारी छूट प्रमाण पत्र | निवेश (राशि करोड़ में ) |
|---|---|---|---|
| **2016–17** | 2102 | 1465 | 10599 |
| **2017–18** | 1049 | 691 | 8768.56 |
| **2018–19** | 1594 | 1480 | 39638.52 |
| **2019–20** (माह दिसम्बर, 2019 तक) | 908 | 690 | 21820.45 |

**नोटः–** मुख्यालय स्तर पर वर्ष 2019–20 में माह दिसम्बर,2019 तक 48 छूट प्रमाण पत्र जारी किये गये जिनमें 20300.76 करोड़ रूपये का निवेश प्राप्त हुआ।

## (v) राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना–2019

राजस्थान में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना–2019 दिनांक 17.12.2019 से प्रभावी हो गई है।

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना–2019 दिनांक 17.12.2019 से दिनांक 31.03.2026 तक प्रभावी रहेगी।

**योजना हेतु पात्रता–** यह योजना नए उपक्रम तथा स्थापित उपक्रम द्वारा विस्तार करने पर किये गये निवेश पर लागू होगी।

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना–2019 के अन्तर्गत निम्नानुसार **छूट/लाभ** के प्रावधान किए गए हैं–

1. निवेश अनुदान (Investment Subsidy) – देय एवं जमा एस.जी.एस.टी. का 75 %
2. रोजगार सृजन अनुदान (Employment Generation Subsidy) – श्रमिकों के ईपीएफ/ ईएसआई के नियोक्ता (Employer) के अंशदान का न्यूनतम 50 % पुनर्भरण
3. विद्युत कर (Electricity Duty) – 100 % छूट सात वर्षों के लिए
4. मण्डी शुल्क (Mandi Fee) – 100 % छूट सात वर्षों के लिए
5. भूमि कर (Land Tax) – 100 % छूट सात वर्षों के लिए
6. स्टाम्प ड्यूटी (Stamp Duty) – 100 % छूट
7. भूमि रूपान्तरण शुल्क (Land Conversion Tax) – 100 % छूट

निम्नांकित थ्रस्ट सेक्टर्स के लिए विशेष प्रावधान–

| विनिर्माण क्षेत्र (मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर) | सेवा क्षेत्र (सर्विस सेक्टर) |
|---|---|
| 1. कृषि प्रसंस्करण | 1. दवा निर्माण क्षेत्र में कोल्ड चेन |
| 2. ऑटो–कम्पोनेन्ट | 2. कॉमन यूटिलिटी सेन्टर |
| 3. बॉयो–टेक्नोलोजी | 3. औद्योगिक पार्क |
| 4. सेरेमिक एण्ड ग्लास | 4. कृषि उत्पाद संरक्षण व मूल्य संवर्धन हेतु आधारभूत सुविधा |
| 5. केमिकल | 5. सूचना प्रौद्योगिकी पार्क |
| 6. डेयरी | 6. सूचना प्रौद्योगिकी उद्यम |
| 7. डिफेन्स | 7. लॉजिस्टिक इन्फ्रास्टक्चर |
| 8. दिल्ली मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर एरिया के उद्यम | 8. प्लग एण्ड प्ले ऑफिस काम्प्लेक्स |
| 9. इलैक्ट्रिक व्हीकल | 9. स्टार्ट–अप्स |
| 10. इलैक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाईन–निर्माण | 10. सामाजिक आधारभूत सुविधा |
| 11. फूड प्रोसेसिंग | 11. टेस्टिंग व रिसर्च प्रयोगशाला |
| 12. जेम्स एण्ड ज्वैलरी | |
| 13. हैण्डीक्राफ्ट | |
| 14. औद्योगिक गैस | |
| 15. चमड़ा, जूते एवं सह–उत्पाद | |
| 16. एम–सेण्ड | |
| 17. मेडिकल डिवाईस निर्माण | |
| 18. खनिज आधारित निर्माण | |
| 19. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम | |
| 20. पेट्रोलियम सहायक उद्यम | |
| 21. पेट्रोकेमिकल | |
| 22. दवा निर्माण | |
| 23. सौर ऊर्जा उपकरण | |
| 24. स्टार्ट–अप्स | |
| 25. टेक्स टाईल | |
| 26. विंड टर्बाइन निर्माण क्षेत्र | |

## (vi) राजस्थान सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम (फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेन्ट एण्ड ऑपरेशन) अधिनियम, 2019

नवीन सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम उद्यमों की सरल स्थापना हेतु उद्यमों को प्रारम्भिक वर्षों में राज्य के विभिन्न एक्ट्स के अधीन दी जाने वाली स्वीकृतियों एवं सम्बन्धित निरीक्षणों से मुक्त करने हेतु राजस्थान सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम (फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेन्ट एण्ड ऑपरेशन) अध्यादेश, 2019 दिनांक 04.03.2019 को तथा अधिनियम के रूप में दिनांक 17.07.2019 को अधिसूचित किया गया है। अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु रूल्स भी दिनांक 24.05.2019 को अधिसूचित कर दिये गये हैं।

इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उद्यमी एक निर्धारित प्रारूप में "उद्यम स्थापना करने का आशय" (Declaration of Intent) नोडल एजेन्सी (बी.आई.पी.) को प्रस्तुत करेगा और नोडल एजेन्सी द्वारा "प्राप्ति का प्रमाण–पत्र" (Acknowledgment Certificate) जारी किया जायेगा। यह Acknowledgment Certificate प्राप्त करने के 3 वर्षों तक उद्यम विभिन्न विभागों की स्वीकृतियों व निरीक्षणों से मुक्त रहेगा। उद्यमों को 3 वर्षों की समाप्ति के पश्चात् 6 माह में आवश्यक स्वीकृतियॉ प्राप्त करनी होंगी।

अधिनियम में विभागों को भारत सरकार के अधिनियमों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय अधिनियमों के अन्तर्गत भी उद्यमों को स्वीकृतियों व निरीक्षणों से मुक्त करने हेतु अधिकृत किया गया था। फैक्ट्रीज एण्ड बॉयलर विभाग द्वारा अधिसूचना दिनांक 16.09.2019 जारी कर Acknowledgment Certificate प्राप्त करने के 3 वर्षों तक उद्यमों को Indian Boiler Act, 1923 के अन्तर्गत स्वीकृति एवं निरीक्षणों से मुक्त कर दिया गया है।

अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु ऑनलाईन पोर्टल (https://rajudyogmitra.rajasthan.gov.in/) का शुभारम्भ दिनांक 12.06.2019 को किया गया है। दिनांक 12.06.2019 से माह दिसम्बर, 2019 तक 2878 नये उद्यम स्थापित करने वाले आवेदको ने (https://rajudyogmitra.rajasthan.gov.in/) पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन कर Acknowledgment Certificate प्राप्त किये है।

## (vii) राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को विपणन (मार्केटिंग) प्रोत्साहन

राज्य सरकार ने राज्य की सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों द्वारा उत्पादित उत्पादों का विपणन राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं राज्य सरकार के उपक्रमों में सुनिश्चित करने हेतु सामान्य वित्तीय एवं लेखा अनुभाग द्वारा अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 जारी की गई। इस अधिसूचना के तहत राज्य की सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगां को निविदा में भाग लेने पर निम्न सुविधाएं देय हैः

1. पंजीकृत सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को टेण्डर फार्म आधी कीमत पर दिये जाने का प्रावधान।
2. निविदा में भाग लेने पर आर्नेस्ट मनी 0.5 प्रतिशत व सिक्योरिटी मनी 1 प्रतिशत दिये जाने का प्रावधान ।

3. 99 उत्पादों को आरक्षित सूची में सम्मिलित किया गया है, जिनका विनिर्माण करने वाले सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से ही क्रय किया जाना अनिवार्य है।

4. राज्य की सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को क्रय वरीयता दिये जाने का प्रावधान है, जिसके अन्तर्गत आपूर्ति मात्रा का न्यूनतम दर पर 80 प्रतिशत राज्य की औद्योगिक इकाइयों से एवं उसमें 60 प्रतिशत राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों एवं इस 60 प्रतिशत का 4 प्रतिशत SC/ST स्वामित्व वाली इकाइयॉ से ही क्रय किये जाने का प्रावधान है।

इन नियमों की अवहेलना का प्रकरण किसी औद्योगिक इकाई अथवा औद्योगिक संघ द्वारा कार्यालय आयुक्त, उद्योग के ध्यान में लाया जाता है, तो संबंधित विभाग को नियमों की पालना बाबत लिखा जाता है, फिर भी कोई विभाग इन नियमों की पालना नही करता है, तो प्रकरण वित्त विभाग के ध्यान में लाया जाता है।

विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा क्रय किये जाने वाला आईटम अनुसूची प्रथम में सम्मिलित होने पर विभाग का अधिकारी आयुक्त, उद्योग के प्रतिनिधि के रूप में क्रय समिति की बैठकों में सम्मिलित होगा। इस हेतु विभागीय अधिकारियों को विभाग आवंटित हैं।

वित्त (सा.वि.ले.नियम) विभाग, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक–एफ.1(8)वित्त/सा.वि.ले.नि./2011 दिनांक 19.11.2015 के नियम–3(e) की अनुपालना में उद्योग विभाग के प्रतिनिधि, जो उपनिदेशक, सहायक निदेशक, जिला उद्योग अधिकारी तथा महाप्रबंधक को आयुक्त, उद्योग के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने हेतु शिड्यूल में उल्लेखित उत्पदों की खरीद सम्बन्धित बैठकों में भाग लेने हेतु अधिकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य स्त्रोत से खरीद किये जाने वाले आईटम्स, जो दस लाख से अधिक के मूल्य के सामानों के क्रय हेतु गठित क्रय समिति की बैठकों में भी उद्योग विभाग के प्रतिनिधि को भी अधिकृत किया गया है।

सूक्ष्म, लघु उद्यमियों के विपणन प्रोत्साहन हेतु राज्य सरकार के आदेश क्रमांक–प.37/उद्योग/2/2001 दिनांक 10.11.2003 व 4.4.2013 की पालना में राजसिको द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले स्टील फर्नीचर, टेन्ट एवं त्रिपाल, बारबेड वायर, पॉलिथीन बैग उत्पादों की दरें निर्धारण करने हेतु आयुक्त, उद्योग की अध्यक्षता में दर निर्धारण समिति का गठन किया गया है।

सूक्ष्म, लघु औद्योगिक इकाइयों के विपणन प्रोत्साहन हेतु मेले एवं प्रदर्शनी के आयोजन बाबत राशि उद्यम प्रोत्साहन संस्थान के पी.डी. खाते में स्थानान्तरित करने हेतु पत्रावली राज्य सरकार को प्रेषित की जाती है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में मेले/प्रदर्शनी मद में 1.15 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान था। इसके अतिरिक्त शहरी एवं ग्रामीण हाट संचालन हेतु 20.00 लाख रूपये की राशि आवंटित की गई है,

जिसे सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्रों को उनकी मांग के अनुसार आवंटित कर दी गई। वित्तीय वर्ष 2019–20 में 1.15 करोड़ रूपये की राशि मेले एवं प्रदर्शनी हेतु प्रावधित की गई थी तथा ग्रामीण एवं शहरी हाटों के संचलान के लिए 20 लाख रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है।

## (viii) राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार

### (राजस्थान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम दिवस पर)

राज्य सरकार द्वारा 2016 में राजस्थान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम दिवस पर राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार योजना घोषित की गई। राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष विश्वकर्मा दिवस 17 सितम्बर को राजस्थान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम दिवस समारोह के रूप में मनाया जाता है। इस दिन राज्य स्तरीय समारोह में उत्कृष्ट उद्यमियों, बुनकरों एवं हस्तशिल्पियों को सम्मानित किया जाता है। जिला स्तरीय समारोह में उद्यमियों, बुनकरों एवं हस्तशिल्पियों को आमंत्रित कर संगोष्ठी आयोजित की जाकर राज्य व केन्द्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, उनके लिए उपयोगी प्रावधानों एवं नियमों की जानकारी प्रदान की जाती है।

योजनान्तर्गत राज्य के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहित करने के दृष्टिकोण से व्यवसाय के टर्नओवर में उत्कृष्ट वृद्धि, व्यवसायिक नवाचार, महिला उद्यमियों द्वारा व्यवसाय के टर्नओवर में उत्कृष्ट वृद्धि, एवं रूग्ण उद्यमों के पुनरूद्धार पर विशेष योगदान करने वाले उद्यमों को पुरस्कृत/सम्मानित करने के लिए प्रत्येक श्रेणी में 4 उद्यमों को पुरस्कृत करने का प्रावधान रखा गया है। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले बुनकरों एवं हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक–एक बुनकर एवं हस्तशिल्पी को राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार व राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस प्रकार 12 उद्यमियों को राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार एवं एक राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार व एक राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार प्रतिवर्ष देने का प्रावधान है। जिसमें प्रत्येक विजेता को एक लाख रुपये की धनराशि, शॉल एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाता है। वर्ष 2017–18 में योजनान्तर्गत समाचार पत्रों एवं अन्य संचार माध्यमों से विज्ञापन जारी कर आवेदन मांगे गये थे। जिनमें से पात्र 5 उद्यमों को राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार एवं एक बुनकर को राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार व एक हस्तशिल्पी को राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 2018–19 के दौरान 7 उद्यमियों को उद्योग रत्न, 4 बुनकरों को बुनकर रत्न पुरस्कार एवं एक शिल्पी को शिल्प रत्न पुरस्कार दिये गये।

# (ix) उद्योगों हेतु मेले, प्रदर्शनी व हाट व्यवस्था

## (उद्यम प्रोत्साहन संस्थान तथा शहरी एवं ग्रामीण हाट के माध्यम से)

राज्य सरकार ने राज्य के दस्तकारों, बुनकरों एवं लघु उपकर्मियों के उत्पादों की मार्केटिंग हेतु राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तर पर औद्योगिक प्रदर्शनियों का आयोजन, बायर–सेलर मीट आदि करने के लिए उद्यम प्रोत्साहन संस्थान का गठन माह अक्टूम्बर, 1995 में किया गया। संस्थान के माध्यम से वर्ष 2018–19 में 89 मेला प्रदर्शनियों एवं क्रेता–विक्रेता सम्मेलनों का आयोजन किया गया, जिनमें 11611 ईकाईयों/दस्तकारों/लघु उपकर्मियों ने भाग लिया तथा लगभग 3113.94 लाख रुपये की बिक्री एवं क्रय आदेश प्राप्त हुए।

उद्यम प्रोत्साहन संस्थान द्वारा वर्षपर्यन्त दस्तकारों/बुनकरों/स्वयं सहायता समूहो एवं लघु उपक्रमियों के उत्पादों के प्रदर्शन एवं विक्रय की दृष्टि से राज्य में निम्न **10 ग्रामीण हाट** एवं **3 शहरी हाट** स्थापित किये गये हैंः–

**ग्रामीण हाटः**– भीलवाडा, भरतपुर, बीकानेर, चित्तौडगढ, झुंझुनूं, राजसमन्द, उदयपुर, कोटा, दौसा एवं जैसलमेर।

**शहरी हाटः**–जयपुर, जोधपुर एवं अजमेर।

## <u>शहरी एवं ग्रामीण हाटों का विवरण</u>

| क्र.सं. | नाम | पता | टेलीफोन | कॉन्टेक्ट परसन |
|---|---|---|---|---|
| 1. | शहरी हाट, जयपुर | मन्दिरजी बलदेवजी परशुरामद्वारा परिसर, जलमहल के सामने, आमेर रोड़, जयपुर | 0141.2671466 | प्रबंध निदेशक, उद्यम प्रोत्साहन संस्थान, जयपुर |
| 2. | शहरी हाट, जोधपुर | झालामंड चौराहा, पाली रोड़, जोधपुर | 0291.2431937 | महाप्रबंधक, जिउके, जोधपुर |
| 3. | शहरी हाट, अजमेर | आनासागर झील के पास, वैशाली नगर, अजमेर | 0145.2643791 | महाप्रबंधक, जिउके, अजमेर |
| 4. | शहरी हाट, सीकर | कृषि उपज मण्डी के सामने आईआईटी के पास, जयपुर रोड़ ,सीकर | 01572.245434 | महाप्रबंधक, जिउके, सीकर |
| 5. | ग्रामीण हाट, भीलवाड़ा | खसरा नं. 1489 ग्राम हरनी, तह. –भीलवाड़ा | 01482.240906 | महाप्रबंधक, जिउके, भीलवाडा |
| 6. | ग्रामीण हाट, भरतपुर | खसरा नं. 1691, कम्पनी बाग, भरतपुर | 05644.222422 | महाप्रबंधक, जिउके, भरतपुर |
| 7. | ग्रामीण हाट, बीकानेर | सेक्टर–2, जयनारायण व्यास नगर, बीकानेर | 0151.2200325 | महाप्रबंधक, जिउके, बीकानेर |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8. | ग्रामीण हाट, चित्तौड़गढ़ | ग्राम सेती, उदयपुर रोड़, चित्तौड़गढ़ | 01472.256073 | महाप्रबंधक, जिउके, चित्तौडगढ |
| 9. | ग्रामीण हाट, नाथद्वारा (राजसमन्द) | लालबाग, नाथद्वारा, जिला–राजसमन्द | 02952.221382 | महाप्रबंधक, जिउके, राजसमन्द |
| 10. | ग्रामीण हाट, जैसलमेर | मगरा ग्राम–जैसलमेर जिला–जैसलमेर | 02992.252273 | महाप्रबंधक, जिउके, जैसलमेर |
| 11. | ग्रामीण हाट, कोटा | छत्र विलास उद्यान, कोटा | 0744.2363129 | महाप्रबंधक, जिउके, कोटा |
| 12. | ग्रामीण हाट, उदयपुर | रेती स्टेण्ड, सवसिटी सेन्टर, सविना, उदयपुर | 0294.2490941 | महाप्रबंधक, जिउके, उदयपुर |
| 13. | ग्रामीण हाट, दौसा | जयपुर रोड़, दौसा | 01427.224430 | महाप्रबंधक, जिउके, दौसा |
| 14. | ग्रामीण हाट, झून्झूनु | ग्राम–आबूसर, जिला झुन्झुनू | 01592.250013 | महाप्रबंधक, जिउके, झूंझूनु |

**वर्ष 2019–20 में उद्यम प्रोत्साहन संस्थान द्वारा आयोजित मेला–प्रदर्शनियों / केता–विकेता सम्मेलनों का विवरण**

| *क. सं.* | *मेला प्रदर्शनी* | *मेला प्रदर्शनी स्थल* | *अवधि* | | *प्रतिभागियों की अनुमानित संख्या* | *बिकी / विकय अनुमान (रूपये लाखों में)* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | कब से कब तक | *कुल दिवस* | | |
| 1. | साप्ताहिक मंगल हाट (32) | ग्रामीण हाट, भरतपुर | 2019 | 32 | 7371 | 71.71 |
| 2. | काफ्ट इण्डिया | अरबन हाट, अजमेर | 13.04.2019 से 30.04.2019 | *19* | 70 | 35.00 |
| | काफ्ट | | 24.05.2019 से 26.05.2019 | *03* | 85 | 40.00 |
| 3. | ग्रीष्म उद्योग काफ्ट मेला | अरबन हाट, अजमेर | 31.05.2019 से 03.06.2018 | *10* | 25 | 4.00 |
| 4. | नवरात्रा उत्सव | अरबन हाट, अजमेर | 27.09.2019 से 09.10.2019 | *13* | 34 | 7.00 |
| 5. | रक्षाबंधन उत्सव | अरबन हाट, अजमेर | 05.08.2019 से 14.08.2019 | *10* | 32 | 5.09 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | दीपोत्सव हस्तशिल्प मेला | अरबन हाट, अजमेर | 17.10.2019 से 26.10.2019 | *10* | 42 | 7.00 |
| 7. | शिल्प शाला | भारतीय शिल्प संस्थान,जयपुर | 24.06.2019 से28.06.2019 | 5 | 250 | ट्रेनिंग प्रोग्राम |
| 8. | तीज लहरिया उत्सव | राजस्थली जयपुर | 26.07.2019 से 30.07.2019 | 5 | 50 | 15.75 |
| 9. | 150 वीं गांधी जयंती मेला | राजस्थली जयपुर | 02.10.2019 से 04.10.2019 | 3 | 6 | 0.10 |
| 10. | CII चण्डीगढ़ मेला | परैड मैदान चण्डीगढ़ | 18.10.2019 से 21.10.2019 | 4 | 7 | 6.25 |
| 11. | पश्चिमी राजस्थान हस्तशिल्प उत्सव | जोधपुर | 03.01.2020 से 12.01.2020 | 10 | 650 | — |

## (x) औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर

औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने तथा उद्योग स्थापना से सम्बन्धित नियमों एवं प्रक्रियाओं की जानकारी देने हेतु जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा जिला एवं पंचायत समिति के स्तर पर औद्योगिक प्रोत्साहन शिविरों का आयोजन किया जाता है। इन औद्योगिक शिविरों में उद्यमियों को उद्योग स्थापित करने से संबंधित मार्गदर्शन के साथ साथ उद्योगों के एन्टरप्रन्योर मेमोरेण्डम, कच्चेमाल की उपलब्धता, मशीन सप्लायर्स, राज्य में उपलब्ध संसाधन, वित्तीय सुविधाओं, उद्योगों को देय सहायता/सुविधाओं आदि के बारे में जानकारी देने के साथ साथ शिविरों में उपस्थित होने वाले उद्यमियों को विभिन्न प्रकार की जानकारी वाले पम्पलेट्स वितरित किये जाते हैं एवं वित्तीय संस्थाओं के ऋण आवेदन पत्र तैयार करने तथा स्वीकृतियाँ जारी कराने आदि कार्य भी शिविर स्थल पर ही सम्पन्न किये जाते हैं।

### औद्योगिक प्रोत्साहन शिविरों का आयोजन

| क्र0सं0 | वर्ष | जिला स्तर | | पंचायत समिति स्तर | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | लक्ष्य | प्रगति | लक्ष्य | प्रगति |
| 1. | **2016—17** | 34 | 59 | 248 | 265 |
| 2. | **2017—18** | 34 | 94 | 248 | 352 |
| 3. | **2018—19** | 35 | 62 | 248 | 254 |
| 4. | **2019—20** (माह दिसम्बर, 2019 तक) | 35 | 33 | 248 | 182 |

## (xi) राजकीय उपापन में राज्य के उद्यमों को आरक्षण, मूल्य व क्रय वरीयता

राज्य के सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों को राजकीय उपापन में आरक्षण व वरीयता देने के लिए अधिसूचना जारी की गई है। राजकीय उपापन हेतु सूचीबद्ध 99 उत्पाद राज्य के सूक्ष्म व लघु उद्यमों से ही क्रय किये जा सकेंगे तथा अन्य उत्पादों के क्रय हेतु भी राज्य के सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों को मूल्य व क्रय वरीयता प्रदान करने के प्रावधान किये गये हैं। इन उद्यमों को निविदा दस्तावेज निर्धारित दर से 50 प्रतिशत मूल्य पर उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। धरोहर राशि एवं परफोरमेंस सिक्योरिटी राशि में भी रियायत का प्रावधान है।

# (4) उद्योग विभाग से संबंधित अन्य कार्य एवं संस्थान

## (i) ऋण/ब्याज वसूली

**ऋण/ब्याज की वसूली/अपलेखन के आवंटित लक्ष्य व उसके विरूद्ध उपलब्धि का विवरण**

(राशि लाख रुपये में)

| क्र. सं. | जिला उद्योग केन्द्र | वर्ष 2016–17 | | वर्ष 2017–18 | | वर्ष 2018–19 | | वर्ष 2019–20 (नवम्बर, 2019 तक) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि |
| 1. | अजमेर | 2.99 | 00.00 | 3.08 | 00.00 | 3.11 | 00.00 | 3.73 | 00.00 |
| 2. | अलवर | 6.63 | 00.00 | 6.91 | 00.07 | 6.94 | 00.26 | 8.33 | 00.00 |
| 3. | बांसवाडा | 5.15 | 00.19 | 5.43 | 00.00 | 5.26 | 00.00 | 6.31 | 00.05 |
| 4. | बारां | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 0.00 | 00.00 | 0.00 | 00.00 |
| 5. | बाडमेर | 02.24 | 00.00 | 02.31 | 00.00 | 2.34 | 00.00 | 2.80 | 00.00 |
| 6. | भरतपुर | 02.52 | 00.00 | 02.58 | 00.00 | 2.61 | 00.00 | 3.13 | 00.02 |
| 7. | भीलवाडा | 10.42 | 00.00 | 10.42 | 00.00 | 10.45 | 00.00 | 12.54 | 00.00 |
| 8. | भिवाडी | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 0.00 | 00.00 | 0.59 | 00.00 |
| 9. | बीकानेर | 00.48 | 00.00 | 00.48 | 00.00 | 0.51 | 00.00 | 0.61 | 00.00 |
| 10. | बून्दी | 00.38 | 00.00 | 00.38 | 00.00 | 0.41 | 00.00 | 0.49 | 00.00 |
| 11. | चित्तौडगढ | 01.04 | 00.02 | 01.05 | 00.02 | 1.08 | 00.04 | 1.29 | 00.00 |
| 12. | चुरू | 05.53 | 00.06 | 04.31 | 00.00 | 4.35 | 00.21 | 5.22 | 00.05 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. | दौसा | 00.43 | 00.00 | 00.43 | 00.00 | 0.46 | 00.00 | 0.56 | 00.00 |
| 14. | धौलपुर | 00.81 | 00.00 | 00.81 | 00.00 | 0.84 | 00.00 | 1.01 | 00.00 |
| 15. | डूंगरपुर | 00.70 | 00.00 | 00.70 | 00.00 | 0.73 | 00.00 | 0.88 | 00.00 |
| 16. | हनुमानगढ | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 0.00 | 00.00 | 0.00 | 00.00 |
| 17. | जयपुर(ग्रा.) | 03.65 | 00.00 | 03.65 | 00.08 | 3.68 | 00.00 | 4.42 | 00.00 |
| 18. | जयपुर (श.) | 36.60 | 00.00 | 36.60 | 00.00 | 36.63 | 00.00 | 43.95 | 00.00 |
| 19. | जैसलमेर | 00.08 | 00.08 | 00.06 | 00.00 | 0.00 | 00.00 | 0.00 | 00.00 |
| 20. | जालौर | 00.11 | 00.00 | 00.11 | 00.00 | 0.00 | 00.00 | 0.00 | 00.00 |
| 21. | झालावाड | 01.36 | 00.00 | 01.40 | 00.00 | 1.43 | 00.00 | 1.71 | 00.00 |
| 22. | झुंझुनू | 04.63 | 00.00 | 04.85 | 00.00 | 4.88 | 00.00 | 5.85 | 00.00 |
| 23. | जोधपुर | 09.32 | 00.00 | 09.32 | 00.00 | 9.36 | 00.00 | 11.23 | 00.00 |
| 24. | करौली | 02.12 | 00.00 | 02.18 | 00.00 | 2.21 | 00.00 | 2.65 | 00.00 |
| 25. | कोटा | 03.87 | 00.00 | 03.87 | 00.00 | 3.98 | 00.00 | 4.77 | 00.37 |
| 26. | नागौर | 06.66 | 00.00 | 06.66 | 00.00 | 6.69 | 00.00 | 8.03 | 00.00 |
| 27. | पाली | 00.66 | 00.00 | 00.66 | 00.00 | 0.69 | 00.00 | 0.83 | 00.00 |
| 28. | राजसमन्द | 00.00 | 00.50 | 00.00 | 00.00 | 0.00 | 00.00 | 0.00 | 00.00 |
| 29. | स.माधोपुर | 01.03 | 00.00 | 01.03 | 00.00 | 1.06 | 00.00 | 1.27 | 00.00 |
| 30. | सीकर | 06.18 | 00.00 | 06.35 | 00.00 | 6.38 | 00.00 | 7.65 | 00.00 |
| 31. | सिरोही | 01.72 | 00.00 | 01.09 | 00.00 | 1.12 | 00.00 | 1.34 | 00.00 |
| 32. | श्रीगंगानगर | 01.14 | 00.00 | 01.14 | 00.00 | 1.17 | 00.00 | 1.41 | 00.00 |
| 33. | टौंक | 01.92 | 00.00 | 01.97 | 00.02 | 2.01 | 00.00 | 2.41 | 00.00 |
| 34. | उदयपुर | 03.09 | 00.04 | 03.10 | 00.00 | 3.13 | 00.00 | 3.76 | 00.00 |
| 35. | प्रतापगढ़ | 01.01 | 00.00 | 01.09 | 00.00 | 1.12 | 00.00 | 1.34 | 00.00 |
| 36. | फलौदी | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 0.00 | 00.00 | 0.00 | 00.00 |
| | **योगः—** | **124.47** | **00.89** | **124.02** | **00.19** | **124.63** | **00.51** | **150.11** | **00.49** |

**(ii)** जिला उद्योग केन्द्रों में नये निर्माण/नवीनीकरण के कार्य

सामान्य प्रशासन शाखा में जिला उद्योग केन्द्रों में नये निर्माण/नवीनीकरण के कार्यों हेतु प्रावधित राशि की सार्वजनिक निमाण विभाग द्वारा व्यय की जाती है, जिसका विवरण निम्नानुसार प्रेषित है:–

| क्र. सं. | वर्ष | जिला उद्योग केन्द्र का नाम | राशि (लाख रु.में) | व्यय राशि (लाख रु.में) |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **2016–17** | जिला उद्योग केन्द्र, कोटा, अलवर, बाड़मेर, ब्यावर (अजमेर), उदयपुर, बून्दी, जयपुर (ग्रामीण) एवं बांसवाड़ा में भवनों का नवीनीकरण तथा अजमेर के नव निर्मित भवन में मॉड्यूलर फर्नीचर स्थापित किये जाने हेतु। | 129.50 | 94.76 |
| **2.** | **2017–18** | जिला उद्योग केन्द्र, प्रतापगढ़ एवं फलौदी के कार्यालय भवन निर्माण तथा जोधपुर कार्यालय भवन का नवीनीकरण का कार्य। | 118.00 | 62.04 |
| **3.** | **2018-19** | जिला उद्योग केन्द्र, प्रतापगढ़ एवं फलौदी के कार्यालय भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु। | 137.79 | 89.94 |
| **4.** | **2019-20** | जिला उद्योग केन्द्र, प्रतापगढ़ एवं फलौदी के कार्यालय भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण कराने एवं चुरू के कार्यालय भवन नवीनीकरण के कार्य हेतु। | 100.00 | -<br>(दिनांक 31.12.2019 तक) |

## भाग– 3

# उद्योग विभाग प्रमुख विशिष्ट योजनाएँ

## (1) सामान्य स्वरोजगार योजनाएँ–

### (i) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा वर्ष 2008–09 में प्रारम्भ किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामोद्योग, औद्योगिक व सेवा क्षेत्र की गतिविधियों को बढ़ावा देकर रोजगार के नये अवसर प्रदान करना है। राष्ट्रीय स्तर पर योजना की क्रियान्वयन एवं नोडल एजेन्सी खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई है। योजना की प्रमुख विशेषताएँ निम्नांकित है :–

1. 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति, योजनान्तर्गत लाभ उठा सकता है।
2 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशों के अधीन रू 10.00 लाख तक के प्रोजेक्ट्स पर कोलेटरल सिक्योरिटी (प्रतिभूति) का प्रावधान नहीं हे।
3 सेवाक्षेत्र में अधिकतम 10.00लाख रुपये तथा विनिर्माण क्षेत्र उद्यम में अधिकतम 25.00 लाख रुपये तक की परियोजनाएँ योजनान्तर्गत पात्र है।
4 योजनान्तर्गतआवेदन हेतु कोपरेटिव सोसायटीज, दानदाता न्यास, सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में पंजीकृत संस्थान एवं स्वयं सहायता समूह भी पात्र है।
5 बैंको की प्रचलित दर पर ब्याज देय होगा तथा ऋण अदायगी की अवधि 3 से 7 वर्ष होगी।
6 सामान्य वर्ग के पुरूषों हेतु शहरी क्षेत्र में परियोजना लागत का 15 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्र में परियोजना लागत का 25 प्रतिशत अनुदान देय है। एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी/अल्पसंख्यकों/किसी भी जाति की महिला/भूतपूर्व सैनिक/विकलांग श्रेणी से संबंधित प्रार्थी को शहरी क्षेत्र में 25 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्र में 35 प्रतिशत अनुदान देय है।
7 वित्तीय वर्ष 2017–18 से योजना को पूर्णतया ऑनलाईन कर दिया गया है।

| क.सं. | वर्ष | लक्ष्य (इकाई संख्या) | ऋण वितरण (संख्या) | मार्जिन मनी (लाख रूपयें) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2016–17 | 1100 | 1132 | 2738.00 |
| 2. | 2017–18 | 990 | 1078 | 3165.00 |
| 3. | 2018–19 | 1245 | 1609 | 4742.13 |
| 4. | 2019–20 (31 दिसम्बर 2019 तक) | 1362 | 1019 | 2723.86 |

## (ii) भामाशाह रोजगार सृजन योजना (BRSY)

भामाशाह रोजगार सृजन योजना दिनांक 13.12.2015 से प्रारम्भ की गई थी। योजना की कालावधि **13 दिसम्बर, 2015 से 31 मार्च 2020** थी, जिसे बाद में संशोधित करके 13 दिसम्बर, 2015 से 20 जून 2019 कर दी गयी । **योजना बन्द हो चुकी है।**

योजनान्तर्गत बैंकों के माध्यम से अधिकतम 25 लाख रू. तक का ऋण 8 प्रतिशत ब्याज अनुदान लाभ के साथ उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान था। योजना वर्तमान में संचालन में नहीं है, किन्तु पूर्व में वितरित ऋणों पर ब्याज अनुदान पुनर्भरण दिया जा रहा है। वितरित ऋणों पर 5 वर्ष तक ब्याज अनुदान पुनर्भरण का प्रावधान है।

| क्र.सं. | वर्ष | ऋण वितरण (इकाई संख्या) | बैंकों द्वारा ऋण वितरण (राशि करोड रु.) | ब्याज अनुदान (राशि लाख रु.) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | **2016–17** | 8666 | 110.21 | 16.00 |
| 2. | **2017–18** | 10753 | 161.46 | 48.00 |
| 3. | **2018–19** | 10025 | 166.40 | 133.7 |
| 4. | **2019–20** (09 जनवरी 2020 तक ) | NIL | | 177.37 |

## (iii) मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना

स्वयं का उद्यम स्थापित करने हेतु बैंको के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से योजना प्रारम्भ की गई थी। योजनान्तर्गत बैंकों के माध्यम से अधिकतम 10 लाख रू. तक का ऋण 8 प्रतिशत ब्याज अनुदान लाभ के साथ उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान था। योजना वर्तमान में संचालन में नहीं है, किन्तु पूर्व में वितरित ऋणों पर ब्याज अनुदान पुनर्भरण दिया जा रहा है। वितरित ऋणों पर 5 वर्ष तक ब्याज अनुदान पुनर्भरण का प्रावधान है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष **2015–16** में 534.00 लाख रु.,वर्ष **2016–17** में 515.00 लाख रु.,वर्ष **2017–18** में 320.00 लाख रू., वर्ष **2018–19** में 168.05 लाख रु का व्यय हुआ है। वर्ष **2019–20 (09 जनवरी, 2020 तक)** में 58.25 लाख रु का व्यय हुआ है।

## (iv) मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना (MLUPY)

- उद्देश्य :– प्रदेश में उद्यमों की सरल स्थापना एवं राज्य के सभी वर्गों के व्यक्तियों को रोजगार के नये अवसर उपलब्ध कराने हेतु बैंकों के माध्यम से ब्याज अनुदान युक्त ऋण उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से यह योजना प्रारम्भ की जा रही है।

- **ऋणदात्रि संस्थान** :– योजना अन्तर्गत बैंकों (राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक तथा अनुसूचित स्मॉल फाईनेंस बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राजस्थान वित्त निगम एवं सिडबी) के माध्यम से विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार आधारित उद्यम हेतु ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।
- **उद्यम के प्रकार** :– नये स्थापित होने वाले उद्यम के साथ–साथ पूर्व स्थापित उद्यम भी विस्तार/विविधीकरण/आधुनिकीकरण इत्यादि हेतु लाभान्वित हो सकेंगे।
- **आवेदक** :– योजना अन्तर्गत व्यक्तिगत आवेदक के साथ साथ संस्थागत आवेदक (स्वयं सहायता समूह/सोसायटी/भागीदारी फर्म/एल.एल.पी.फर्म/कम्पनी) भी पात्र होंगे। योजनान्तर्गत उद्यम का स्थापना क्षेत्र राजस्थान राज्य होगा। व्यक्तिगत आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होना आवश्यक होगी।
- **ऋण की मात्रा** :– योजनान्तर्गत अधिकतम 10 करोड़ रू. तक का ऋण उपलब्ध करवाया जायेगा। व्यापार हेतु ऋण की अधिकतम सीमा 1 करोड़ रूपये रहेगी। ऋण का स्वरूप कम्पोजिट ऋण/सावधि एवं कार्यशील पूंजी (सी.सी.लिमिट सहित) होगा। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशानुसार 10 लाख रू. तक के ऋण पर सम्पार्श्विक प्रतिभूति की मांग नहीं की जायेगी।
- **ब्याज अनुदान** :– बैंकों द्वारा प्रदत्त ऋण पर ब्याज अनुदान के रूप में लाभार्थियों को प्रदान किया जायेगा, जो पॉच वर्ष तक नियमानुसार देय होगाः–

| क.सं. | अधिकतम ऋण राशि | ब्याज अनुदान |
|---|---|---|
| 1 | 25 लाख रू. तक | 8% |
| 2 | 25 लाख रू. से 05 करोड़ रू. तक | 6% |
| 3 | 05 करोड़ से 10 करोड़ रू. तक | 5% |

**प्रकिया** :–योजना में आवेदन ऑनलाईन प्रस्तुत करना होगा, जिसकी प्रक्रिया योजना क्रियान्वयन हेतु निर्धारित मार्गदर्शिका के अनुसार होगी। 10 लाख रू तक के ऋण आवेदन पत्र बिना साक्षात्कार के एवं इससे अधिक ऋण प्रकरणों को जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति द्वारा स्क्रूटनिंग पश्चात् मय अभिशंषा के बैंकों को अग्रेषित किए जा सकेंगें।

**ऑनलाईन आवेदन** :– ऑनलाईन आवेदन हेतु SSO.rajasthan.gov.in पर जा कर ऑनलाईन आवेदन कर सकते है।

# (2) हस्तशिल्प एवं संबंधित विकास योजनाएँ

## (क) राज्य में हस्तशिल्प : वस्तुस्थिति व सम्भावना – विकास, सम्भावना व हस्तशिल्प उत्पादों का निर्यात

### • राज्य में हस्तशिल्प विकास

राजस्थान के आर्थिक विकास में हस्तशिल्प अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। राज्य का हस्तशिल्प विश्वविख्यात है। यह क्षेत्र स्थानीय लोगों को रोजगार ही नहीं प्रदान करता बल्कि इससे विदेशी मुद्रा भी राज्य को प्राप्त होती है। राजस्थान के हस्तशिल्पों में मुख्यतः धातु शिल्प, पीतल पर नक्काशी, बन्धेज (टाई एण्ड डाई), तारकशी, मिनिएचर पेटिंग, कशीदा कार्य, एल्युमिनियम टायज, वुडन कार्विगं फर्नीचर, मार्बल की मूर्तियां, वुडन एण्ड मेटल क्राफ्ट, कारपेट (गलीचा), ब्ल्यू आर्ट पॉटरी, टेराकोटा (मिट्टी के बर्तन), पेपरमेशी, मार्बल स्टोन कारविंग, लकडी/कागज/हाथी दांत पर नक्काशी, कोटा डोरिया, थेवा क्राफ्ट, डाईग एण्ड प्रिटिंग (हाथ ठप्पा छपाई) से सम्बन्धित हस्तशिल्प सम्मिलित है। राज्य में हस्तशिल्प विकास की विपुल सम्भावनाऐं है। राज्य के पृथक–पृथक जिलों में प्रारम्भ से ही विभिन्न हस्तशिल्पों का विकास हुआ है। विभिन्न सांस्कृतिक एवं लोक कलाओं के साथ इनमें क्षेत्रीय परिवर्तन हुए, जिसके कारण आज राजस्थान में क्षेत्र अनुसार अनेक हस्तशिल्प प्रचलित है। राज्य में विकसित अधिकांश हस्तशिल्प दैनिक कार्यो में उपयोगी है, इसलिए यहां के हस्तशिल्प का बाजार न केवल ड्राइगंरूम या होटलों की सजावट करता है वरन् दैनिक उपयोग भी सुनिश्चित करता है। इसलिए राजस्थान के हस्तशिल्प की सदैव मांग बनी रहती है। राज्य से हस्तशिल्प के निर्यात की भी विपुल सम्भावनाऐं है। हस्तशिल्प के निर्यात में राजस्थान में जोधपुर ने एल्यूमिनियम एवं आयरन हैण्डीक्रफ्टस, बाडमेर ने वुडन कारविंग एवं जयपुर ने मार्बल की मूर्तियों व हस्तशिल्प उत्पादों (यथा कारपेट, प्रिन्टेड कपडा) के क्षेत्र में अपनी एक विशिष्ठ पहचान स्थापित करली है।

### • राज्य में हस्तशिल्प की सम्भावना

राज्य में हस्तशिल्प विकास की विपुल सम्भावनाएँ हैं। राज्य के पृथक–पृथक जिलों में प्रारम्भ से ही विभिन्न हस्तशिल्पों का विकास हुआ। विभिन्न सांस्कृतिक एवं लोक कलाओं के साथ इनमें क्षेत्रीय परिवर्तन हुए। जिसके कारण आज राजस्थान में क्षेत्र अनुसार अनेक हस्तशिल्प प्रचलित है। राज्य में विकसित अधिकांश हस्तशिल्प दैनिक कार्यो में उपयोगी है। इसलिए यहां के हस्तशिल्प का बाजार न केवल ड्राइगंरूम या होटलों की सजावट करता है वरन् दैनिक उपयोग भी सुनिश्चित करता है। इस कारण राजस्थान के हस्तशिल्पियों की सदैव मांग बनी रहती है। राज्य से हस्तशिल्प के निर्यात की भी विपुल सम्भावनाएँ है। हस्तशिल्प के निर्यात में जोधपुर ने एल्यूमिनियम एवं आयरन हैण्डीक्राफ्टस्,

बाडमेर ने वुडन कार्विंग एवं जयपुर ने मार्बल की मूर्तियों व हस्तशिल्प उत्पादों (यथा कारपेट, प्रिन्टेड कपड़ा) के क्षेत्र में अपनी एक विशिष्ट पहचान स्थापित की है।

- **राज्य में हस्तशिल्प उत्पाद का निर्यात**

**प्राप्त आंकडों के अनुसार वर्ष 2017–18 में 4825.42 करोड़ रूपये के विभिन्न हस्तशिल्प उत्पादों का निर्यात हुआ।** राजस्थान से हस्तशिल्प के निर्यात में वृद्धि हेतु राज्य सरकार द्वारा निम्न योजनाओं पर कार्य किया जा रहा हैः–

एयर कारगो काम्पलैक्स, जयपुरः–

जयपुर में जेम एण्ड ज्वैलरी, हैण्डीक्राफ्ट जैसे कम वजन वाले आईटम्स को निर्यात के लिए एयर लिफ्टिंग की सुविधाऐं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजस्थान लघु उद्योग निगम लि. द्वारा एक एयर कारगो कॉम्पलेक्स संचालित किया जा रहा है जिसमें सभी प्रकार की आधारभूत सुविधाऐं एक ही स्थान पर उपलब्ध है। यहां कस्टम का इन्स्टेण्ट क्लीयरेन्स किया जाता है ताकि निर्यातकों को मुम्बई एवं दिल्ली स्थित अन्तर्राष्ट्रीय एअरपोर्ट पर नहीं जाना पडे।

इन्लैण्ड कन्टेनर डिपोः–

राजस्थान राज्य एक सूखा बन्दरगाह क्षेत्र है, यहां सूखा बन्दरगाह की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य विभिन्न ऐजन्सियों के द्वारा इन्लैण्ड कन्टेनर डिपों संचालित किये जा रहा है। इस प्रकार के डिपों में समस्त प्रकार की आधारभूत सुविधायें उपलब्ध होती है तथा कस्टम का इन्स्टेण्ट क्लीयरेन्स किया जाता है ताकि निर्यातकों को कांडला, बुम्बई स्थिति अन्तर्राट्रीय बन्दरगाहों पर नहीं जाना पडे। यह आईसीडी क्रमशः जयपुर, खाटूवास एवं जोधपुर स्थित है।

हस्तशिल्पियों को निर्यात पुरस्कारः–

राज्य के निर्यातकों को प्रोत्साहन देने हेतु राजस्थान निर्यात पुरस्कार योजनान्तर्गत दो हस्तशिल्प निर्यातकों एवं दो कारपेट के निर्यातकों को पुरस्कृत किया जाता है।

## (ख) हस्तशिल्प विकास योजनाएँ

### (i) हस्तशिल्पी (आर्टीजन) परिचय पत्र

विकास आयुक्त, हस्तशिल्प, भारत सरकार की इस योजना में राज्य में स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से हस्तशिल्पियों का परिचय पत्र जारी कर उनका पंजीकरण किया जाता है। तदुपरान्त भारत सरकार के कार्यक्रमों, योजनाओं में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए उन्हे लाभ प्रदान

किया जाता है। राज्य में मार्च, 2016 से राज्य सरकार द्वारा संचालित आर्टीजन पंजीयन पोर्टल (www.sso.rajasthan.gov.in) के माध्यम से हस्तशिल्पियों का पंजीयन किया जा रहा है।

| क्र0 सं0 | वर्ष | लक्ष्य | विकास आयुक्त हस्तशिल्प भारत सरकार द्वारा जारी करवाये गये परिचय पत्र/ राज्य सरकार द्वारा जारी परिचय पत्र (SSO Portal) |
|---|---|---|---|
| 1. | 2016–17 | – | 19057 |
| 2. | 2017–18 | 49500 | 28015 |
| 3. | 2018–19 | 25000 | 8743 |
| 4. | 2019–20 (माह दिसम्बर, 2019 तक) | 19500 | 3068 |

## (ii) ब्याज अनुदान योजना

राज्य सरकार की इस योजना में टाईनी सेक्टर की हस्तशिल्प इकाईयां जो कि जिला उद्योग केन्द्रों में पंजीकृत हों तथा जिन्होने वित्तीय संस्थानों/बैंकों से हस्तशिल्प उत्पाद निर्माण हेतु (कच्चा माल, टूल्स, मशीनरी) अधिकतम 2.00 लाख रुपये का ऋण लिया हो पात्र होंगी। योजनान्तर्गत शिल्पी द्वारा वित्तीय वर्ष में चुकाये गये ब्याज पर 50 प्रतिशत ब्याज अनुदान देय होता है। यह योजना आर्टीजन क्रेडिट कार्ड से जोडी गई है ताकि आर्थिक दृष्टि से कमजोर शिल्पियों को ब्याज अनुदान का लाभ मिल सके। वर्ष 2011–12 में माह मार्च 2012 तक 567 सामान्य को 10.79 लाख रुपये एवं अनु.जाति को 3.90 लाख रुपये का ब्याज अनुदान भुगतान किया जा चुका है। वर्ष 2012–13 में 386 सामान्य को 9.90 लाख रुपये एवं 119 अनु.जाति को 2.57 लाख का ब्याज अनुदान भुगतान किया जा चुका है। वर्ष 2017–18 में इस योजना के पूर्व दायित्वों के भुगतान हेतु जिला उद्योग केन्द्र बीकानेर एवं दौसा को 24895 रूपये का व्यय किया गया है। **(वर्तमान में यह योजना बंद हो चुकी है।)**

## (iii) शिल्पियों हेतु बाजार सहायता योजना

राज्य के कुशल शिल्पियों को राष्ट्रीय एवं स्थानीय हस्तशिल्प प्रदर्शनियों में भाग लेने पर दैनिक भत्ता, यात्रा भत्ता एवं स्टाल शुल्क में रियायत हेतु यह योजना राज्य सरकार द्वारा लागू की गई है। योजनान्तर्गत शिल्पी को द्वितीय श्रेणी का यात्री किराया एवं राज्य में प्रदर्शनी में भाग लेने पर 350 रुपये एवं राज्य से बाहर 450/– रु.प्रतिदिन दैनिक भत्ता देय है। स्टॉल शुल्क में 50 प्रतिशत रियायत अधिकतम 4,500/– रुपये प्रदान की जाती है।

**लाभार्थियों का विवरण मदवार**

| क्र0 सं0 | वर्ष | सामान्य मद | | अनु.जाति मद | | अनु.जन जाति मद | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | शिल्पी संख्या | राशि (लाख रु.) | शिल्पी संख्या | राशि (लाख रु.) | शिल्पी संख्या | राशि (लाख रु.) |
| 1. | 2016–17 | 243 | 18.70 | 23 | 3.87 | 2 | 0.66 |
| 2. | 2017–18 | 171 | 26.72 | 59 | 6.83 | 2 | 0.93 |
| 3. | 2018–19 | 148 | 26.63 | 43 | 6.75 | 1 | 0.14 |
| 4. | 2019–20 (माह दिसम्बर, 2019 तक) | 255 | 34.84 | 78 | 5.72 | – | – |

# (3) हाथकरघा (Handloom) विकास योजनाएँ

## (क) हाथकरघा उद्योग : वस्तुस्थिति व सम्भावना

- स्वतन्त्रता आन्दोलन के दौरान 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी उत्पादो को बढावा दिये जाने हेतु स्वदेशी आन्दोलन प्रारंभ किया गया था। भारत सरकार द्वारा 7 अगस्त, 2015 को प्रथम राष्ट्रीय हैण्डलूम दिवस मनाये जाने की घोषणा की गई जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय हाथकरघा उद्योग के महत्व को सामान्यजन तक पहुँचाना था। अब तक चैन्नई, बनारस एवं गुवाहाटी में राष्ट्रीय हैण्डलूम दिवस मनाया गया है तथा पॉचवां राष्ट्रीय हैण्डलूम दिवस दिनांक 7 अगस्त, 2019 को भुवनेश्वर में मनाया गया।
- हाथकरघा उद्योग एक असंगठित क्षेत्र है जो कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र है। प्रदेश में हाथकरघा बुनकरों की आबादी में लगभग 85 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं शेष अल्प संख्यक मुस्लिम समुदाय के गरीब बुनकर है। उक्त दोनो ही वर्गो के बुनकर आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से पिछडे हुए हैं। राजस्थान का उद्योग विभाग राज्य के बुनकरों, बुनकर समितियों, शीर्ष समितियों, निगमों, उद्यमियों, निर्यातकों, रंगाई एवं छपाई के कामगारों के कल्याण के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन प्रत्येक जिले में स्थापित जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से करता है। राजस्थान में तृतीय हाथकरघा गणना 2017–18 के अनुसार 13409 बुनकर कार्यरत है।
- **प्रदेश के प्रमुख हाथकरघा उत्पादः**– प्रदेश के प्रमुख हाथकरघा उत्पाद कोटा डोरिया साडी, पट्टू, खेस, रेजा, लठ्ठा, बरडी, कम्बल, लोई, शॉल, बगरू व सांगानेरी प्रिन्टेड चादरें, तोलिये, टेरीकॉट वस्त्र, गॉज, बैन्डेज, दरियां, जाजम आदि हैं। राज्य में हाथकरघा के प्रमुख कलस्टर निम्नानुसार है।

**प्रदेश के प्रमुख हाथकरघा उत्पाद क्लस्टर**

| | |
|---|---|
| 1. **कोटा, झालावाड, बूँदी** | कोटा डोरिया साडी,रनिंग क्लॉथ |
| 2. **चूरू** | ऊनी शॉल, खेस |
| 3. **अजमेर** | खेस, रेजी, टावल, जाटीसाडी, गूजरी साडी |
| 4. **पाली** | खेस, टावल |
| 5. **जैसलमेर** | राजीव शॉल, लेडिज शॉल, बरडी, कम्बल, पट्टू |
| 6. **दौसा** | दरी, हैण्डलूम वस्त्र |
| 7. **बीकानेर** | उनी शॉल, लोई, कम्बल |
| 8. **भरतपुर** | स्वाफी, अंगोछे, चादर, दरी पट्टी |
| 9. **भीलवाडा** | दरी, फर्श, रेजा, टावल |
| 10. **जयपुर** | रनिंग क्लॉथ, खेस, टावल |
| 11. **अलवर** | ग्रे क्लॉथ, स्वाफी, फर्श, रेजा, पोछा कपडा |
| 12. **सीकर** | रजाई–गद्दा खोल, दरी पट्टी |
| 13. **श्रीगंगानगर** | लोई, शॉल, खेस, दरी |
| 14. **जालौर** | खेस, तौलिया, छोटी दरी |
| 15. **जोधपुर** | ऊनी पट्टू, कम्बल, दरी |
| 16. **नागौर** | जाटू साडी, शॉल, चादर, दरियां |
| 17. **बाडमेर** | रेजा, चादर, कम्बल, पट्टू |

**राज्य में हाथकरघा विकास से जुडी निम्न संस्थाऐं कार्यरत हैंः–**

- **राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लि., जयपुरः–** राजस्थान हाथकरघा विकास निगम की स्थापना कम्पनी अधिनियम–1956 के अन्तर्गत अप्रेल, 1984 में की गई थी। निगम के छः क्षेत्रीय कार्यालय यथा :– जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, कोटा एवं उदयपुर में स्थित हैं इसके अतिरिक्त निगम की 16 विपणन इकाइयां स्थापित है ।

  निगम का मुख्य उद्देश्य बुनकरों को आधुनिक हाथकरघों पर बुनाई का प्रशिक्षण देना, हाथकरघों के आधुनिकीकरण के लिए बुनकरों को सहायता उपलब्ध करवाना, कच्चा माल, (यार्न) उपलब्ध कराना, तैयार माल का विपणन में सहायता देना, बुनाई व छपाई की आधुनिक

डिजाईन तैयार करवा कर व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन करवाना एवं हाथकरघा विकास के लिए अनुसंधान करना है।

- **राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ लि., जयपुरः–** राजस्थान में सहकारिता के क्षेत्र में हाथकरघा उद्यागों की प्रगति एवं प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के साथ–साथ बुनकरों की कठिनाईयों के निवारण हेतु राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ लि. का गठन 26 अगस्त 1957 को किया गया था। बुनकर संघ की वर्तमान में 501 प्राथमिक सहकारी समितियां सदस्य है। बुनकर संघ द्वारा राज्य में 16 एवं राज्य के बाहर नई दिल्ली में एक डिपों संचालित किये जा रहे हैं। जिसके द्वारा राज्य एवं राज्य के बाहर प्रदर्शनियों में भाग लेकर हाथकरघा कपडे की बिक्री में सहयोग दिया जा रहा है। बुनकर संघ ने अपने गठन के पश्चात राज्य एवं केन्द्र सरकार के द्वारा प्रदान की गई हिस्सा पूॅजी एवं सदस्य सहकारी समितियों द्वारा तैयार माल का विपणन कर परिसम्पत्तियां अर्जित की गई गई।
- **बुनकर सेवा केन्द्रः–** भारत सरकार की हाथकरघा संबंधी योजनाओं को राज्य सरकार तथा सहकारी संघों के साथ समन्वय स्थापित कर लागु करने हेतु भारत सरकार द्वारा जुलाई **1978 में बुनकर सेवा केन्द्र, जयपुर की स्थापना** की है। जिसका मुख्य उद्देश्य डिजाईन, रंगाई/छपाई एवं बुनाई के नमूने बनाकर बुनाई तकनीक का विकास एवं सुधार करना एवं प्रदर्शनियों एवं सेमीनारों का समय समय पर आयोजन करना, पारम्परिक वस्त्रों के नमुनों का परीक्षण करना एवं हाथकरघा वस्त्रों को बढावा देना है।
- **बुनकरों के पंजीयन हेतु ऑन लाईन पोर्टलः–**राज्य सरकार द्वारा बुनकरों के पंजीयन/ बुनकर कार्ड के लिए ऑन लाईन वीवर रजिस्ट्रेशन पोर्टल स्थापित किया है। पोर्टल पर दिनांक 31.12.2018 तक 5,551 बुनकर पंजीकृत है।
- **हाथकरघा वस्त्रों के विपणन हेतु मेले व हाट बाजारः–** उद्यम प्रोत्साहन संस्थान, जयपुर द्वारा वर्ष पर्यन्त राज्य के पृथक पृथक जिलों में राज्य/ जिला स्तरीय औद्योगिक मेलों का आयोजन किया जाता है। उद्योग विभाग द्वारा 10 ग्रामीण हाट एवं 3 शहरी हाट की व्यवस्था की गई है।
- **स्पेशल/ नेशनल हैण्डलूम एक्सपोः–** विकास आयुक्त (हाथकरघा) वस्त्र मंत्रालय सरकार द्वारा वर्ष पर्यन्त देश के पृथक–पृथक राज्यों में एक्सपो आयोजित किये जाते हैं। जिनमें बुनकर सहकारी समितियां अपने उत्पाद का प्रदर्शन एवं बिक्री कर सकती है।

- ○ **भारतीय हाथकरघा प्रोद्योगिकी संस्थान जोधपुरः–** राज्य में हाथकरघा का प्रशिक्षण (त्रिवर्षीय डिप्लोमा कोर्स) दिये जाने हेतु जोधपुर में भारतीय हाथकरघा प्रोद्योगिकी संस्थान कार्यरत है। संस्थान में राजस्थान के लिये 16 सीट आरक्षित है। संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों को भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा प्रतिमाह छात्रवृत्ति दिये जाने का प्रावधान है।
- **राज्य में हाथकरघा विकास हेतु सुझावः–** राज्य में बुनकरों के समुचित **विकास हेतु हाथकरघा निदेशालय के स्थापना की आवश्यकता** है। हाथकरघा निदेशालय की स्थापना की मांग बुनकरों द्वारा काफी लम्बे समय से की जाती रही है। देश में जिन प्रदेशों में हाथकरघा निदेशालय स्थापित है वहां के बुनकरों की आर्थिक/ सामाजिक स्थिति तुलनात्मक दृष्टि से काफी अच्छी है। देश में केरल, तमिलनाडू, आन्ध्रप्रदेश, पं.बंगाल, मध्य प्रदेश कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड राज्य में हाथकरघा निदेशालय कार्यरत है।
- वर्तमान में **जी एस टी एवं ई वे बिल प्रकिया लागू होने** के कारण गरीब एवं कम पढे लिखे बुनकरों को अपना व्यवसाय जारी रखने में कठिनाई का सामना करना पड रहा है।

## (ख) हाथकरघा उद्योग से सम्बन्धित योजनाएँ

राजस्थान में हाथकरघा उद्योग एक प्रमुख उद्योग है। राज्य में हाथकरघा के विकास हेतु कार्यालय आयुक्त, उद्योग नोडल विभाग है। हाथकरघा विकास हेतु हाथकरघा विकास निगम, राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ कार्यरत है।

विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही निम्नांकित हाथकरघा विकास संबंधी मुख्य योजनाओं की प्रगति का विवरण निम्नानुसार हैः–

### (i) महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना (योजना मार्च 2017 से बन्द की जा चुकी है।)

विकास आयुक्त (हाथकरघा) भारत सरकार, नई दिल्ली ने पत्र दिनांक 19.09.2005 से पूर्व प्रचलित बुनकर बीमा (जनश्री बीमा एवं समूह बीमा) योजना को बंद करते हुए इसके स्थान पर ''**महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना**'' भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग से आरम्भ की है।

### योजना के उद्देश्य

इस योजना का मूल उद्देश्य हाथकरघा बुनकरों की स्वाभाविक मृत्यु के साथ–साथ दुर्घटना में मृत्यु होने की स्थिति में बीमा कवर एवं उच्चतम बीमा राशि प्रदान करना है।

**पात्रता**

1. बुनकर हाथकरघा बुनाई से अपनी आय का कम से कम 50 प्रतिशत अर्जित करता हो।

2. 18 से 59 वर्ष के आयुवर्ग के बीच के सभी बुनकर चाहे महिला हो या पुरूष इस योजना में शामिल है।

3. सहकारी समिति के नियमित सदस्य एवं 180 दिन बुनाई का कार्य किया हो।

4. सहकारी समितियों से बाहर के बुनकर लेकिन पात्रता शर्ते पूरी करने के सम्बन्ध में हाथकरघा प्रभारी का प्रमाण पत्र अनुसार।

5. राज्य के हाथकरघा विकास निगम के सम्बद्ध बुनकर।

लाभ : सदस्य की प्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में 60000 रुपये नामित को देय।

1. दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर 150000 रुपये देय।

2. दुर्घटना के कारण स्थायी अपंगता पर 150000 रुपये देय।

3. दुर्घटना के कारण एक ऑख और एक अंग भंग की क्षति पर 75000/–रुपये देय।

4. शिक्षा सहयोग हेतु 9वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले प्रति छात्र 300/–रुपये प्रति तिमाही प्रति छात्र को देय।

**प्रीमियम**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | भारतीय जीवन बीमा निगम अंशदान | 100/– |
| 2. | भारत सरकार का अंशदान | 150/– |
| 3. | राज्य सरकार का अंशदान (वर्ष 2012–13 से देय) | 40/– |
| 4. | बुनकर का अंशदान | 40/– |
| | **कुल अंशदानः–** | **330/–** |

लाभार्थी का अंशदान प्राप्त होते ही बीमा कवरेज प्रारम्भ हो जाता है।

| क्र0सं0 | वर्ष | लक्ष्य | लाभान्वित बुनकर |
|---|---|---|---|
| **1.** | **2015–16** | 4000 | 2722 |
| **2.** | **2016–17** | 4350 | 2507 |
| **3.** | **2017–18** | योजना मार्च 2017 से बन्द की जा चुकी है। | |

## (ii) उत्पाद विविधीकरण योजना

योजनान्तर्गत देश के अन्य राज्यों में राज्य सरकार के व्यय पर राज्य में कार्यरत बुनकरों को अन्य राज्यों में हाथकरघा इकाइयों के डिजाइन एवं टेक्नीकल उत्पादों एवं उत्पादन क्षमता के अध्ययन हेतु भेजा जाता है जिससे राज्य के बुनकर अन्य राज्यों में उपयोग में ली जा रही नवीन तकनीकी, उत्पादों के विविधिकरण, डिजाईन विकास, हाथकरघा वस्त्रों के विपणन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें।

| क्र0सं0 | वर्ष | बुनकरों की संख्या | बुनकरों से सम्बन्धित जि.उ.केन्द्र | यात्रा स्थल / राज्य का नाम |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **2016—17** | 25<br>20 | नागौर<br>राजसमन्द | पश्चिम बंगाल<br>मध्यप्रदेश |
| **2.** | **2017—18** | 25<br>25 | कोटा<br>कोटा | मध्यप्रदेश<br>पश्चिम बंगाल |
| **3.** | **2018—19** | 25<br>25 | राजसमन्द<br>बूंदी | तमिलनाडू<br>कर्नाटक |
| **4.** | **2019—20**<br>(फरवरी, 2020 में प्रस्तावित) | 25<br>25 | जयपुर (ग्रामीण)<br>धौलपुर | महाराष्ट्र<br>गुजरात |

## (iii) बुनकर पुरस्कार योजना

राज्य सरकार द्वारा राज्य के कुशल बुनकरों / सहकारी समितियों को उनके द्वारा उत्पादित उत्कृष्ट उत्पादों एवं गतिविधियों को पहचान व सम्मान दिलाने के लिए जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर नकद पुरस्कार दिये जाने की योजना 2005—06 से प्रारंभ की गई।

बुनकर पुरस्कार हेतु जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर दी जाने वाली राशि को बढ़ा दिया गया है। नवीन दरें निम्नानुसार से है :—

| **जिला स्तर** | **राज्य स्तर** |
|---|---|
| प्रथम — 5,100 / —रु. | 21,000 / —रु. |
| द्वितीय — 3,100 / —रु. | 11,000 / —रु. |
| तृतीय — 2,100 / —रु. | 7,000 / —रु. |
| सांत्वना— 1,100 / —रु. | 3,100 / —रु. |

| क्र0सं0 | वर्ष | बजट प्रावधान (इकाई संख्या) | पुरस्कृत बुनकरों की संख्या | पुरस्कार राशि (राशि लाख रु.) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2016—17 | 4.00 | 65 | 2.20 |
| 2. | 2017—18 | 3.00 | 70 | 2.22 |
| 3. | 2018—19 | 3.00 | 80 | 2.78 |
| 4. | 2019—20 (माह दिसम्बर, 2019 तक) | 3.00 | 92 | 2.65 |

# (4) कपड़ा (Textile) उद्योग व उससे संबंधित योजनाएँ

## (क) कपड़ा उद्योग : वस्तुस्थिति व सम्भावना

राजस्थान का वस्त्र उद्योग सदियों पुराना उद्योग है। राजस्थान देश में अपनी पहचान कपास, उन, पॉलिस्टर विस्कोस यार्न, सिन्थेटिक सूटिंग, सर्टिंग तथा कपडा बुनाई छपाई, हस्तनिर्मित वस्त्र निर्माण तथा हैण्डीक्राफ्ट टैक्सटाईल के उत्पादन कार्य में रखता है। भीलवाडा, बांसवाडा तथा किशनगढ (अजमेर) सिन्थेटिक, पॉलिस्टर विस्कार्स, शूटिंग सर्टिंग में संपूर्ण भारत में नई छवि के रूप में विकसित हुआ है। पाली बालोतरा, बाडमेर, सांगानेर एवं बगरू (जयपुर) प्रोसेसिंग तथा रंगाई छपाई के लिए देश में ही नही अपित संपूर्ण विश्व में अपनी पहचान बनाये हुए है। राजस्थान की कोटा डोरियां साडियां जो कोटा, बूंदी एवं बारां में हस्तनिर्मित हैं, वह भी विश्व विख्यात हैं।

राजस्थान का वस्त्र उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का प्रमुख साधन रहा है। पावरलूम क्षेत्र में 3000 से अधिक स्थापित इकाईयों के द्वारा 60 हजार लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

जैसलमेर, बाडमेर एवं बीकानेर में प्रचुर मात्रा में ऊन उत्पादन है जो कि देश की 30 प्रतिशत ऊन की उपलब्धता को पूर्ण करता है। इसी तरह भीलवाडा, चित्तोड, अजमेर, जोधपुर,बीकानेर, नागौर, गंगानगर तथा हनुमानगढ में कपास का उत्पादन प्रचुर मात्रा में होता है जिससे राज्य में 24 जिनिंग एवं प्रोसेसिंग युनिट स्थापित है। इन उद्योगों के माध्यम से ही लगभग 2 लाख से अधिक भेड पालकों तथा किसानों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हो रहा है।

राजस्थान में कपास के उत्पादन से कपडा रंगाई छपाई तक की श्रृंखला में लगभग 7—8 लाख व्यक्तियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हो रहा है। टैक्सटाईल के एक्सपोर्ट के माध्यम से प्रदेश को आय का स्त्रोत प्राप्त होने के साथ साथ रोजगार सृजन भी हो रहा है। टैक्सटाईल क्षेत्र में 7000 करोड रू. का प्रतिवर्ष एक्सपोर्ट किया जा रहा है।

## (ख) कपड़ा उद्योग से सम्बन्धित योजनाएँ

### (i) एकीकृत कौशल विकास योजना

**(Integrated Skill Development Scheme)**

भारत सरकार द्वारा टेक्सटाईल क्षेत्र में कौशल विकास को ध्यान में रखते हुये एकीकृत कौशल विकास योजना प्रारंभ की गई थी। राज्य में उद्योग आयुक्त कार्यालय द्वारा, ट्रेनिंग पार्टनर के सहयोग से इस योजना का संचालन किया गया। योजना अन्तर्गत प्रति प्रशिक्षणार्थी 10,000/– रुपये केन्द्र सरकार द्वारा व 3300/– रुपये राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाया गया है। निम्नलिखित तालिका द्वारा योजना अन्तर्गत की गई वर्षवार प्रगति निम्न प्रकार है :–

| वर्ष | भौतिक लक्ष्य | प्रगति | |
|---|---|---|---|
| | | प्रशिक्षण | नियोजित |
| **2015–2016** | 2250 | 2979 | 2289 |
| **2016–2017** | 7250 | 8861 | 7316 |
| कुल योग | **9500** | **11840** | **9605** |

योजना के प्रावधान अनुसार भारत सरकार को निर्धारित एजेन्सी द्वारा प्रत्येक प्रशिक्षु का एसेसमेंट किया जाता है। योजनान्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों में से कम से कम 75 प्रतिशत को रोजगार उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। **योजना 31 मार्च, 2017 को समाप्त हो गयी है।**

### (ii) एकीकृत प्रोसेसिंग विकास योजना

**(Integrated Processing Development Scheme)**

वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार द्वाराटेक्सटाईल इकाईयों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रण करने के उद्देश्य से एकीकृत प्रोसेसिंग विकास योजना प्रारंभ की गई। योजनान्तर्गत परियोजना लागत का 50 प्रतिशत (अधिकतम 75 करोड़ रूपयें) केन्द्र सरकार द्वारा व 25 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा व 25 प्रतिशत एस.पी.वी. स्वयं के स्रोत तथा बैंक आदि से ऋण/सहायता प्राप्त कर वहन किया जाता है। राज्य में आई.पी.डी.एस. योजनार्न्तगत निम्नलिखित परियोजना स्वीकृत की गई है :–

| क्र. स. | S.P.V. का नाम | परियोजना लागत (करोड़ रुपये में) | प्रकार |
|---|---|---|---|
| **1.** | बालोतरा वॉटर पॉल्यूशन कन्ट्रोल एवं रिसर्च फाउण्टेशन ट्रस्ट, बालोतरा | 115.13 | अपग्रेडेशन |
| **2.** | जसोल वाटर पॉल्यूशन कन्ट्रोल एण्ड ट्रीटमेंट ट्रस्ट, जसोल | 22.50 | अपग्रेडेशन |
| **3.** | सांगानेर एनवायरों प्रोजेक्ट, डवलपमेंट, सांगानेर | 159.00 | ZLD (नया) |
| **4.** | पाली जल प्रदूषण नियंत्रण परिशोधन एवं अनुसंधान फाण्डेशन,पाली | 100.00 | अपग्रेडेशन |

उक्त में से सांगानेर प्रोजेक्ट पर कार्य चल रहा है जिसमें अब तक 123.59 करोड़ रुपये का व्यय हो चुका है। राज्य सरकार द्वारा परियोजना में सम्पूर्ण राज्यांश हिस्सा राशि 39.75 करोड रुपये उपलब्ध कराये गये हैं। सिविल कार्य चल रहा है। दोनों ही परियोजना के टेक्नीकल अपग्रेडेशन से होने वाली परियोजना लागत में वृद्धि की 25 प्रतिशत राशि का वहन किये जाने की सहमति राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को शीघ्र प्रेषित की जा रही है। बालोतरा प्रोजेक्ट को राज्य सरकार की हिस्सा राशि में से उपलब्ध राशि 3.25 करोड़ रूपये जारी किये जा रहे है।

## (iii) टेक्सटाईल पार्क योजना

भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय की प्रमुख योजना Scheme Of Integrated Textile Park (SITP) का संचालन राजस्थान में किया जा रहा है। योजनान्तर्गत Common Infrastracture, CETP, Captive Power Plants आदि की स्थापना हेतु परियोजना लागत का 40 प्रतिशत अथवा अधिकतम 40 करोड़ रूपयें की सहायता दिये जाने का प्रावधान है। राज्य सरकार पार्को को Handholding Support प्रदान करती है।

वर्तमान में राज्य में 4 टेक्सटाईल पार्क्स है, जिनकी स्थिति निम्नानुसार है :

<table>
<tr><th>क्र. स.</th><th>टेक्सटाईल पार्क का नाम</th><th>स्वीकृति वर्ष</th><th>परियोजना लागत (करोड़ रु.)</th><th>वर्तमान स्थिति</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>जयपुर इन्टीग्रेटेड टेक्सक्राफ्ट पार्क, बगरू, जयपुर</td><td>2008</td><td>60.15</td><td>पार्क विकसित प्रोजेक्ट पूर्ण</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>जयपुर टेक्स विविंग पार्क, किशनगढ़, अजमेर</td><td>2005</td><td>96.81</td><td rowspan="2">पार्क विकसित</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>किशनगढ़ हाईटैक टेक्स पार्क, किशनगढ़, अजमेर</td><td>2006</td><td>110.58</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>नेक्सजेन टेक्सटाईल पार्क, पाली</td><td>2007</td><td>101.40</td><td>पार्क विकसित</td></tr>
</table>

# (5) चर्म उद्योग व उससे सम्बन्धित योजनाएँ

## (क) चर्म उद्योग : वस्तुस्थिति व सम्भावना

भारत के कुल कच्चे चमडे का 13 प्रतिशत उत्पादन राजस्थान राज्य में होता है। राज्य में 57.73 मिलियन पशुधन है जबकि तमिलनाडु, कर्नाटक एवं आन्ध्रप्रदेश में यह संख्या आधी से भी कम है, जबकि लेदर प्रोडक्ट की अधिकांश फैक्ट्रियॉ इन्हीं राज्यों मे है। राज्य में 20 लाख से अधिक चर्म दस्तकार है जो कि पैतृक रूप से चर्म फुटवियर (मोजरी/जूती), लैदर गुड्स (बैल्ट, केब, पर्स) का कार्य कर रहे हैं, परन्तु उनको आधुनिक उपकरणों/ मशीनों की जानकारी नहीं होने के कारण उनको अपने उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त नहीं होता है। राज्य के चर्म उत्पादों की देश–विदेश में अत्यधिक मांग होने के बावजूद चर्म दस्तकारों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है व आधुनिक मांग के अनुरूप अपने उत्पाद तैयार नहीं कर पाते है।

**राजस्थान में चर्म उद्योग की वस्तु–स्थिति एवं संभावनाऐंः–**

राजस्थान में ग्रामीण व अर्द्ध–शहरी क्षेत्रों में चर्म शिल्प परम्परागत रूप से आजीविका व स्व–रोजगार का मुख्य स्त्रोत रहा है। वर्तमान में मुख्यतः भीनमाल (जालौर), बाडमेर, जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर, अलवर, चितौडगढ आदि जिलों में बहुतायत मात्रा में चर्म हस्तशिल्पि कार्यरत है।

**संभावनाएंः–**

**कच्चे माल (चमड़ा) की उपलब्धताः–**

राज्य में 57.73 मि. पशुधन उपलब्ध होने से चर्म उद्योग के लिए पर्याप्त कच्चे माल की उपलब्धता है, राज्य में भारत का 13 प्रतिशत कच्चे चमड़े का उत्पादन होता है। किन्तु राज्य में चर्म शोधन इकाइयों की कमी होने से राज्य के चर्म शिल्पियों को राज्य से बाहर से कच्चा माल क्रय करना पडता है।

**श्रम की उपलब्धताः–**

राज्य में राज्य में 20 लाख से अधिक कुशल व अर्द्धकुशल चर्म दस्तकार है। जिन्हें आधुनिक डिजाइन एक तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है।

**चर्म उत्पाद की मांग में वृद्धिः–**

राज्य के भीतर, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में चर्म शिल्प उत्पादों यथा, लैदरगुड्स बैग, मौजडी जूतियां, बैल्ट, डायरीकवर, पर्स व लैदर फर्नीचर, डेकोरेविट आईटम आदि की मांग निरन्तर बढ़ती जा रही है।

**निर्यात संवर्द्धनः–**

चर्म शिल्प उत्पादों के निर्यात से राज्य व देश को विदेशी मुद्रा अर्जित की संभावना है।

**रोजगार सृजनः–**

चर्म शिल्प के एकीकृत विकास से राज्य में व्यापक रोजगार सृजन की संभावना है।

**मानपुरा माचेडी चर्म औद्योगिक क्षेत्रः–** राज्य सरकार द्वारा चर्म उद्योग के विकास के लिए मानपुरा माचेडी में चर्म औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया गया है। इस क्षेत्र में 8 लेदर की इकाइयॉ स्थापित हुई है।

## (ख) चर्म उद्योग से सम्बन्धित योजनाएँ

### (i) चर्म प्रशिक्षण

राज्य सरकार द्वारा चर्म उद्योग को बढावा देने एवं दस्तकारों के उत्पादन एवं गुणवत्ता में सुधार, नई डिजाईन के उत्पाद तैयार कराने एवं स्वंय का रोजगार शुरू करने के उद्देश्य से वर्ष 1990 में इस योजना को प्रारम्भ किया गया। इस योजना के अन्तर्गत चर्म रंगाई, नागरा जूती, लेदर गुड्स एवं लेदर टॉयज बनाने के नवीनतम तकनीक से प्रशिक्षण जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से दिलाया जाता है। यह प्रशिक्षण 2 माह का होता है। प्रशिक्षण के अंतर्गत 15 प्रशिक्षणार्थियों का बैच चर्म रंगाई एवं नागरा जूती हेतु  तथा 20 प्रशिक्षणार्थियों का बैच लेदर गुड्स व लेदर टॉयज हेतु निर्धारित है।

**लाभाविन्त वर्गः–** अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग के 18 से 35 वर्ष उम्र के व्यक्ति लाभान्वित होगें। चयनित समिति को उम्र में 10 वर्ष तक की छूट देने का अधिकार है।

**योग्यताः–** प्रशिक्षणार्थियों को साक्षर होना आवश्यक है। 8 वीं पास एवं इससे अधिक पढ़े लिखें प्रशिक्षणार्थियों को वरीयता दी जावेगी।

**स्टाई फंडः–** प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण के दौरान 500 रूपयें प्रति माह स्टाई फंड दिया जाता है।

**टूल किट्सः–** प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण के उपरांत स्वंय का रोजगार स्थापित कराने के उद्देश्य से 100 रूप्ये तक के टूल किट्स उपलब्ध कराये जाते है।

**आवेदनः–** आवेदक को प्रशिक्षण हेतु सादे कागज पर अपना पूर्ण विवरण अंकित करते हुए संबंधित महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र को प्रस्तुत करना होगा।

| क्र0सं0 | वर्ष | चर्म प्रशिक्षण | |
|---|---|---|---|
| | | लक्ष्य | प्रगति |
| 1. | **2016—17** | 195 | 178 |
| 2. | **2017—18** | 195 | 195 |
| 3. | **2018—19** | 195 | 190 |
| 4. | **2019—20** (माह दिसम्बर, 2019 तक) | 195 | 140 |

## (ii) राजस्थान चर्म शिल्प विकास एवं आधुनिकीकरण योजना, 2012

राज्य में चर्म उद्योग अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कच्चे चमड़े की सुगम उपलब्धता के कारण चर्म उद्योग में अल्प विनियोजन होने पर भी अधिक अधिक मात्रा में रोजगार का सृजन होता है। चर्म दस्तकार छोटे—छोटे औजारों से चर्म जूती/मोजड़ी, बैग, पर्स, लैदर एसेसरीज आदि का उत्पादन परम्परागत तरीके से करते हैं। इन दस्तकारों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण ये आधुनिक औजार एवं मशीन क्रय नहीं कर पाते हैं, जिससे उत्पादो की गुणवत्ता प्रभावित होती है।

चर्म दस्तकारों को चर्म उद्योग से संबंधित आधुनिक औजार शू—लास्ट (फर्म) एवं मशीन आदि उपलब्ध करवाने पर चर्म दस्तकार बाजार में प्रचलित फैशन एवं मांग के अनुरूप उत्पाद तैयार कर गुणवत्ता में सुधार एवं वृद्धि करने के उद्धेश्य से चर्म शिल्प विकास एवं आधुनिकीकरण योजना दिनांक 1.4.2012 से प्रारम्भ की गई थी। इस योजना की अवधि 31.3.2020 तक है। योजना के अन्तर्गत चर्म दस्तकार बैंक से ऋण लेकर आधुनिक शू—लास्ट, चर्म सिलाई मशीन क्रय कर अपना उत्पादन करने पर दस्तकारो को 50 प्रतिशत अधिकतम 15000 रुपये ग्रान्ट स्वीकृत कर उसके बैंक ऋण खाते में जमा कराने का योजना में प्रावधान है।

| क्र0सं0 | वर्ष | लक्ष्य | दस्तकारों की संख्या | ग्रान्ट स्वीकृति (राशि लाख रु.) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | **2016—17** | 100 | 69 | 9.98 |
| 2. | **2017—18** | 100 | 64 | 8.44 |
| 3. | **2018—19** | 100 | 61 | 9.12 |
| 4. | **2019—20** (माह दिसम्बर, 2019 तक) | 100 | 16 | 2.33 |

## (6) नमक उद्योग व उससे सम्बन्धित योजनाएँ

### (क) लवण उद्योग : वस्तुस्थिति व सम्भावना– लवण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विवरण, लवण क्षेत्रों में सर्वेक्षण एवं सीमांकन

राजस्थान भूमिगत जल से लवण निर्माण में सर्वोच्च स्थान रखता है। देश में उत्पादित नमक का लगभग 12 प्रतिशत हिस्सा राज्य में उत्पादित किया जाता है। यह उद्योग राज्य के रेगिस्तानी इलाकों में स्थित है, जो अकाल के समय में भी लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है। राज्य के खुले लवण क्षेत्रों में निजी इकाईयों को राज्य सरकार के उद्योग विभाग के माध्यम से लवण भूमि का आवंटन किया जाता है, जबकि आरक्षित लवण क्षेत्रों में राजकीय/केन्द्रीय उपक्रम विभागों द्वारा नमक उत्पादन का कार्य करवाया जाता है। इसके अतिरिक्त लवण क्षेत्रों की परिधि में खातेदारों (कृषकों) जिनकी भूमि लवणीय हो गयी है, खातेदार (कृषक) द्वारा खातेदारी भूमि को कृषि से अकृषि भूमि में राजस्व विभाग के माध्यम से रूपान्तरित करवाकर लवण निर्माण का कार्य किया जाता है।

राजस्थान राज्य में खुले लवण क्षेत्र जोधपुर, नागौर, जैसलमेर, चूरू, सीकर व बाड़मेर जिलों में घोषित हैं। वर्तमान में राज्य के विभिन्न लवण क्षेत्रों में 648 इकाईयों को 10833 एकड़ भूमि आवंटित है जिनसे लगभग 15.00 लाख से 17.00 लाख रुपये राजस्व आय प्रतिवर्ष प्राप्त होती है।

निजी खातेदारी द्वारा राजस्थान कृषि से अकृषि भूमि रूपान्तरण नियम–1961 के अन्तर्गत जिला कलेक्टर को 10 एकड़ तक रूपान्तरण की शक्तियां प्रदत्त थी। वर्ष 1992 से पूर्व विभिन्न जिला कलेक्टरों द्वारा 650 इकाईयों की 4600 एकड़ भूमि को रूपान्तरित किया गया था। इन इकाईयों के संबंध में लीज निष्पादन, नवीनीकरण, हस्तानान्तरण की कार्यवाही उद्योग विभाग द्वारा ही सम्पादित की जाती है।

वर्ष 1992 के बाद कृषि से अकृषि लवण भूमि ग्रामीण क्षेत्र में भूमि संपरिवर्तन नियम 1992 एवं 2007 के तहत कृषि भूमि का लवण भूमि में संपरिवर्तन राजस्व विभाग द्वारा किया जा रहा हैं एवं इनकी वास्तविक सूचना राजस्व विभाग के पास उपलब्ध है।

### लवण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विवरण

लवण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं को विकसित करने के तहत लवण क्षेत्रों में सड़क बनाने, पीने के लिए स्वच्छ जल, बांध निर्माण, विद्युतीकरण आदि के कार्य राज्य सरकार की एजेन्सीज यथा सार्वजनिक निर्माण विभाग, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सिंचाई विभाग एवं विद्युत विभाग के माध्यम से करवाये जाते हैं।

लवण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं को विकसित किये जाने हेतु महाप्रबन्धकों द्वारा स्थानीय नमक उत्पादकों/संघों के प्रतिनिधियों से चर्चा कर आवश्यकतानुसार प्रस्ताव प्राप्त कर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु मुख्यालय को उपलब्ध कराई जाती है, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रशासनिक विभाग द्वारा जारी की जाती हैं।

**वर्ष 2016–2017** (लाख रु.)

| क्र.स. | सड़क निर्माण का कार्य का नाम | आवंटित राशि | व्यय राशि |
|---|---|---|---|
| 1. | आउ से खाखडकी जिला सीमा तक 6.00 कि.मी. सड़क निर्माण | 79.08 | 76.52 |
| 2 | चौधरी ऑटो से नमक एरिया बाईपास पर सड़क निर्माण हेतु | 52.76 | 46.89 |
| 3 | नांवा जाबदीनगर सड़क से पुराने रेल्वे क्वार्टर साल्ट एरिया जाबदीनगर को जोड़ने के लिए 3.50 कि.मी. सड़क निर्माण | 70.00 | 68.54 |
| 4 | बापरिण लवण क्षेत्र में प्लॉट सं. 80, 87, 111, 139, 174 व 195 के मध्य 1. 30 कि.मी. सड़क निर्माण | 38.00 | 0.00 |
| | **योग रु.** | **239.84** | **191.95** |

**वर्ष 2017–18** (लाख रु.)

| क्र. स. | सड़क निर्माण का कार्य का नाम | आवंटित राशि | व्यय राशि लाख रु. |
|---|---|---|---|
| 1 | बापरिण लवण क्षेत्र में प्लॉट सं. 80, 87, 111, 139, 174 व 195 के मध्य 1.30 किलोमीटर सड़क निर्माण (जोधपुर) | 38.00 | 66.24 |
| 2 | बाप रिण भू. सं. 225 और 226 के मध्य से 291 और 292 तक सड़क निर्माण (जोधपुर) | 34.00 | |
| 3 | बाप रिण लवण क्षेत्र में भू. सं. 254 और 255 के मध्यम से लवण भूखण्ड़ सं. 148 और 149 तक सड़क निर्माण (जोधपुर) | 35.00 | 23.22 |
| 4 | नांवा शहर में सी.सी. रोड़ (रेल्वे साईडिंग सी–22 (प्लांट एरिया) से निधी धर्मकांटा तक तक कुल 1.2 किलोमीटर) सड़क निर्माण (नागौर ) | 93.00 | 80.99 |
| | योग रू. | **200.00** | **170.45** |

वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 (राशि–लाख रु.)

| क.सं. | योजना का नाम | सा.नि.विभाग से प्राप्त अनुमानों के अनुमानित लागत (लाख रुपये में) | चालू वित्तीय वर्ष में व्यय किये स्वीकृत की जाने वाली राशि (लाख रु.में) | व्यय राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **मलार रिण लवण क्षेत्र में बी.टी. सड़क का निर्माण –** प्लॉट सं. 99–87 के मध्य से भू.स. 96 के पश्चिमी किनारे से भू.स. 126 के दक्षिण किराने तक एवं भू. सं. 126–123 से भू. स. 530 बापरिण तक। (जोधपुर) | 70.98 | 53.00 | वर्ष 2018–19 में सड़को की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 28.06.2018 को जारी की गई। कार्य पूर्ण हो गया है, वित्त विभाग द्वारा लिमिट जारी नही करने के कारण व्यय नहीं हो पाया। वर्ष 2019–20 में पुनः प्रावधान कराया गया है। दिनांक 25.01.2020 तक 7881750 की राशि व्यय हो चुकी है। |
| 2 | **बाप रिण लवण क्षेत्र में बी.टी. सड़क का निर्माण –** प्लॉट नं. 39–60 से 42–57 के मध्य 900 मीटर बी.टी. रोड़ तक सड़क निर्माण (जोधपुर) | 34.53 | 26.00 | |
| 3 | **कुचामन लवण क्षेत्र में बी. टी. सड़क का निर्माण –** मुख्य सड़क से दक्षिणी दिशा की ओर दानाराम नाई के भूखण्ड तक वाया नन्दलाल किशनलाल मोर एवं रिद्धकरण दुग्गड के लवण भूखण्ड (नागौर) | 29.19 | 21.00 | |
| | योग रू. | **134.70** | **100.00** | |

**वर्ष 2019–20 में गत वर्षों में पूर्ण किये गये कार्यो के भुगतान हेतु 100.00 लाख रूपये का प्रावधान मोडिफाईड बजट में प्रस्तावित किया गया है।**

## लवण क्षेत्रों में सर्वेक्षण एवं सीमांकन

राज्य में अनेक क्षेत्रों में भूमि की क्षारीयता बढ़ जाने के कारण स्थानीय लोगों/जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव पर राज्य सरकार स्तर पर निर्णय उपरान्त लवण उत्पादन की संभावनाओं हेतु सर्वेक्षण कराया जाता है। सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार क्षेत्र को लवण क्षेत्र घोषित कराया जाता हैं एवं लवण भूमि के उत्पादन योग्य नही रहने पर अलवण क्षेत्र घोषित कराने की कार्यवाही की जाती हैं। घोषित लवण क्षेत्रों (आरक्षित व खुला क्षेत्र ) के सीमांकन एवं प्लाटिंग का कार्य करवाया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 में प्रावधित 2 लाख रुपये में से सर्वेक्षण एवं सीमांकन का कार्य कराने हेतु महाप्रबन्धक जि.उ.केन्द्र नागौर को ब्राईन की उपलब्धता एवं घनत्व की जानकारी कुचामन लवण क्षेत्र हेतु उपलब्ध कराया जा रहा है।

# (ख) लवण उद्योग से सम्बन्धित योजनाएँ

## (i) लवण श्रमिक कल्याण सहायता योजना

लवण श्रमिक कल्याण सहायता योजना वर्ष 2009 में प्रारम्भ की गई। लवण क्षेत्रों में कार्यरत लवण श्रमिक कल्याण योजनान्तर्गत लाभार्थी होगे। योजनान्तर्गत लवण श्रमिकों की पहचान कर उन्हें

पहचान पत्र जारी करना एवं पहचान पत्र के आधार उन्हें बीमा का लाभ प्रदान करना एवं गमबूट्स, गौगल्स एवं साईकिल (लवण श्रमिक द्वारा 300/–रुपये के स्वयं के अंशदान पर) सहभागिता के आधार पर उपलब्ध कराई जाती थी।राज्य सरकार द्वारा योजना उपादेयता नहीं होने के कारण गजट नोटिफिकेशन दिनांक 14.06.2018 से योजना संशोधन करते हुए पहचान पत्र, गमबूटस, गोगल्स एवं साईकिल उपलब्ध करवाये जाने की योजना को समाप्त कर दिया गया एवं लवण श्रमिकों का पीएमजेजेबीवाई/पीएमएसबीवाई योजना के अन्तर्गत बीमित करने का प्रावधान किया गया है। जिसके तहत 18 से 50 वर्ष तक की आयुवर्ग वाले श्रमिकों का 171/– रुपये प्रीमियम, 51 से 59 आयुवर्ग के लिए 100/– रुपये प्रीमियम देकर लाभान्वित करने का निर्णय लिया गया है।

| वर्ष | संशोधित बजट | व्यय राशि | लाभान्वित श्रमिकों की संख्या | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | पहचान पत्र | बीमा | गमबूटस | गोगल्स | साईकिल |
| 2014–2015 | 38.00 | 35.68 | 91 | 15559 | 648 | 616 | 525 |
| 2015–2016 | 40.00 | 39.14 | 222 | 15267 | 510 | 495 | 645 |
| 2016–2017 | 26.00 | 25.69 | 302 | 15275 | 560 | 545 | 200 |
| 2017–18 | 25.00 | 19.14 | 173 | – | 672 | 547 | 95 |
| 2018–19 | 25.00 | 3.54 | – | 1958 | – | – | – |
| 2019–20 (माह दिसमबर,2019 तक) | 5.00 | 2.49 | – | 1454 | – | – | – |

वर्ष 2019–20 में योजनान्तर्गत 5.00 लाख रूपये की राशि प्रावधित है।

## (7) निर्यात व निर्यात सम्बन्धी योजनाएँ

## (क) निर्यात : वस्तुस्थिति व सम्भावना– राज्य से किये जा रहे निर्यात, सेक्टर वाईज निर्यात (2018–19)

- **राज्य से किये जा रहे निर्यात**

वर्ष 2004–05 में राज्य से 8002.03 करोड रुपये के मुल्य की वस्तुओं का निर्यात किया गया था, जोकि बढकर वर्ष 2016–17 में 40776.11 करोड़ रुपये, वर्ष 2017–18 में 46476.92 करोड रुपये एवं वर्ष 2018–19 में 51178.41 करोड रुपये मूल्य का निर्यात हो गया है। राज्य से टेक्सटाईल्स, एग्रो, जेम ज्वैलरी, इंजीनियरिंग, मेटल, डायमेंशनल स्टोन्स, केमीकल्स, हैण्डीक्राफ्ट्स, रेडीमेड गारमेंट्स इत्यादि वस्तुओं का निर्यात किया जा रहा है।

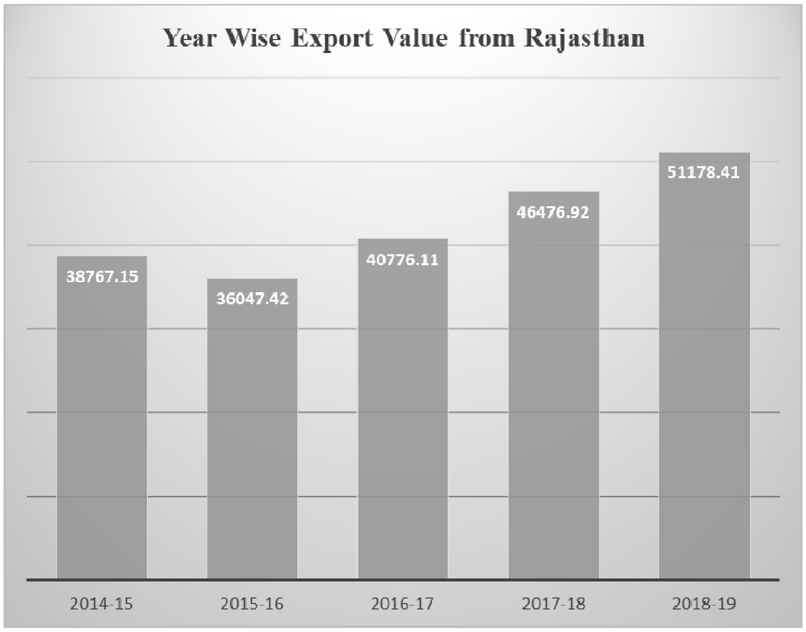


- सेक्टर वाईज निर्यात (2018–19)

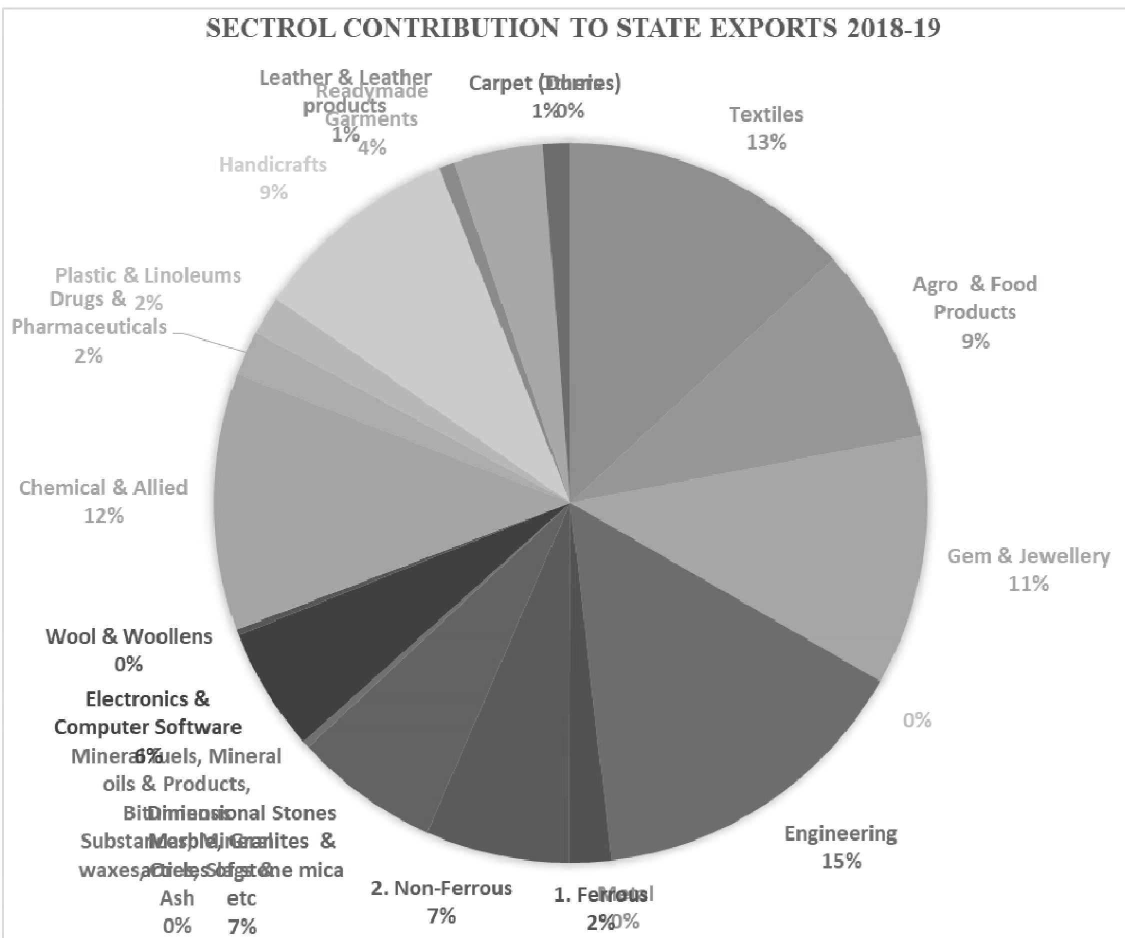

## (ख) निर्यात से सम्बन्धित योजनाएँ

### (i) अन्तर्राष्ट्रीय विदेशी व्यापार मेलों में भाग लेने पर सहायता योजना

यह योजना 2012–13 से लागू की गयी है। योजनान्तर्गत विदेशों में आयोजित होने वाले अनुमोदित व्यापार मेलों में भाग लेने वाली इकाईयों को उनके द्वारा चुकाये गये ग्राउण्ड रेण्ट पर ग्राउण्ड रेण्ट का 30 प्रतिशत अधिकतम 1.00 लाख रुपये की दर से पुनर्भरण कराया जाता है ताकि इकाई अधिकाधिक संख्या में इन विदेशी मेलों में भाग लेकर बाजारों की खोज कर सके। गत वर्ष 2.00 लाख रुपये का पुनर्भरण किया गया। वर्ष 2018–19 में 11 निर्यातकों को 9,67,700 रूपये का पुनर्भरण किया जा चुका है। वर्ष 2019–20 में माह दिसम्बर, 2019 तक 7 निर्यातकों को 6,83,400 लाख रुपये का पुनर्भरण किया जा चुका है।

### (ii) निर्यात प्रोत्साहन, प्रक्रिया एवं दस्तावेजीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

यह योजना गत पंचवर्षीय योजना में लागू की गयी थी। राज्य सरकार द्वारा योजना की अवधि 3 वर्ष बढाकर 31 मार्च, 2020 कर दी गयी है। ऐसे उद्यमी जोकि निर्यात के क्षेत्र में प्रवेश के इच्छुक है, उन उद्यमियों को निर्यात प्रक्रिया एवं दस्तावेजों तथा विश्व के बाजारों की जानकारी देने के उद्देश्य से यह योजना लागू की गयी है ताकि वे अपना स्वयं का निर्यात व्यवसाय प्रारंभ कर सके। योजनान्तर्गत 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित कराये जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2019–20 में माह दिसम्बर तक 5 स्थानों अर्थात् बाडमेर, सवाईमाधोपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर तथा भीलवाडा में कार्यक्रम आयोजित कराये जा चुके हैं एवं 2 जिले जैसलमेर, चितौडगढ़ में कार्यक्रम शीघ्र ही आयोजित कियें जायेंगें। इस कार्यक्रम के तहत माह दिसम्बर, 2019 तक 2,56,050 रूपये का व्यय किया गया है।

### (iii) राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना

राज्य के निर्यात को प्रोत्साहन करने एवं निर्यातकों के मनोबल बढाने के उद्देश्य से राजस्थान निर्यात पुरस्कार योजना क्रियान्वित की जा रही है है। एक भव्य राज्य स्तरीय समारोह आयोजित कर माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से उत्कृष्ठ निर्यातकों को पुरूस्कृत किया जाता है। वर्ष 2005 में 22, वर्ष 2008 में 28, वर्ष 2009–10 में 24 तथा वर्ष 2011–12 में 20 उत्कृष्ट निर्यातकों को पुरस्कृत किया गया है। माह दिसम्बर 2015 में तीन वर्षों के लिए 79 निर्यातकों को जिला स्तर पर प्रभारी मंत्रीगणों द्वारा पुरूस्कृत किया गया। वित्तीय वर्ष 2017–18 में तीन वर्षों के लिए 55 निर्यातकों को एमएसएमई दिवस, 2017 दिनांक 17.09.2017 को पुरस्कृत किया गया। वित्तीय वर्ष 2018–19 दिनांक 17.09.2018 को एम.एस.एम.ई दिवस 2018 को 30 निर्यातको को पुरस्कृत किया जा चुका है।

## (IV) राज्य निर्यात पुरस्कार योजना 2019

**(औद्योगिक नीति, 1994 के अनुक्रम में लागू राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना के स्थान पर)**

### 1. प्रस्तावना

राज्य सरकार द्वारा विकसित की गयी आधारभूत सुविधाओं तथा नीतियों के साथ–साथ राज्य के सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहद, व्यापारिक/निर्यातक इकाइयों एवं सेवा क्षेत्र से निर्यात को प्रोत्साहित करने एवं निर्यातकों का मनोबल बढाने के उद्देश्य से राज्य में निर्यात पुरस्कार योजना लागू किये जाने की आवश्यकता है। इसके लिए औद्योगिक नीति, 1994 के अनुक्रम में लागू राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना के स्थान पर नवीन राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना लागू की जा रही है।

### 2. उद्देश्य

राज्य में विभिन्न क्षेत्रों के अन्तर्गत निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना

### 3. योजना की अवधि

**राज्य निर्यात पुरस्कार योजना** 1 अप्रेल, 2019 से 31 मार्च, 2024 तक लागू रहेगी, जिसे समीक्षा कर आगे बढाया जा सकेगा।

### 4. पुरस्कार एवं उसकी श्रेणियां–

निर्यात पुरस्कार निम्नलिखित वस्तुओं अथवा वस्तु समूहों के लिए इन वस्तुओं/वस्तु समूहों के निर्माता/व्यापारी/निर्यातकों को पृथक–पृथक प्रदान किया जायेगाः–

| क0सं0 | वस्तु/वस्तु समूह | कुल चयनित किये जाने वाले निर्यातकों की संख्या | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **On the basis of Highest Export Turnover in Particular Category** | **On the basis of Best Growth in exports in preceding 3 years** | **Total** |
| 1. | कृषि आधारित, खाद्य प्रसंस्करण एवं जैविक खाद्य उत्पाद | 1 | 1 | 2 |
| 2. | गलीचा, दरी एवं ऊन आधारित | 1 | 1 | 2 |
| 3. | स्वर्ण/रजत/प्लेटिनम /कृत्रिम आभूषण | 1 | 1 | 2 |
| 4. | मूल्यवान एवं अर्ध मूल्यवान पत्थर | 1 | 1 | 2 |
| 5. | हस्तशिल्प | 1 | 1 | 2 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6. | खनिज आधारित उत्पाद | 1 | 1 | 2 |
| 7. | वस्त्र | 1 | 1 | 2 |
| 8. | सिले–सिलाये वस्त्र | 1 | 1 | 2 |
| 9. | इलेक्ट्रोनिक्स एवं कम्पयूटर हार्डवेयर | 1 | 1 | 2 |
| 10. | अभियांत्रिकी | 1 | 1 | 2 |
| 11. | रसायन, दवाईयां एवं संबद्ध उत्पाद | 1 | 1 | 2 |
| 12. | कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर / केपीओ / बीपीओ / पर्यटन / स्वास्थ्य एवं अन्य सेवायें (सॉफ्टवेयर व सेवा क्षेत्र की श्रेणी) | 1 | 1 | 2 |
| 13. | महिला उद्यमी(निर्यातक) इकाई | 1 | 1 | 2 |
| 14. | विदेशी सैलानियों को काउंटर बिक्री | 1 | 1 | 2 |
| 15. | विविध (चर्म, मेटल एवं अन्य उत्पाद, जोकि उपरोक्त वर्गों में शामिल नहीं हो) | 2 | 2 | 4 |
| **Total** | | 16 | 16 | 32 |

उक्त के अतिरिक्त प्रति वर्ष एक इकाई को Life Time Achievement Export Ratna Award से सम्मानित किया जाएगा। इस प्रकार Life Time Achievement Export Ratna Award सहित प्रति वर्ष चयनित इकाईयों की कुल संख्या 33 होगी।

इनके लिए प्रावधान निम्नानुसार होंगे–

**I.** एक बार पुरस्कृत इकाई आगामी **2** वर्षों के लिए इस योजना में पुरस्कार हेतु पात्र नहीं होगी।

**II.** जीवनपर्यन्त निर्यात रत्न पुरस्कार (Lifetime Achievement Export Ratna Award) अथवा राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार एक बार प्राप्त करने वाली औद्योगिक इकाई भविष्य में इस योजनान्तर्गत किसी भी वर्ग में पुरस्कार हेतु पात्र नहीं होगी ।

**III.** चयनित इकाईयों को पुरस्कार स्वरूप प्रमाण–पत्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान किये जाएगें।

**IV.** **जीवनपर्यन्त निर्यात रत्न पुरस्कार** (Lifetime Achievement Export Ratna Award) के लिए प्रावधान निम्नानुसार होंगे–

राज्य से निर्यात संवर्धन में अपनी सहभागिता एवं राज्य के औद्योगिक विकास में अपना अत्यधिक महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करने वाली औद्योगिक निर्यातक इकाईयों को विशेष रूप से सम्मानित किये जाने के लिए नई पुरस्कार श्रेणी– जीवनपर्यन्त निर्यात रत्न पुरस्कार (Lifetime Achievement Export Ratna Award) का गठन कर पुरस्कार प्रदान किया जायेगा, जिसके लिए

प्रत्येक वर्ष में निम्नलिखित शर्तें पूर्ण करने वाली केवल एक निर्यातक औद्योगिक इकाई पात्र होगी :–

1. निर्यातक औद्योगिक इकाई विगत 15 वर्षों से निरन्तर उत्पादनरत् हो।
2. इकाई द्वारा विगत 12 वर्षों से निरन्तर निर्यात किया जा रहा हो।
3. इकाई के निर्यात में विगत 3 वर्षों से निरन्तर वृद्धि दर्ज हो रही हो।
4. इकाई द्वारा विगत 5 वर्षों में निरन्तर 500 अथवा अधिक व्यक्तिओं को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध कराया गया हो।
5. निर्यातक औद्योगिक इकाई अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य स्तर पर शासकीय/अ़र्द्धशासकीय विभागों/संस्थाओं या भारत सरकार की निर्यात संवर्द्धन परिषदों/बोर्ड/प्राधिकरण से कम से कम **2** निर्यात पुरस्कार प्राप्त हों।
6. निर्यातक औद्योगिक इकाई ने विगत तीन वर्षों में सीएसआर के तहत कुल 10 करोड रूपये अथवा अधिक का व्यय/योगदान प्रदान किया हुआ हो।
7. निर्यातक औद्योगिक इकाई ने विगत 3 वर्षों में कम से कम प्रतिवर्ष 100 करोड रूपये का निर्यात किया हो।

जीवनपर्यन्त निर्यात रत्न पुरस्कार (Lifetime Achievement Export Ratna Award) के लिए एक वर्ष में एक से अधिक पात्र इकाईयां होने पर जिस इकाई की उत्पादन तिथि सबसे पुरानी होगी, वही पुरस्कार हेतु पात्र होगी।

## 5. योजना में पात्रता की शर्तें

राज्य निर्यात पुरस्कार योजना राजस्थान में कार्यरत औद्योगिक/व्यापारिक/निर्यातक इकाइयों के लिए लागू की गयी है। इस योजना में निम्नलिखित शर्तें पूर्ण करने वाले निर्यातक लाभान्वित किये जाने हेतु पात्र होंगे :–

1. इस योजना के लागू होने से पूर्व विगत **2** वर्षों में निर्यात प्रोत्साहन एवं पुरस्कार योजना में लाभान्वित हो चुकी इकाई वित्तीय वर्ष 2019–2020 में इस योजना के तहत पुरस्कार प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होगी।
2. इस योजना में पुरस्कार प्राप्त करने वाली इकाई आगामी **2** वित्तीय वर्ष तक इस योजनान्तर्गत पुनः पुरस्कार हेतु पात्र नहीं होगी।

3. इकाई/इकाई के भागीदार, स्वामी, निदेशकों के विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन है/ अन्य प्रकरण में शास्ति होने पर इकाई को पात्र नहीं माना जायेगा। इकाई को इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

4. पुरस्कार निर्धारण वर्ष में 10 करोड रू0 से कम मूल्य का निर्यात करने वाली इकाई योजना में अपात्र होगी।

5. काउन्टर सेल टू टूरिस्ट वर्ग में ऐसी इकाइयॉ लाभान्वित हो सकेगी जोकि पुरस्कार निर्धारण वर्ष में 5 करोड रूपये से अधिक की विदेश मुद्रा का व्यापार करती हो।

6. **पुरस्कार चयन हेतु मापदंड–** पुरस्कार चयन हेतु मापदंड निम्नानुसार निर्धारित किया जायेगाः–

<table>
<tr><th>S.No.</th><th>Sub-Category</th><th>Methodology</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Highest Export</td><td>प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी कर संबंधित केटेगिरी में संबंधित वर्ष (अवार्ड वर्ष) में अधिकतम निर्यात करने वाली इकाई का समिति द्वारा चयन किया जाएगा।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Best Growth</td><td>इसके लिए प्राप्त आवेदनों में से गत तीन वर्षों में से उनके निर्यात को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित सूत्र के अनुसार गणना करते हुए संबंधित केटेगरी में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाली इकाई/आवेदक का चयन किया जायेगा–
<table>
<tr><th>क्र. स.</th><th>मानदण्ड बिन्दु</th><th>कुल अंक</th><th>अंकों का वितरण का आधार</th><th>अधिकतम अंक</th></tr>
<tr><td rowspan="5">1.</td><td rowspan="5">निर्यात पुरस्कार वर्ष में पिछले वर्ष के मुकाबले वृद्धि पर।</td><td rowspan="5">50</td><td>25% तक वृद्धि होने पर</td><td>10 अंक</td></tr>
<tr><td>25 %से अधिक व 50%तक वृद्धि होने पर</td><td>20 अंक</td></tr>
<tr><td>50 %से अधिक व 75%तक वृद्धि होने पर</td><td>30 अंक</td></tr>
<tr><td>75 %से अधिक व 100 %तक वृद्धि होने पर</td><td>40 अंक</td></tr>
<tr><td>100 %से अधिक वृद्धि होने पर</td><td>50 अंक</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2. | निर्यात पुरस्कार से पिछले वर्ष में उससे पहले के वर्ष के मुकाबले वृद्धि पर | 50 | 25% तक वृद्धि होने पर | 10 अंक |
| | | | | | 25 %से अधिक व 50%तक वृद्धि होने पर | 20 अंक |
| | | | | | 50 %से अधिक व 75%तक वृद्धि होने पर | 30 अंक |
| | | | | | 75 %से अधिक व 100 %तक वृद्धि होने पर | 40 अंक |
| | | | | | 100 %से अधिक वृद्धि होने पर | 50 अंक |
| | | कुल अंक | | 100 | | |
| 3. | Lifetime Achievement Award | कमेटी को इकाई द्वारा प्रस्तुत आंकडों के विश्लेषण के उपरान्त इस वर्ग में सर्वसम्मति से एक इकाई के चयन का अधिकार होगा। | | | | |

## 6. निर्यात पुरस्कार निर्धारण समिति

राज्य निर्यात पुरस्कार योजना में प्राप्त आवेदन पत्रों में से पुरस्कार हेतु पात्र इकाईयों के चयन हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जायेगा : –

| | | |
|---|---|---|
| 1. | अतिरिक्त/प्रमुख/शासन सचिव, उद्योग | **अध्यक्ष** |
| 2. | आयुक्त, उद्योग | सदस्य |
| 3. | सीएमडी/एमडी, रीको | सदस्य |
| 4. | सीएमडी/एमडी, राज. लघु उद्योग निगम | सदस्य |
| 5. | संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार, जयपुर | सदस्य |
| 6. | क्षेत्रीय निदेशक/प्रबन्धक,जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल | सदस्य |
| 7. | क्षेत्रीय प्रबन्धक, ईपीसी फॉर हैण्डीक्राफट | सदस्य |
| 8. | क्षेत्रीय निदेशक/प्रबन्धक एपरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल | सदस्य |
| 9. | अध्यक्ष, फेडेरेशन ऑफ राजस्थान एक्सपोटर्स | सदस्य |
| 10. | अध्यक्ष, फेडेरेशन ऑफ राजस्थान हैण्डीक्राफ्ट एक्सपोटर्स | सदस्य |
| 11. | अध्यक्ष, कन्फडरेशन ऑफ इण्डियन इण्डस्ट्री | सदस्य |
| 12. | अध्यक्ष, राजस्थान चेम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्ड0, जयपुर | सदस्य |
| 13. | अध्यक्ष, फेडेरेशन ऑफ चेम्बर ऑफ कामर्स एण्ड0, जयपुर | सदस्य |
| 14. | अतिरिक्त निदेशक, उद्योग (वरिष्ठतम) | **सदस्य सचिव** |

**नोटः–**

1. राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन परिषद (राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल) के गठन की स्थिति में उन्हें भी इसमें सम्मिलित किया जायेगा और उनके सुझावों के अनुरूप वांछित संशोधन किया जा सकेगा।
2. औद्योगिक संगठनों के अध्यक्ष या उनके प्रतिनिधि ही बैठक में भाग लेने के लिए पात्र होंगे।

## 7. समिति का कार्य क्षेत्र

समिति प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच कर पात्रता के आधार पर पुरस्कार हेतु निर्यातक इकाईयों का चयन करेगी। समिति के पास यह अधिकार होगा कि यदि किसी वस्तु अथवा वस्तु समूह हेतु प्राप्त आवेदन पत्र, उस वर्ग में निर्धारित पुरस्कार संख्या से अधिक है और अन्य किसी वर्ग में आवेदन ही प्राप्त नहीं हुआ है तो अधिक आवेदन प्राप्त होने वाले वर्ग में पुरस्कारों की संख्या बढा सकेगी, जो प्रतिवर्ष कुल 33 अवार्ड से अधिक नही होगी।

## 8. आवेदन पत्र आमंत्रण एवं पुरस्कार समयावधि

उपरोक्त पुरस्कार के लिए सर्वप्रथम राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञप्ति जारी कर अथवा विज्ञापन प्रसारित कर, आवेदन–पत्र आमंत्रित किये जायेंगे, जिसकी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। विज्ञापन जारी होने की सूचना संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार कार्यालय, निर्यात संवर्द्धन परिषदों, निर्यातक ऐसोसियेशन्स को भी प्रेषित की जाएगी। आवेदक निर्यातक इकाई अपना आवेदन पत्र ऑनलाइन संबंधित जिला उद्योग केन्द्रों अथवा कार्यालय आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर में प्रस्तुत करेगी।

चूंकि इकाईयों द्वारा अपने वार्षिक प्रतिवेदन भारत सरकार के आयकर विभाग/कंपनी रजिस्ट्रार विवरणी प्रतिवर्ष माह सितम्बर/अक्टूबर तक भरने का प्रावधान है, इसलिए इस योजना में लाभान्वित किये जाने के लिए प्रतिवर्ष आवेदन पत्र वित्तीय वर्ष समाप्त होने के उपरांत माह नवम्बर या दिसम्बर में आमन्त्रित किये जायेंगे एवं माह मार्च तक सभी चयनित इकाईयों को राज्य स्तरीय समारोह मे पुरस्कृत/सम्मानित किया जायेगा। पुरस्कार की तिथि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी।

## 9. योजना का प्रशासनिक विभाग

राज्य सरकार का उद्योग (ग्रुप–1) विभाग योजना का प्रशासनिक विभाग होगा एवं योजना में संशोधन एवं मार्गदर्शन देने के लिए अधिकृत होगा।

राजस्थान निर्यात पुरस्कार योजना 2019 के अन्तर्गत राज्य के श्रेष्ठ निर्यातको को 16 श्रेणियों में सर्वाधिक टर्नओवर एवं सर्वाधिक ग्रोथ के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा दिनांक 19.12.2019 को 31 पुरस्कार एमएसएमई कॉनक्लेव समारोह में दिये गये। योजनान्तर्गत राज्य में प्रति वर्ष 1 सर्वश्रेष्ठ निर्यातक को ''Lifetime Achievement Export Ratna Award'' से भी पुरस्कृत किया जाने का प्रावधान है। परन्तु वित्तीय वर्ष 2019–20 में सम्बन्धित मापदण्ड अनुसार कोई भी निर्यातक योग्य नहीं होने के कारण किसी को भी पुरस्कृत नहीं किया गया।

राज्य में निर्यात प्रोत्साहन हेतु ''राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद'' का गठन 08.11.2019 एवं ''राजस्थान निर्यात संवर्धन समन्वय परिषद'' का गठन 25.10.2019 किया गया।

## (8) अल्पसंख्यक कल्याण योजना (15 सूत्रीय कार्यक्रम)

प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत अल्पसंख्यक कल्याण की विभिन्न योजनाओं अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों को लाभान्वित कराया जाता है। इस कल्याणकारी योजना के तहत विभागीय योजनायें यथा प्रधानमंत्री रोजगार योजना, गृह उद्योग योजना में प्रशिक्षण, स्वास्थ्य बीमा योजना, करघाघर, बुनकरों का बीमा, तकनीकी उन्नयन योजना मे प्रशिक्षण, आर्टिजन्स को परिचय पत्र एवं क्रेडिट कार्ड जारी करना, मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना मे ऋण स्वीकृत करना एवं हस्तशिल्पियों को ब्याज अनुदान योजना आदि में वित्तीय वर्ष 2014–15 मे अल्पसंख्यक समुदाय के 2785 व्यक्तियों को विभागीय योजनाओ में लाभान्वित किया गया।

| क्र0सं0 | वर्ष | विभागीय योजानाओं में अल्पसंख्यक लाभार्थियों की संख्या |
|---|---|---|
| 1. | 2016–17 | 8000 |
| 2. | 2017–18 | 6494 |
| 3. | 2018–19 | 5876 |
| 4. | 2019–20 (माह दिसम्बर, 2019 तक) | 4111 |

## (9) उद्योग विभाग से संबंधित अन्य प्रमुख संस्थान व कार्य

### (i) राष्ट्रीय फैशन तकनीकी संस्थान (NIFT)

राज्य में फैशन तकनीकी से संबंधित उद्योगों के सर्वागीण विकास हेतु राष्ट्रीय फैशन तकनीकी संस्थान की जोधपुर में वर्ष 2010 में स्थापना की घोषणा की गयी थी। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा ग्राम करवड में 50 एकड भूमि का निःशुल्क आवंटन कर राज्य सरकार द्वारा भवन एवं प्रारंभिक तीन वर्षों के Deficit Funding के रूप में अब तक 62.47 करोड रुपये की राशि का बजट उपलब्ध करा दिया गया है।

वर्तमान में NIFT में कुल 6 कोर्स संचालित है, जिसमें कुल 660 विद्यार्थी अध्ययनरत है। निफ्ट् में प्रति कोर्स हेतु राजस्थान के 6 विद्यार्थियों के लिए 6 सीटें आरक्षित हैं। वर्तमान में राजस्थान के कुल 36 विद्यार्थी अध्ययनरत है।

### (ii) सिरेमिक परीक्षण प्रयोगशाला, बीकानेर

सिरेमिक सेन्टर की स्थापना के लिए वर्ष 2005–06 के बजट भाषण में घोषणा की गई थी, और इस हेतु 451.40 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया गया था। सिरेमिक एण्ड इलेक्ट्रिकल

विकास समिति, बीकानेर की स्थापना के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट सेन्ट्रल ग्लास एण्ड सिरेमिक रिसर्च इन्स्टीट्यूट (सीजीसीआरआई) खुर्जा से तैयार कराई गई थी। समिति की मूल प्रोजेक्ट लागत 451.40 लाख रुपये थी, जो कि संशोधित कर 710.78 लाख रुपये कर दी गई। सेन्टर के लिए टैक्नीकल एज्यूकेशन विभाग द्वारा 11,514 वर्ग मीटर जमीन उपलब्ध कराई गई है। जिला कलक्टर, बीकानेर की अध्यक्षता में एक सोसायटी का पंजीयन कराया गया है। प्रयोगशाला हेतु भवन के प्रथम एव द्वितीय चरण का निर्माण का कार्य पूर्ण हो गया है। सेन्टर को सुचारु रुप से चलाने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज, बीकानेर सोसायटी के साथ दिनांक 11.11.2009 को एक एम.ओ.यू. एक वर्ष के लिए किया गया था, जिसे नवम्बर, 2010 में एक वर्ष के लिए और बढ़ाया गया था तत्पश्चात् नवम्बर,2011 से दो वर्ष की अवधि में बढ़ाया जाता रहा है, जो निरन्तर कार्यरत है। सिरेमिक सेन्टर में मूल प्रोजेक्ट की लागत में से 322.27 लाख रुपये की राशि के आवश्यक संयत्र आदि क्रय किये जा चुके है। सिरेमिक सेन्टर में परीक्षण/गुणवत्ता की जॉच के पश्चात मशीनें स्थापित करके टेस्टिंग का कार्य शुरु कर दिया गया है।

- सिरेमिक उद्योगों को क्लस्टर्स के रूप में स्थापित करने एवं पूरे उत्तर भारत में इस क्षेत्र में क्रांतिकारी औद्योगिक उपलब्धियों के लिए वर्ष 2005–06 में राज्य सरकार द्वारा सिरेमिक सेन्टर, बीकानेर के रूप में स्थापित किये जाने के लिए घोषणा की गई। सिरेमिक सेंटर की स्थापनार्थ राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित राशि रुपये 710.78 लाख स्वीकृत/आवंटन हुए हैं। सिरेमिक सेन्टर बीकानेर का विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्रालय, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (DSIR) , नई दिल्ली से पंजीकरण हो चुका है। परियोजना रिपोर्ट राशि 710.78 लाख रुपये राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2008–09 में अनुमोदित की गई। राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत 14 अक्टूबर 2008 को "सिरेमिक एवं इलेक्ट्रीकल विकास समिति" का पंजीयन हो चुका है। सिरेमिक लेबोरेट्री द्वारा सिरेमिक टेस्टिंग का कार्य शुभारम्भ माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कर दिनांक 13.05.2010 से प्रारम्भ कर दिया गया था।
- लैब के लिए लैब भवन एवं प्रशासनिक भवन बनकर पूर्ण रूपेण तैयार हो गया है। इस पर अब तक (कुल निर्माण 20277 वर्ग फीट क्षेत्र) राशि 187.73 लाख रुपये नियोजन हो चुका है।
- आवश्यकता के अनुसार अब तक राशि 322.27 लाख रुपये के उपकरण क्रय कर विभिन्न लैब में स्थापित हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त सभी लैबों की आवश्यकतानुसार फर्नीचर एवं फिक्चर भी क्रय कर स्थापित कर दिया गया है।
- CEVSB के सदस्यों एवं उद्योग संघों के सदस्यों के साथ विचार विमर्श कर रीजनेबल टेस्टिंग्स चार्ज/फीस निर्धारित की गई है।

- सेंटर में सिरेमिक इलेक्ट्रिकल, कैमिकल, मिनरल एवं फिजिकल विश्लेषण से संबंधित विभिन्न प्रकार के परीक्षण का कार्य चल रहा है।
- राष्ट्रीय स्तर की परीक्षण प्रयोगशाला के रूप में सिरेमिक सेंटर की इलेक्ट्रीकल लैब को **राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (NABL)** भारत सरकार द्वारा मान्यता दिनांक 22.09.2016 को प्राप्त हो चुकी है। पुनः 2019 में NABL भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किया गया है।
  - जिसमें विद्युत धारा प्रसारण उपकरणों एवं एसेसरीज के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के इंसुलेटर एवं उनसे संबंधित उपकरणों एवं एसेसरीज मुख्यतः इंसुलेटर, पोर्सलीन इंसुलेटर में प्रयुक्त खनिज विशेषतः सिरेमिक की गुणवत्ता एवं उच्च स्तरीय ताप ग्राह्यता एवं गैल्वेनाईजिंग टेस्ट दिनांक 22.09.2016 से प्रारम्भ कर दिये गये है।
  - साथ ही माह दिसम्बर 2016 से यांत्रिक टेस्ट भी प्रारम्भ कर दिये गये हैं।
- सिरेमिक सेन्टर के बारे में समस्त प्रकार की जानकारी हेतु CEVS द्वारा www.cerdc.res.in की वेबसाईट तैयार की है। सिरेमिक इलेक्ट्रिकल रिसर्च एण्ड डवलपमेंट सेंटर, बीकानेर को बीकानेर इंजीनियरिंग कॉलेज की वेबसाईट www.ecb.ac.in/cclab एवं जिले की वेबसाईट bikaner.nic.in से भी जोड़ दिया गया है।

### (iii) सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी (सिपेट-CIPET)

रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार के अन्तर्गत ISO 9001:2015, ISO/IEC:17025 & 17020 प्रमाणित एक राष्ट्रीय संस्थान है जो कि प्लास्टिक्स एवं उससे संबंधित उद्योगो के विकास हेतु कौशल विकास, प्रौद्योगिकी सहायता, शैक्षणिक एवं अनुसंधान के लिए समर्पित है।

सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी (सिपेट) जयपुर की स्थापना वर्ष 2006 में भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार द्वारा कुल 20.50 करोड रूपये की परियोजना लागत से 50:50 व्यय साझेदारी के आधार पर की गयी। सिपेट जयपुर केन्द्र सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र में 22 एकड भूमि में स्थित है एवं संस्थान प्लास्टिक की वस्तुएं, मोल्ड डिजाईन, कैड–कैम सी.ए.ई., मोल्ड बनाना, प्रोसेसिंग, परीक्षण व गुणवत्ता नियंत्रण आदि विभागों के लिए आधुनिक संसाधनों के साथ सुसज्जित है और यह प्लास्टिक्स एंव संबंधित इकाइयों और छात्रों के विकास के लिए कटिबद्ध है।

वर्तमान में सिपेट जयपुर में निम्नलिखित AICTE approved दीर्घ अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा हैः–

1. डिप्लोमा इन प्लास्टिक्स टैक्नोलॉजी (डीपीटी)– 3 वर्षीय
2. डिप्लोमा इन प्लास्टिक्स मोल्ड टैक्नोलॉजी (डीपीएमटी)– 3 वर्षीय

दीर्घ अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम के अतिरिक्त सिपेट जयपुर में राजस्थान के बेरोजगार युवाओं हेतु केन्द्र, राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा प्रायोजित रोजगारोन्मुखी लघु अवधि कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। जिसमें प्रतिवर्ष लगभग 1500–2000 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। जिन्हें प्लास्टिक उद्योगों में केम्पस प्लेसमेंट के द्वारा रोजगार उपलब्ध कराया जाता हैं।

सिपेट जयपुर द्वारा दीर्घअवधि पाठ्यक्रमों में वर्ष 2006 से अब तक लगभग 3000 प्रशिक्षणार्थियों को तथा लघुअवधि प्रशिक्षण कार्यक्रमों में लगभग 20000 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। सिपेट द्वारा संचालित सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 75–80 प्रतिशत विद्यार्थियों को केम्पस प्लेसमेंट द्वारा रोजगार प्रदान किया जाता हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अलावा सिपेट जयपुर राजस्थान के विभिन्न उद्योगो को प्लास्टिक्स एवं संबंधित क्षेत्रों में तकनीकी सहायता भी प्रदान करता हैं।

**हाईलर्निंग सेंटर** – सिपेट जयपुर में भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार द्वारा 51.32 करोड रूपये की लागत से **उच्च अध्ययन केन्द्र** की स्थापना की जा रही है जिसमें प्लास्टिक्स/मेकेनिकल इंजीनियरींग के क्षेत्र में स्नातक (B.Tech.) एवं स्नातकोत्तर (M.Tech.) डिग्री कोर्स प्रारंभ किया जाएगा। जिससे प्लास्टिक्स एवं उससे संबंधित क्षेत्रों में उच्च योग्य, कुशल मानव शक्ति प्रदान की जा सकें एवं वे इनके विकास में अपना योगदान दे सकें। जिसके लिए राजस्थान सरकार द्वारा 20035.31 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की जा चुकी हैं तथा भवन निर्माण संबंधित कार्य भी प्रारंभ हो चुके हैं। सिपेट द्वारा फील्ड ट्रेनिंग तथा टेक्निकल सर्विस के द्वारा राज्य के प्लास्टिक उद्योग के विकास के लिए इस सेंटर की स्थापना की जा रही है, जिसके अंतर्गत बीटेक, एमटेक एवं पीएचडी के पाठ्यक्रम संचालित किये जायेंगे। रसायन एवं पेट्रोलियम विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस सेंटर की स्थापना के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किये गये जिसकी लागत 51.32 करोड़ रू. होगी जिसमें राज्य सरकार द्वारा 25.66 करोड़ रू. एवं भूमि उपलब्ध करायी जायेगी।

राज्य सरकार द्वारा इस सेंटर की स्थापना हेतु 20,035.31 वर्गमीटर भूमि का आवंटन किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2017–18 के बजट में इस सेंटर की स्थापना हेतु 25.66 करोड रू. का प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में 8 करोड रू. का बजट सिपेट को आवंटित किया जा चुका

है तथा सिपेट द्वारा इसका उपयोगिता प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत किया गया है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में इस सेंटर की स्थापना हेतु 14 करोड रू. का बजट प्रावधान किया गया है। वित्त विभाग के निर्देशानुसार 14 करोड रू. के बजट आवंटन सिपेट को जारी किया जा चुका है।

वर्तमान में CIPET द्वारा एक अतिरिक्त शैक्षणिक आधारभूत संरचना के विकास के लिए 7.50 करोड़ रू. की मांग की गई है। जिसकी कार्यवाही विचाराधीन है।

**(iv) ब्रह्मगुप्त अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, जोधपुर**

- माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 29 मार्च 2007 को विधानसभा में हैण्डीक्राफ्ट एवं ग्वारगम के लिए जोधपुर में एक R&D Cum Skill Upgadation Institute की स्थापना के लिए राज्य की ओर से निःशुल्क उपयुक्त भूमि और एक बेसिक भवन उपलब्ध कराने की घोषणा की गयी थी जिसका संचालन स्थानीय उद्योग संस्थानों के माध्यम से अथवा निजी सहभागिता से किया जाना था।
- दिनांक 27.12.2007 को रीको द्वारा बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण हेतु अल्पकालीन टेण्डर आमंत्रित किये गयें। रीको को दिनांक 17.1.2007 को बाउण्ड्रीवॉल के निर्माण के लिये 25.40 लाख रुपयें का बजट राशि का भुगतान जारी किया गया।
- उपरोक्त घोषणा की पालना में रीको द्वारा दिनांक 08.08.2007 को बोरानाडा, जोधपुर में 5 एकड भूमि का आवंटन किया गया। परियोजना का नाम प्रसिद्व गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त के नाम को अनुमोदित किया गया। परियोजना का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान, सरकार दिनांक 14.08.2007 को किया गया।
- चूंकि घोषणा के अनुसार इन्स्टीट्यूट का संचालन औद्योगिक संस्थानों अथवा निजी सहभागिता से किया जाना था। अतः उक्त केन्द्र की स्थापना एवं संचालन हेतु ब्रह्मगुप्त अनुसंधान एवं विकास समिति का गठन किया गया।
- घोषणा की मूल भावना के अनुसार राज्य सरकार द्वारा इसके लिए भूमि का आवंटन कर दिया गया है तथा इस भूमि पर 24.15 लाख रूपये की लागत से बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण करा दिया गया है।

घोषणा के अनुसार इन्स्टीट्यूट का संचालन निजी सहभागिता से किया जाना है। उपयुक्त समिति से प्रस्ताव प्राप्त होने पर उक्त इन्स्टीट्यूट के बेसिक भवन के निर्माण हेतु कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।

## (v) एस्पायर योजना –Scheme For Promoting Innovation, Rural Industry And Entrepreneurship (ASPIRE)

एम.एस.एम.ई मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उद्यमिता एवं नवाचार को बढ़ावा देने हेतु दिनांक 18/03/2015 को Scheme For Promoting Innovation, Rural Industry And Entrepreneurship(ASPIRE) योजना प्रारम्भ की गई। योजनान्तर्गत सम्पूर्ण देश में 80 आजीविका व्यापार प्रोत्साहन केन्द्र (लाइवलीहुड़ बिजनेस इन्क्यूबेशन सेंटर) स्थापित किए जाने है। जिनके माध्यम से 1 लाख 4 हजार लाभार्थियों (इन्क्यूबेट्स) को प्रशिक्षित किया जावेगा। इसी के साथ 30 (10 नये और 20 कार्यरत) तकनीकी व्यापार प्रोत्साहन (टेक्नॉलॉजी बिजनेस इन्क्यूबेशन) केन्द्र स्थापित और सशक्त किये जायेंगे।

योजनान्तर्गत राज्य में भारत सरकार द्वारा 8 लाइवलीहुड़ बिजनेस इन्क्यूबेशन सेंटर, जिला जयपुर, कोटा, बीकानेर, अलवर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, झालावाड़, में स्वीकृत किये गये है। इसके तहत राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, झालावाड़, अजमेर, बीकानेर, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा, आईटीआई, खोनागोरियान, जयपुर, आईटीआई, रामगढ़, अलवर, प्रोडक्शन सेन्टर, उदयपुर एवं एफडीडीआई, जोधपुर को एलबीआईज स्वीकृत किये गये थे। जिसके तहत प्रत्येक सेन्टर की स्थापना हेतु अधिकतम 1.00 करोड़ रूपये भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायें जायेंगे। स्वीकृत सेन्टरों की प्रगति निम्नानुसार हैः–

1. कोटा, झालावाड़, अजमेर एवं बीकानेर जिलो को भारत सरकार से प्रथम किश्त की राशि जारी कर दी गयी है। जिसके तहत् भवन चिन्हित कर यंत्र–संयत्र खरीदने की निविदा प्रक्रियाधीन है।
3. उदयपुर, अलवर एवं जयपुर, को भारत सरकार द्वारा प्रथम किश्त की राशि जारी किया जाना प्रकियाधीन है।

योजनान्तर्गत राज्य पर वित्तीय भार नहीं है शत प्रतिशत राशि भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाती है।

भाग–4

# परिशिष्ट

परिशिष्ट –1

## कार्यालय आयुक्त, उद्योग एवं जिला उद्योग केन्द्रों में स्वीकृत पद 2019–20

(दिसम्बर, 2019)

| क्र.सं. | नाम पद | मुख्यालय | जिला उद्योग केन्द्र |
|---|---|---|---|
| 1. | भारतीय प्रशासनिक सेवा | 1 | 0 |
| 2. | राजपत्रित उद्योग सेवा | 21 | 101 |
| 3. | राजपत्रित लेखा सेवा | 5 | 0 |
| 4. | राजपत्रित सांख्यिकी सेवा | 1 | 0 |
| 5. | राजपत्रित विधि सेवा | 2 | 0 |
| 6. | उद्योग अधीनस्थ सेवा (राजपत्रित) | 6 | 78 |
| 7. | उद्योग अधीनस्थ सेवा | 11 | 130 |
| 8. | अधीनस्थ लेखा सेवा | 15 | 36 |
| 9. | अधीनस्थ सांख्यिकी सेवा | 4 | 0 |
| 10. | एनालिस्ट कम प्रोग्रामर | 1 | 0 |
| 11. | सहायक प्रोग्रामर | 2 | 0 |
| 12. | मंत्रालयिक सेवा (राजपत्रित) | 12 | 14 |
| 13. | मंत्रालयिक सेवा (अराजपत्रित) | 109 | 304 |
| | **अन्य सेवा** | | |
| 1 | सूचना सहायक | 2 | 31 |
| 2. | वाहन चालक | 5 | 3 |
| 3. | जमादार | 2 | 0 |
| 4. | चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी | 32 | 153 |
| 5. | सफाईकर्ता | 2 | 0 |
| | **योगः–** | **233** | **850** |

## उद्योग विभाग में स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त पदों का विवरण
## (जनवरी, 2020)

| क.सं. | पद | स्वीकृत | कार्यरत् | रिक्त | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | आयुक्त | 1 | 1 | 0 | — |
| 2 | अतिरिक्त निदेशक | 3 | 1 | 2 | — |
| 3 | संयुक्त निदेशक | 17 | 17 | 0 | एक पद सीएसआर का है। |
| 4 | उप निदेशक | 42 | 20 | 22 | — |
| 5 | सहायक निदेशक | 60 | 33 | 27 | 18 पद आरपीएससी के माध्यम से सीधी भर्ती से भरे जाने है। जिसमें 15 पदों की अभ्यर्थना भिजवायी जा चुकी है। |
| 6 | जिला उद्योग अधिकारी | 83 | 29 | 54 | 5 पद सीधी भर्ती यथांश के है जिसकी अर्थना भेजी जा चुकी है। शेष पद डीपीसी से भरे जाने है लेकिन कोई अनुभवधारक कार्मिक उपलब्ध नही होने के कारण रिक्त है। |
| 7 | आर्थिक अन्वेषक | 13 | 12 | 1 | |
| 8 | उद्योग प्रसार अधिकारी | 94 | 54 | 40 | 60 पदों पर गत वर्ष भर्ती की गई है। |
| 9 | हाथकर्घा निरीक्षक | 9 | 0 | 9 | 6 पदों पर भर्ती हेतु राज. अधी. एवं मंत्रा. सेवा चयन बोर्ड द्वारा विज्ञापन जारी किया जा चुकी है। बोर्ड द्वारा दिनांक 22.12.2019 को परीक्षा आयोजित किया जा चुका है। |
| 10 | उद्योग निरीक्षक | 19 | 11 | 08 | 13 पदों पर गत वर्ष भर्ती की गई है। |
| 11 | वित्तीय सलाहकार | 1 | 1 | 0 | — |
| 12 | लेखाधिकारी | 2 | 2 | 0 | — |
| 13 | सहायक लेखाधिकारी I | 2 | 2 | 0 | |
| 14 | सहायक लेखाधिकारी II | 41 | 22 | 19 | निदेशक कोष एवं लेखा द्वारा पदस्थापन किया जाता है। |
| 15 | कनिष्ठ लेखाकार | 10 | 09 | 01 | निदेशक कोष एवं लेखा द्वारा पदस्थापन किया जाता है। |
| 16 | उप निदेशक (सांख्यिकी) | 1 | 1 | 0 | — |
| 17 | सहायक सांख्यिकी अधिकारी | 2 | 2 | 0 | — |
| 18 | संगणक | 2 | 2 | 0 | — |
| 19 | उप विधिपरामर्शी | 1 | 1 | 0 | — |
| 20 | वरिष्ठ विधि अधिकारी | 1 | 1 | 0 | — |
| 21 | एनालिस्ट कम प्रोग्रामर | 1 | 1 | 0 | DOIT से पदस्थापन किया जाता है। |
| 22 | सहायक प्रोग्रामर | 2 | 2 | 0 | DOIT से पदस्थापन किया जाता है। |
| 23 | सूचना सहायक | 33 | 26 | 07 | DOIT से पदस्थापन किया जाता है। |
| 24 | लवण अधीक्षक | 1 | 0 | 1 | पदोन्नति से भरा जायेगा। |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | लवण निरीक्षक | 6 | 0 | 6 | 5 पदों पर भर्ती हेतु राज. अधी. एवं मंत्रा. सेवा चयन बोर्ड द्वारा विज्ञापन जारी किया जा चुकी है। बोर्ड द्वारा दिनांक 22.12.2019 को परीक्षा आयोजित किया जा चुका है। |
| 26 | वाहन चालक | 8 | 2 | 6 | विभागीय स्तर पर सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना है। |
| 27 | अतिरिक्त निजी सचिव | 2 | 1 | 1 | |
| 28 | निजी सहायक | 12 | 08 | 04 | एसटी का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध नही होने के कारण रिक्त है। |
| 29 | आशुलिपिक | 32 | 08 | 24 | रिक्त पदों पर भर्ती हेतु अर्थना प्रशासनिक सुधार विभाग को भिजवाई जा चुकी है। |
| 30 | संस्थापन अधिकारी | 01 | 0 | 01 | |
| 31 | प्रशासनिक अधिकारी | 4 | 0 | 4 | |
| 32 | अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी | 19 | 10 | 09 | |
| 33 | सहायक प्रशासनिक अधिकारी | 62 | 50 | 12 | |
| 34 | वरिष्ठ सहायक | 122 | 103 | 19 | |
| 35 | कनिष्ठ सहायक | 185 | 72 | 113 | रिक्त पदों पर भर्ती हेतु अर्थना प्रशासनिक सुधार विभाग को भिजवाई जा चुकी है। |
| 36 | जमादार | 2 | 1 | 1 | |
| 37 | चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी | 185 | 58 | 127 | विभागीय स्तर पर सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना है। एनओसी हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। |
| 38 | सफाईकर्ता | 2 | 2 | 0 | |
| | **योग** | **1083** | **565** | 518 | |

परिशिष्ट –2

## बजट 2016–17

( राशि –लाख रु.)

| क.सं. | नाम बजट मद | आय व्ययक अनुमान | संशोधित प्रावधान | व्यय **2016–17** |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | आयोजना | 23665.31 | 21044.41 | 20541.38 |
| **2.** | आयोजना भिन्न | 4535.10 | 4323.63 | 4084.09 |
| **3.** | केन्द्र प्रवर्तित | .... | ..... | ..... |

## बजट 2017–18

( राशि –लाख रु.)

| क.सं. | नाम बजट मद | आय व्ययक अनुमान | संशोधित प्रावधान | व्यय **2017–18** |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | योजनाओं से संबंधित | 23974.84 | 23163.15 | 22658.15 |
| **2.** | योजनाओं के अतिरिक्त | 4632.21 | 4452.29 | 4226.21 |
| **3.** | केन्द्रीय सहायता | 2500.06 | 211.93 | 102.96 |

## बजट 2018–19

( राशि –लाख रु.)

| क.सं. | नाम बजट मद | आय व्ययक अनुमान | संशोधित प्रावधान | व्यय **2018–19** |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | योजनाओं से संबंधित | 24972.34 | 19553.38 | 19166.43 |
| **2.** | योजनाओं के अतिरिक्त | 5497.29 | 5420.00 | 4910.72 |
| **3.** | केन्द्रीय सहायता | 0.03 | 0.00 | 0.00 |

## बजट 2019–20

( राशि –लाख रु.)

| क.सं. | नाम बजट मद | आय व्ययक अनुमान | संशोधित प्रावधान | व्यय **2019–20** (31 दिसम्बर, 2019 तक) |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | योजनाओं से संबंधित | 15197.92 | - | 12924.56 |
| **2.** | योजनाओं के अतिरिक्त | 19255.17 | - | 3340.95 |
| **3.** | केन्द्रीय सहायता | 0.03 | - | 0.00 |

परिशिष्ट –3

# विभागीय योजनाओं की प्रगति

## वर्ष 2016–17, 2017–18, 2018-19 एवं 2019–20 (दिसम्बर, 2019 तक)

| क. सं. | योजना / कार्यक्रम | इकाई | 2016–17 | | 2017–18 | | 2018–19 | | 2019–20 (दिसम्बर, 2019) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | लक्ष्य | प्रगति | लक्ष्य | प्रगति | लक्ष्य | प्रगति | लक्ष्य | प्रगति |
| 1. | एम.एस.एम.ई / मेमोरेण्डम | संख्या | 15959 | 99340 | - | 102515 | - | 104584 | - | 105334 |
| 2. | नियोजन | संख्या | 54888 | 572210 | - | 439289 | - | 465445 | - | 447326 |
| 3. | विनियोजन | करोड रुपये | – | 15051.00 | - | 10917.08 | - | 11589.64 | - | 11539.73 |
| 3. | हाथकरघा | | | | | | | | | |
| | महात्मा गॉधीबुनकर बीमा योजना (स्कीम बन्द) | संख्या | 4350 | 2507 | - | - | - | - | - | - |
| 4. | औ़द्योगिक प्रोत्साहन शिविर | | | | | | | | | |
| | (अ) जिला स्तर पर | संख्या | 34 | 59 | 34 | 94 | 34 | 62 | 35 | 33 |
| | (ब)पंचायत समिति स्तर पर | संख्या | 248 | 265 | 248 | 352 | 248 | 254 | 248 | 182 |
| 5. | चर्म प्रशिक्षण | संख्या | 195 | 178 | 195 | 195 | 195 | 190 | 195 | 140 |
| 6. | उद्यमियता विकास प्रशिक्षण (स्कीम बन्द) | संख्या | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7. | गृह उद्योग योजना (स्कीम बन्द) | संख्या | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8. | बाट व माप (स्थानान्तरण) | | | | | | | | | |
| | (अ) राजस्व | लाख रूपये | 1166.30 | 543.87 | – | – | – | – | – | – |
| | (ब) चालान | संख्या | 1230 | 44 | – | – | – | – | – | – |
| 9. | आर्टिजन परिचय पत्र | संख्या | – | 19057 | 49500 | 28015 | 25000 | 8743 | 19500 | 3068 |
| 10. | प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम ( ऋण वितरण ) | संख्या | 1100 | 1132 | 990 | 1078 | 1245 | 1609 | 1362 | 1019 |
| 11. | भामाशाह रोजगार सृजन योजना ( ऋण वितरण ) | संख्या | 11000 | 8666 | 11000 | 10753 | 11000 | 10025 | – | – |

## प्रमुख कार्यक्रमों में जिला उद्योग केन्द्र वार लक्ष्य एवं उपलब्धियां वर्ष 2016–17

| क.सं. | जिला उद्योग केन्द्र | MSME उद्योग आधार पंजीयन (UAM) पंजीकृत इकाई संख्या लक्ष्य | पंजीकृत इकाई संख्या उपलब्धि | नियोजन संख्या लक्ष्य | नियोजन संख्या उपलब्धि | विनियोजन लाख रु. उपलब्धि | प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम लक्ष्य | प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम उपलब्धि | बाट व माप एक्ट राजस्व (लाख रु.) लक्ष्य | राजस्व उपलब्धि | चालान संख्या लक्ष्य | चालान संख्या उपलब्धि | महात्मा गॉधी बुनकर बीमा लक्ष्य | महात्मा गॉधी बुनकर बीमा उपलब्धि | भामाशाह रोजगार सृजन योजना लक्ष्य | भामाशाह रोजगार सृजन योजना उपलब्धि | औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर लक्ष्य | औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर उपलब्धि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | अजमेर | 798 | 3794 | 2783 | 24428 | 82651.00 | 30 | 36 | 69.30 | 20.58 | 110 | 1 | 200 | 107 | 550 | 562 | 9 | 9 |
| 2. | अलवर | 609 | 1967 | 2168 | 12573 | 45943.00 | 50 | 22 | 34.65 | 14.11 | 40 | 0 | 130 | 105 | 400 | 139 | 9 | 9 |
| 3. | बांसवाडा | 289 | 476 | 1019 | 1952 | 6514.00 | 35 | 21 | 15.40 | 10.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 301 | 9 | 9 |
| 4. | बारां | 126 | 684 | 504 | 4887 | 5017.00 | 25 | 25 | 12.10 | 5.11 | 70 | 0 | 150 | 0 | 210 | 216 | 8 | 24 |
| 5. | बाडमेर | 210 | 1785 | 609 | 10567 | 27590.60 | 50 | 40 | 18.15 | 8.07 | 35 | 0 | 215 | 195 | 400 | 218 | 9 | 9 |
| 6. | भरतपुर | 410 | 2791 | 1360 | 13632 | 27748.00 | 33 | 33 | 40.15 | 14.87 | 70 | 9 | 160 | 118 | 400 | 125 | 10 | 10 |
| 7. | भीलवाडा | 809 | 5580 | 3014 | 28214 | 85199.00 | 25 | 39 | 35.20 | 23.22 | 70 | 3 | 200 | 200 | 360 | 364 | 12 | 12 |
| 8. | भिवाडी | 730 | 2182 | 2331 | 33878 | 115929.00 | 23 | 10 | 33.01 | 16.01 | 35 | 0 | 0 | 0 | 250 | 202 | 7 | 7 |
| 9. | बीकानेर | 830 | 3283 | 3024 | 14547 | 45703.00 | 27 | 40 | 41.63 | 20.68 | 55 | 4 | 250 | 250 | 400 | 345 | 7 | 7 |
| 10. | बून्दी | 263 | 577 | 940 | 3120 | 9020.00 | 16 | 18 | 16.50 | 12.21 | 0 | 4 | 100 | 106 | 200 | 126 | 6 | 6 |
| 11. | चित्तौडगढ | 357 | 1272 | 1139 | 8301 | 29824.00 | 50 | 30 | 44.00 | 25.20 | 70 | 0 | 110 | 110 | 300 | 302 | 12 | 12 |
| 12. | चुरू | 263 | 1817 | 788 | 7642 | 18144.00 | 25 | 34 | 25.31 | 9.12 | 0 | 0 | 150 | 31 | 200 | 196 | 7 | 7 |
| 13. | दौसा | 252 | 985 | 1008 | 5286 | 10495.00 | 16 | 28 | 21.00 | 8.73 | 0 | 1 | 200 | 199 | 210 | 122 | 6 | 6 |
| 14. | धौलपुर | 179 | 538 | 499 | 2700 | 8223.00 | 16 | 18 | 12.91 | 4.76 | 35 | 2 | 0 | 0 | 170 | 142 | 5 | 5 |
| 15. | डूंगरपुर | 189 | 707 | 578 | 3156 | 7890.43 | 28 | 30 | 12.65 | 5.86 | 35 | 11 | 0 | 0 | 170 | 182 | 6 | 8 |
| 16. | हनुमानगढ | 210 | 5369 | 593 | 13315 | 26584.00 | 21 | 35 | 19.80 | 9.75 | 35 | | 0 | 0 | 300 | 295 | 8 | 8 |
| 17. | जयपुर (ग्रामीण) | 903 | 10917 | 2725 | 66062 | 181596.00 | 50 | 42 | 66.00 | 35.46 | 0 | 0 | 375 | 183 | 500 | 230 | 13 | 20 |
| 18. | जयपुर (शहर) | 1271 | 24683 | 4447 | 144038 | 278892.00 | 50 | 28 | 135.00 | 65.87 | 0 | 0 | 375 | 50 | 700 | 236 | 1 | 11 |
| 19. | जैसलमेर | 263 | 308 | 740 | 1736 | 5927.00 | 45 | 63 | 7.80 | 3.83 | 45 | 0 | 200 | 33 | 60 | 73 | 4 | 3 |
| 20. | जालौर | 263 | 770 | 714 | 3688 | 16202.00 | 22 | 26 | 15.40 | 10.49 | 35 | 0 | 100 | 0 | 340 | 263 | 9 | 10 |
| 21. | झालावाड | 263 | 368 | 830 | 2405 | 3917.00 | 26 | 17 | 13.65 | 7.86 | 35 | 0 | 325 | 28 | 250 | 182 | 7 | 12 |
| 22. | झुंझुनू | 347 | 1926 | 1181 | 9751 | 24670.00 | 17 | 26 | 30.25 | 16.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 342 | 9 | 9 |
| 23. | जोधपुर | 788 | 5709 | 3150 | 38573 | 106187.00 | 50 | 39 | 99.00 | 33.20 | 50 | 0 | 200 | 200 | 550 | 589 | 7 | 7 |
| 24. | करौली | 310 | 403 | 924 | 2676 | 3895.00 | 30 | 28 | 8.80 | 2.67 | 35 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 6 | 6 |
| 25. | कोटा | 819 | 2819 | 3276 | 20827 | 54720.00 | 50 | 54 | 45.80 | 17.59 | 70 | 0 | 300 | 200 | 400 | 382 | 6 | 9 |
| 26. | नागौर | 205 | 1763 | 819 | 12686 | 29377.00 | 22 | 9 | 42.15 | 13.00 | 0 | 0 | 130 | 0 | 300 | 118 | 12 | 0 |
| 27. | पाली | 662 | 1553 | 2331 | 8665 | 30966.00 | 22 | 29 | 41.26 | 22.71 | 35 | 2 | 150 | 78 | 100 | 128 | 11 | 11 |
| 28. | फलौदी | 263 | 283 | 1050 | 1233 | 2756.00 | 15 | 15 | 5.50 | 2.92 | 35 | 0 | 0 | 0 | 130 | 128 | 4 | 7 |
| 29. | प्रतापगढ | 179 | 191 | 593 | 818 | 1378.00 | 11 | 13 | 4.95 | 2.87 | 35 | 0 | 0 | 0 | 210 | 163 | 6 | 7 |
| 30. | राजसमन्द | 483 | 1447 | 1449 | 9077 | 41189.00 | 36 | 32 | 22.55 | 11.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 8 | 9 |
| 31. | सवाईमाधोपुर | 278 | 847 | 872 | 3832 | 10385.00 | 30 | 54 | 12.38 | 6.64 | 35 | 0 | 150 | 150 | 450 | 396 | 6 | 6 |
| 32. | सीकर | 368 | 2263 | 1171 | 11630 | 33783.00 | 16 | 13 | 30.81 | 20.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 43 | 9 | 10 |
| 33. | सिरोही | 289 | 975 | 971 | 3586 | 10839.00 | 50 | 35 | 29.68 | 11.84 | 35 | 0 | 0 | 0 | 260 | 277 | 6 | 12 |
| 34 | श्रीगंगानगर | 347 | 3488 | 1213 | 13065 | 26813.00 | 21 | 26 | 26.58 | 11.63 | 0 | 3 | 80 | 80 | 200 | 138 | 9 | 8 |
| 35 | टौंक | 231 | 962 | 830 | 4776 | 11239.00 | 22 | 51 | 23.63 | 9.96 | 35 | 1 | 100 | 84 | 200 | 160 | 7 | 7 |
| 36 | उदयपुर | 903 | 3858 | 3245 | 24888 | 77894.00 | 45 | 34 | 53.35 | 28.81 | 90 | 3 | 0 | 0 | 580 | 581 | 12 | 12 |
| | योग | 15959 | 99340 | 54888 | 572210 | 1505100.03 | 1100 | 1132 | 1166.30 | 543.87 | 1230 | 44 | 4350 | 2507 | 11000 | 8666 | 282 | 324 |

## प्रमुख कार्यक्रमों में जिला उद्योग केन्द्र वार लक्ष्य एवं उपलब्धियां वर्ष 2017–18

| क.सं. | जिला उद्योग केन्द्र | MSME उद्योग आधार पंजीयन (UAM) | | | प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम | | भामाशाह रोजगार सृजन योजना | | औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर | | चर्म प्रशिक्षण | | राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2014 (RIPS) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | पंजीकृत इकाई संख्या | नियोजन संख्या | विनियोजन लाख रु. | | | | | | | | | | | |
| | | उपलब्धि | उपलब्धि | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि | प्राप्त प्रस्ताव | जारी प्रमाण पत्र | प्राप्त निवेश (करोड रु.) |
| 1. | अजमेर | 4052 | 18596 | 71857.00 | 30 | 53 | 550 | 560 | 9 | 9 | 0 | 0 | 182 | 83 | 224.05 |
| 2. | अलवर | 2150 | 9658 | 26928.00 | 15 | 21 | 350 | 356 | 9 | 15 | 0 | 0 | 36 | 32 | 3523.82 |
| 3. | बांसवाडा | 649 | 2212 | 5749.00 | 30 | 18 | 300 | 312 | 9 | 16 | 20 | 20 | 7 | 4 | 0.55 |
| 4. | बारां | 298 | 1753 | 1795.00 | 30 | 39 | 210 | 218 | 8 | 9 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3.31 |
| 5. | बाडमेर | 1858 | 9048 | 26754.00 | 30 | 58 | 350 | 35 | 9 | 10 | 20 | 15 | 12 | 8 | 11.50 |
| 6. | भरतपुर | 1290 | 6433 | 14138.00 | 30 | 12 | 350 | 357 | 10 | 11 | 15 | 15 | 4 | 4 | 9.99 |
| 7. | भीलवाडा | 4646 | 21205 | 70284.00 | 30 | 25 | 360 | 367 | 12 | 17 | 0 | 0 | 22 | 16 | 31.94 |
| 8. | भिवाडी | 1608 | 18598 | 62996.00 | 15 | 5 | 250 | 237 | 7 | 12 | 0 | 0 | 196 | 26 | 108.57 |
| 9. | बीकानेर | 2901 | 13318 | 33178.00 | 30 | 38 | 400 | 276 | 7 | 10 | 0 | 0 | 24 | 24 | 11.15 |
| 10. | बून्दी | 571 | 2329 | 8835.00 | 30 | 19 | 200 | 223 | 6 | 21 | 0 | 0 | 6 | 6 | 30.31 |
| 11. | चित्तौडगढ | 1329 | 6565 | 19622.00 | 30 | 46 | 300 | 311 | 12 | 13 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16.56 |
| 12. | चुरू | 1649 | 6589 | 12101.00 | 30 | 29 | 200 | 209 | 7 | 7 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1.19 |
| 13. | दौसा | 1332 | 5980 | 11693.00 | 30 | 37 | 210 | 141 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
| 14. | धौलपुर | 975 | 4955 | 10704.00 | 30 | 12 | 170 | 171 | 5 | 10 | 20 | 20 | 17 | 15 | 26.84 |
| 15. | डूंगरपुर | 824 | 3918 | 6423.00 | 30 | 14 | 170 | 173 | 6 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| 16. | हनुमानगढ | 5490 | 12492 | 30321.00 | 30 | 31 | 265 | 365 | 8 | 9 | 0 | 0 | 9 | 7 | 5.51 |
| 17. | जयपुर (ग्रामीण) | 9259 | 41951 | 100748.00 | 15 | 31 | 500 | 607 | 13 | 30 | 20 | 20 | 91 | 81 | 389.19 |
| 18. | जयपुर (शहर) | 13948 | 63822 | 103455.00 | 15 | 36 | 700 | 713 | 1 | 14 | 0 | 0 | 76 | 69 | 229.46 |
| 19. | जैसलमेर | 342 | 1612 | 5851.00 | 30 | 17 | 100 | 99 | 4 | 7 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7.77 |
| 20. | जालौर | 1067 | 4510 | 19331.00 | 30 | 21 | 340 | 435 | 9 | 12 | 0 | 0 | 44 | 29 | 23.70 |
| 21. | झालावाड | 700 | 5339 | 5896.00 | 30 | 23 | 250 | 228 | 7 | 13 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1.64 |
| 22. | झुंझुनू | 2345 | 9792 | 18207.00 | 30 | 43 | 350 | 191 | 9 | 12 | 15 | 15 | 1 | 1 | 5.61 |
| 23. | जोधपुर | 8446 | 40088 | 99229.00 | 18 | 53 | 550 | 549 | 7 | 7 | 0 | 0 | 104 | 100 | 153.60 |
| 24. | करौली | 1255 | 5054 | 9015.00 | 30 | 40 | 200 | 206 | 6 | 12 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0.00 |
| 25. | कोटा | 6797 | 19412 | 40934.00 | 30 | 38 | 400 | 481 | 6 | 14 | 0 | 0 | 15 | 14 | 43.66 |
| 26. | नागौर | 2928 | 13464 | 33051.00 | 30 | 28 | 300 | 312 | 12 | 21 | 15 | 15 | 13 | 13 | 9.52 |
| 27. | पाली | 2192 | 10260 | 31222.00 | 30 | 18 | 175 | 177 | 11 | 11 | 0 | 0 | 19 | 15 | 22.82 |
| 28. | फलौदी | 326 | 1375 | 3261.00 | 12 | 9 | 200 | 200 | 4 | 7 | 15 | 20 | 1 | 1 | 0.05 |
| 29. | प्रतापगढ | 217 | 1245 | 2422.00 | 30 | 17 | 210 | 192 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 30. | राजसमन्द | 2029 | 9243 | 34469.00 | 30 | 16 | 200 | 207 | 8 | 8 | 0 | 0 | 45 | 36 | 33.00 |
| 31. | सवाईमाधोपुर | 1942 | 5852 | 14017.00 | 30 | 57 | 450 | 492 | 6 | 7 | 15 | 15 | 2 | 2 | 15.99 |
| 32. | सीकर | 3583 | 13211 | 30914.00 | 30 | 34 | 200 | 209 | 9 | 14 | 0 | 0 | 21 | 13 | 3545.51 |
| 33. | सिरोही | 1031 | 4148 | 15380.00 | 30 | 28 | 260 | 161 | 6 | 12 | 20 | 20 | 12 | 10 | 62.54 |
| 34 | श्रीगंगानगर | 6485 | 18600 | 34496.00 | 30 | 21 | 200 | 194 | 9 | 25 | 0 | 0 | 10 | 7 | 12.90 |
| 35 | टौंक | 1355 | 4092 | 9029.00 | 30 | 47 | 200 | 209 | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0.00 |
| 36 | उदयपुर | 4646 | 22570 | 67403.00 | 30 | 44 | 580 | 580 | 12 | 19 | 0 | 0 | 26 | 26 | 206.32 |
| | योग | 102515 | 439289 | 1091708.00 | 990 | 1078 | 11000 | 10753 | 282 | 446 | 195 | 195 | 1049 | 691 | 8768.56 |

# प्रमुख कार्यक्रमों में जिला उद्योग केन्द्र वार लक्ष्य एवं उपलब्धियां वर्ष 2018–19

| क.सं. | जिला उद्योग केन्द्र | MSME उद्योग आधार पंजीयन (UAM) पंजीकृत इकाई संख्या उपलब्धि | नियोजन संख्या उपलब्धि | विनियोजन लाख रु. उपलब्धि | प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम लक्ष्य | उपलब्धि | भामाशाह रोजगार सृजन योजना लक्ष्य | उपलब्धि | औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर लक्ष्य | उपलब्धि | चर्म प्रशिक्षण लक्ष्य | उपलब्धि | राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2014 (RIPS) प्राप्त प्रस्ताव | जारी प्रमाण पत्र | प्राप्त निवेश (करोड रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | अजमेर | 4949 | 21692 | 84987.00 | 44 | 52 | 550 | 554 | 9 | 10 | 0 | 0 | 186 | 162 | 407.80 |
| 2. | अलवर | 2991 | 12971 | 32938.00 | 29 | 27 | 350 | 301 | 9 | 9 | 0 | 0 | 35 | 32 | 76.29 |
| 3. | बांसवाडा | 1302 | 4532 | 9026.00 | 30 | 54 | 300 | 180 | 9 | 7 | 20 | 20 | 1 | 1 | 0.53 |
| 4. | बारां | 799 | 3915 | 4875.00 | 44 | 53 | 210 | 197 | 8 | 4 | 0 | 0 | 11 | 10 | 5.92 |
| 5. | बाडमेर | 1894 | 10446 | 29633.00 | 40 | 48 | 350 | 99 | 9 | 10 | 20 | 20 | 17 | 11 | 8.47 |
| 6. | भरतपुर | 1711 | 6889 | 20524.00 | 30 | 40 | 350 | 352 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13.38 |
| 7. | भीलवाडा | 5137 | 22649 | 69598.00 | 44 | 41 | 360 | 362 | 12 | 12 | 15 | 15 | 30 | 26 | 27.33 |
| 8. | भिवाडी | 1616 | 17198 | 63551.00 | 15 | 13 | 250 | 208 | 7 | 13 | 0 | 0 | 388 | 385 | 1022.22 |
| 9. | बीकानेर | 4713 | 22064 | 59779.00 | 30 | 70 | 400 | 264 | 7 | 7 | 0 | 0 | 13 | 8 | 21.06 |
| 10. | बून्दी | 818 | 3044 | 9799.00 | 30 | 32 | 200 | 212 | 6 | 17 | 0 | 0 | 9 | 9 | 37.69 |
| 11. | चित्तौडगढ | 1603 | 8426 | 16932.00 | 44 | 43 | 300 | 305 | 12 | 13 | 0 | 0 | 23 | 21 | 35.67 |
| 12. | चुरू | 1415 | 6134 | 13666.00 | 40 | 87 | 200 | 167 | 7 | 7 | 0 | 0 | 12 | 11 | 6.11 |
| 13. | दौसा | 2213 | 7866 | 12447.00 | 40 | 59 | 210 | 220 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2.26 |
| 14. | धौलपुर | 534 | 2534 | 6056.00 | 44 | 22 | 170 | 159 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 11 | 19.58 |
| 15. | डूंगरपुर | 791 | 2991 | 6583.60 | 30 | 36 | 170 | 161 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 16. | हनुमानगढ | 1929 | 8504 | 16051.00 | 30 | 44 | 265 | 223 | 8 | 8 | 0 | 0 | 11 | 9 | 13.22 |
| 17. | जयपुर (ग्रामीण) | 10844 | 44640 | 75109.00 | 30 | 58 | 500 | 450 | 13 | 14 | 20 | 20 | 140 | 130 | 378.91 |
| 18. | जयपुर (शहर) | 13543 | 62538 | 119398.00 | 17 | 60 | 700 | 739 | 1 | 2 | 0 | 0 | 135 | 129 | 269.65 |
| 19. | जैसलमेर | 589 | 2756 | 6688.00 | 40 | 18 | 100 | 56 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5.62 |
| 20. | जालौर | 1030 | 4518 | 12573.00 | 30 | 16 | 340 | 325 | 9 | 10 | 0 | 0 | 24 | 24 | 32.11 |
| 21. | झालावाड | 576 | 3109 | 5678.00 | 30 | 60 | 250 | 250 | 7 | 9 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6.83 |
| 22. | झुंझुनू | 2503 | 9472 | 22848.00 | 40 | 61 | 350 | 224 | 9 | 10 | 15 | 15 | 4 | 4 | 3.92 |
| 23. | जोधपुर | 9686 | 47522 | 132526.00 | 30 | 110 | 550 | 442 | 7 | 7 | 20 | 20 | 104 | 104 | 252.25 |
| 24. | करौली | 1311 | 4803 | 10476.00 | 44 | 55 | 200 | 202 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 25. | कोटा | 5746 | 22429 | 43874.00 | 40 | 68 | 400 | 490 | 6 | 9 | 15 | 15 | 26 | 26 | 64.86 |
| 26. | नागौर | 4002 | 16711 | 38718.00 | 44 | 27 | 300 | 321 | 12 | 13 | 0 | 0 | 40 | 35 | 34.58 |
| 27. | पाली | 2594 | 10219 | 31025.00 | 30 | 26 | 175 | 176 | 11 | 11 | 20 | 15 | 34 | 33 | 9.41 |
| 28. | फलौदी | 557 | 2164 | 6339.00 | 14 | 10 | 200 | 169 | 5 | 6 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6.66 |
| 29. | प्रतापगढ | 396 | 1931 | 4166.00 | 30 | 29 | 210 | 126 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 30. | राजसमन्द | 1247 | 6017 | 23309.00 | 30 | 24 | 200 | 202 | 8 | 9 | 0 | 0 | 43 | 38 | 35.25 |
| 31. | सवाईमाधोपुर | 1539 | 5507 | 10885.00 | 30 | 61 | 450 | 503 | 6 | 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0.00 |
| 32. | सीकर | 3069 | 12883 | 30154.00 | 44 | 23 | 200 | 143 | 9 | 10 | 0 | 0 | 20 | 20 | 69.49 |
| 33. | सिरोही | 1012 | 4282 | 14880.00 | 44 | 41 | 260 | 240 | 6 | 9 | 20 | 20 | 55 | 33 | 58.86 |
| 34 | श्रीगंगानगर | 3775 | 12411 | 26842 | 30 | 48 | 200 | 209 | 9 | 9 | 15 | 15 | 6 | 3 | 7.27 |
| 35 | टौंक | 1150 | 4046.00 | 7545.00 | 40 | 42 | 200 | 200 | 7 | 7 | 0 | 0 | 8 | 8 | 41.17 |
| 36 | उदयपुर | 5000 | 25632 | 79485.00 | 44 | 51 | 580 | 594 | 12 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 95.53 |
| | योग | 104584 | 465445 | 1158963.60 | 1245 | 1609 | 11000 | 10025 | 283 | 316 | 195 | 165 | 1426 | 1323 | 3069.90 |

## प्रमुख कार्यक्रमों में जिला उद्योग केन्द्र वार लक्ष्य एवं उपलब्धियां वर्ष 2019–20 (दिसम्बर, 2019 तक)

| क.सं. | जिला उद्योग केन्द्र | MSME उद्योग आधार पंजीयन (UAM) | | | प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम | | औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर | | चर्म प्रशिक्षण | | राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2014 (RIPS) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | पंजीकृत इकाई संख्या | नियोजन संख्या | विनियोजन लाख रु. | | | | | | | | | |
| | | उपलब्धि | उपलब्धि | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि | प्राप्त प्रस्ताव | जारी प्रमाण पत्र | प्राप्त निवेश (करोड रु.) |
| 1. | अजमेर | 6384 | 26991 | 97363.00 | 50 | 34 | 9 | 5 | 0 | 0 | 37 | 33 | 87.66 |
| 2. | अलवर | 3677 | 14781 | 37283.00 | 35 | 23 | 9 | 7 | 0 | 0 | 23 | 17 | 43.80 |
| 3. | बांसवाडा | 1371 | 6223 | 11003.00 | 40 | 21 | 9 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | बारां | 873 | 2669 | 6747.00 | 38 | 14 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.90 |
| 5. | बाडमेर | 2112 | 11637 | 30546.00 | 30 | 29 | 9 | 9 | 15 | 15 | 7 | 4 | 4.18 |
| 6. | भरतपुर | 1436 | 8299 | 14417.00 | 38 | 37 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16.09 |
| 7. | भीलवाडा | 5484 | 21357 | 72298.00 | 48 | 15 | 12 | 9 | 0 | 0 | 15 | 10 | 13.58 |
| 8. | भिवाडी | 1493 | 16242 | 40475.00 | 15 | 17 | 7 | 4 | 0 | 0 | 223 | 186 | 516.63 |
| 9. | बीकानेर | 4844 | 21596 | 58167.00 | 38 | 47 | 7 | 6 | 0 | 0 | 11 | 5 | 11.18 |
| 10. | बून्दी | 904 | 3203 | 7898.00 | 38 | 25 | 6 | 6 | 20 | 0 | 13 | 12 | 10.33 |
| 11. | चित्तौडगढ | 3020 | 10706 | 25169.00 | 48 | 17 | 12 | 8 | 0 | 0 | 7 | 5 | 5.31 |
| 12. | चुरू | 1993 | 8359 | 19100.00 | 34 | 43 | 7 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | 6.34 |
| 13. | दौसा | 3525 | 10852 | 18253.00 | 50 | 45 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.16 |
| 14. | धौलपुर | 633 | 2433 | 6463.00 | 38 | 28 | 5 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3.65 |
| 15. | डूंगरपुर | 904 | 2928 | 6136.00 | 38 | 19 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | हनुमानगढ | 2340 | 8585 | 28098.00 | 34 | 29 | 8 | 3 | 15 | 15 | 9 | 2 | 10.06 |
| 17. | जयपुर (ग्रामीण) | 11273 | 39807 | 96472.00 | 30 | 39 | 13 | 12 | 20 | 20 | 114 | 108 | 261.63 |
| 18. | जयपुर (शहर) | 8393 | 43036 | 82522.00 | 30 | 38 | 1 | 7 | 0 | 0 | 84 | 76 | 238.49 |
| 19. | जैसलमेर | 689 | 3342 | 9805.00 | 30 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | जालौर | 1114 | 4083 | 15492.00 | 38 | 14 | 9 | 4 | 15 | 15 | 14 | 10 | 10.77 |
| 21. | झालावाड | 857 | 4534 | 7107.00 | 38 | 34 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10.50 |
| 22. | झुंझुनू | 1020 | 4064 | 8670.00 | 34 | 50 | 9 | 8 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19.29 |
| 23. | जोधपुर | 8533 | 40579 | 108228.00 | 24 | 58 | 7 | 5 | 20 | 20 | 56 | 44 | 106.33 |
| 24. | करौली | 1433 | 4336 | 7225.00 | 46 | 36 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | कोटा | 5320 | 18264 | 46096.00 | 54 | 21 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | नागौर | 4023 | 16344 | 41303.00 | 34 | 13 | 12 | 9 | 0 | 0 | 26 | 12 | 17.72 |
| 27. | पाली | 3328 | 13572 | 54373.00 | 38 | 25 | 11 | 10 | 15 | 15 | 16 | 14 | 31.13 |
| 28. | फलौदी | 470 | 2314 | 5553.00 | 14 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 29. | प्रतापगढ | 675 | 1874 | 3632.00 | 46 | 21 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | राजसमन्द | 1284 | 5646 | 20019.00 | 44 | 18 | 8 | 7 | 0 | 0 | 15 | 4 | 2.25 |
| 31. | सवाईमाधोपुर | 1651 | 5233 | 9323.00 | 44 | 44 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | सीकर | 4216 | 14599 | 36175.00 | 30 | 17 | 9 | 5 | 0 | 0 | 26 | 12 | 15.53 |
| 33. | सिरोही | 1170 | 5272 | 14332.00 | 54 | 25 | 6 | 2 | 20 | 20 | 50 | 31 | 35.76 |
| 34 | श्रीगंगानगर | 3567 | 14615 | 36025.00 | 34 | 39 | 9 | 5 | 15 | 0 | 10 | 1 | 0.97 |
| 35 | टौंक | 722 | 2676 | 4948.00 | 42 | 39 | 7 | 5 | 0 | 0 | 9 | 7 | 12.64 |
| 36 | उदयपुर | 4603 | 26275 | 67257.00 | 46 | 30 | 12 | 12 | 0 | 0 | 15 | 11 | 25.81 |
| | योग | 105334 | 447326 | 1153973.00 | 1362 | 1019 | 283 | 215 | 195 | 140 | 829 | 642 | 1519.69 |

| Number of Entrepreneurs Memorandum Part II (EM-II) / Udyog Aadhar filed during 2007-08 To 2016-17 by Nature of Industry (Sector) | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of State/ UT……………..RAJASTHAN | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sl No. | NIC 2004 | No. of EM.IInd / Udyog Aadhar | | | | | | | | | | | | | |
| | | Description | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | TOTAL |
| 1 | 01 | AGRICULTURE, HUNTING AND RELATED SERVICE ACTIVITIES | 173 | 111 | 168 | 112 | 96 | 204 | 257 | 143 | 463 | 1417 | 1267 | 1424 | 5835 |
| 2 | 02 | FORESTRY, LOGGING AND RELATED SERVICE ACTIVITIES | 237 | 204 | 140 | 188 | 185 | 119 | 60 | 49 | 89 | 1143 | 53 | 41 | 2508 |
| 3 | 05 | FISHING, AQUACULTURE AND SERVICE ACTIVITIES INCIDENTAL TO FISHING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 | 4 | 55 | 58 | 38 | 174 |
| 4 | 10 | MINING OF COAL AND LIGNITE; EXTRACTION OF PEAT | 6 | 1 | 23 | 41 | 8 | 2 | 5 | 3 | 9 | 78 | 17 | 20 | 213 |
| 5 | 11 | EXTRACTION OF CRUDE PETROLEUM AND NATURAL GAS; SERVICE ACTIVITIES INCIDENTAL TO OIL AND GAS EXTRACTION, EXLUDING SURVEYING | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 21 | 76 | 86 | 203 |
| 6 | 12 | MINING OF URANIUM AND THORIUM ORES | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18 | 2 | 69 | 9 | 5 | 1 | 108 |
| 7 | 13 | MINING OF METAL ORES | 6 | 7 | 65 | 33 | 110 | 20 | 64 | 6 | 121 | 128 | 131 | 235 | 926 |
| 8 | 14 | OTHER MINING AND QUARRYING | 240 | 323 | 264 | 389 | 355 | 375 | 233 | 1203 | 779 | 1527 | 2258 | 2163 | 10109 |
| 9 | 15 | MFG OF FOOD PRODUCTS AND BEVERAGES | 701 | 583 | 635 | 746 | 707 | 731 | 701 | 875 | 3267 | 7941 | 12667 | 14511 | 44065 |
| 10 | 16 | MFG OF TOBACCO PRODUCTS | 9 | 20 | 9 | 11 | 9 | 4 | 24 | 3 | 21 | 39 | 107 | 182 | 438 |

| Sl No. | NIC 2004 | No. of EM.IInd / Udyog Aadhar | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Description | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | TOTAL |
| 11 | 17 | MFG OF TEXTILES | 2018 | 2061 | 2309 | 2171 | 1487 | 1396 | 1491 | 1588 | 2574 | 5950 | 4847 | 4223 | 32115 |
| 12 | 18 | MFG OF WEARING APPAREL; DRESSING AND DYEING OF FUR | 632 | 1255 | 1045 | 1188 | 935 | 1294 | 1741 | 819 | 968 | 1688 | 2771 | 3465 | 17801 |
| 13 | 19 | MFG OF LEATHER & LEATHER PRODUCT | 1170 | 1072 | 949 | 712 | 537 | 993 | 511 | 438 | 440 | 1328 | 686 | 947 | 9783 |
| 14 | 20 | MFG OF WOOD AND WOOD PRODUCTS | 563 | 657 | 628 | 651 | 628 | 539 | 527 | 366 | 954 | 1474 | 1393 | 1524 | 9904 |
| 15 | 21 | MFG OF PAPER AND PAPER PRODUCTS | 171 | 119 | 89 | 128 | 205 | 190 | 213 | 369 | 657 | 813 | 817 | 935 | 4706 |
| 16 | 22 | PUBLISHING,PRINTING & REPRODUCTION OF RECORDED MEDIA | 117 | 118 | 125 | 120 | 141 | 107 | 142 | 266 | 450 | 800 | 1036 | 1118 | 4540 |
| 17 | 23 | MFG OF COKE & REFINED PETROLEUM PRODUCTS AND NUCLEAR FUEL | 10 | 10 | 6 | 7 | 3 | 13 | 40 | 16 | 82 | 129 | 155 | 120 | 591 |
| 18 | 24 | MFG OF CHEMICALS AND CHEMICAL PRODUCTS | 384 | 281 | 267 | 291 | 346 | 273 | 335 | 232 | 565 | 967 | 1265 | 1312 | 6518 |
| 19 | 25 | MFG OF RUBBER AND PLASTICS PRODUCTS | 286 | 219 | 209 | 262 | 290 | 226 | 268 | 331 | 698 | 1055 | 1054 | 1070 | 5968 |
| 20 | 26 | MFG OF OTHER NON0METALLIC MINERAL PRODUCTS | 1884 | 1999 | 1912 | 2094 | 1829 | 1870 | 1503 | 1179 | 2373 | 4392 | 3398 | 3228 | 27661 |
| 21 | 27 | MFG OF BASIC METALS | 414 | 360 | 281 | 239 | 312 | 219 | 225 | 266 | 506 | 1107 | 1187 | 1431 | 6547 |
| 22 | 28 | MFG OF FABRICATED METAL PRODUCTS | 863 | 667 | 721 | 744 | 939 | 754 | 770 | 826 | 919 | 2467 | 1495 | 1391 | 12556 |
| 23 | 29 | MFG OF MACHINERY AND EQUIPMENT N.E.C. | 239 | 392 | 436 | 505 | 187 | 184 | 299 | 318 | 668 | 4811 | 2949 | 2622 | 13610 |

| Sl No. | NIC 2004 | No. of EM.IInd / Udyog Aadhar | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Description | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | TOTAL |
| 24 | 30 | MFG OF OFFICE, ACCOUNTING 0 COMPUTING MACHINERY | 6 | 11 | 7 | 12 | 15 | 9 | 35 | 50 | 90 | 200 | 195 | 375 | 1005 |
| 25 | 31 | MFG OF ELECTRICAL MACHINERY AND APPARATUS N.E.C. | 164 | 205 | 143 | 174 | 139 | 148 | 239 | 347 | 517 | 978 | 742 | 964 | 4760 |
| 26 | 32 | MFG. OF RADIO, TELEVISION AND COMMUNICATIO N EQUIPMENT AND APPARATUS | 59 | 77 | 39 | 49 | 38 | 19 | 54 | 45 | 286 | 252 | 366 | 307 | 1591 |
| 27 | 33 | MFG OF MEDICAL, PRECISION AND OPTICAL INSTRUMENTS, WATCHES AND CLOCKS. | 35 | 25 | 20 | 22 | 14 | 13 | 43 | 62 | 71 | 184 | 159 | 237 | 885 |
| 28 | 34 | MFG OF MOTOR VEHICLES, TRAILERS AND SEMITRAILERS. | 22 | 17 | 11 | 13 | 15 | 20 | 33 | 81 | 116 | 268 | 581 | 840 | 2017 |
| 29 | 35 | MFG OF OTHER TRANSPORT EQUIPMENT | 20 | 24 | 46 | 17 | 21 | 16 | 36 | 20 | 47 | 489 | 630 | 762 | 2128 |
| 30 | 36 | MFG OF FURNITURE; MANUFACTURIN G N.E.C. | 917 | 1027 | 972 | 835 | 1026 | 943 | 1069 | 999 | 2236 | 2477 | 2705 | 3338 | 18544 |
| 31 | 37 | RECYCLING | 18 | 18 | 20 | 13 | 16 | 4 | 5 | 35 | 29 | 47 | 1 | 39 | 245 |
| 32 | 40 | ELECTRICITY, GAS, STEAM AND HOT WATER SUPPLY | 2 | 32 | 27 | 2 | 1 | 2 | 15 | 28 | 100 | 152 | 211 | 228 | 800 |
| 33 | 41 | COLLECTION, PURIFICATION AND DISTRIBUTION OF WATER | 4 | 4 | 15 | 2 | 7 | 1 | 13 | 8 | 140 | 480 | 266 | 286 | 1226 |
| 34 | 45 | CONSTRUCTION | 157 | 200 | 283 | 204 | 225 | 171 | 414 | 628 | 696 | 2053 | 2416 | 3099 | 10546 |

| Sl No. | NIC 2004 | No. of EM.IInd / Udyog Aadhar | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Description | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | TOTAL |
| 35 | 50 | REPAIR & MAINTENANCE OF MOTER VECHILE, RETAIL SALE OF AUTOMOTIVE FUEL | 198 | 202 | 267 | 279 | 341 | 310 | 453 | 609 | 719 | 6767 | 1470 | 1132 | 12747 |
| 36 | 51 | WHOLESALE OF TRADE AND COMMISSION TRADE | 7 | 7 | 6 | 54 | 23 | 63 | 217 | 285 | 988 | 8936 | 3101 | 417 | 14104 |
| 37 | 52 | REPAIR & MAINTENANCE OF PERSONAL& HOUSEHOLD GOODS, RETAIL TRADE | 205 | 293 | 216 | 241 | 379 | 255 | 662 | 636 | 3214 | 3397 | 3238 | 2972 | 15708 |
| 38 | 55 | HOTELS AND RESTAURANTS | 17 | 26 | 34 | 34 | 84 | 102 | 175 | 208 | 421 | 639 | 744 | 829 | 3313 |
| 39 | 60 | LAND TRANSPORT; TRANSPORT VIA PIPELINES | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | 99 | 124 | 247 | 443 | 1318 | 1473 | 1412 | 5136 |
| 40 | 61 | WATER TRANSPORT | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 | 6 | 18 | 62 | 275 | 257 | 228 | 860 |
| 41 | 62 | AIR TRANSPORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 26 | 2 | 15 | 82 | 93 | 235 |
| 42 | 63 | SUPPORTING & AUXILIARY TRANSPORT & TRAVEL AGENTS ACTIVITIES | 31 | 28 | 25 | 37 | 91 | 46 | 143 | 222 | 312 | 642 | 1164 | 1417 | 4158 |
| 43 | 64 | POST AND TELECOMMUNIC ATIONS | 27 | 21 | 86 | 18 | 13 | 22 | 101 | 83 | 234 | 1031 | 1374 | 1309 | 4319 |
| 44 | 65 | FINANCIAL INTERMEDIATION, EXCEPT INSURANCE & PENSION FUNDING | 5 | 4 | 8 | 0 | 3 | 80 | 76 | 189 | 444 | 929 | 913 | 1320 | 3971 |
| 45 | 66 | INSURANCE AND PENSION FUNDING, EXCEPT COMPULSORY SOCIAL SECURITY | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 29 | 62 | 183 | 179 | 341 | 808 |

| Sl No. | NIC 2004 | No. of EM.IInd / Udyog Aadhar | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Description | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | TOTAL |
| 46 | 67 | ACTIVITIES AUXILIARY TO FINANCIAL INTERMEDIATION | 26 | 22 | 21 | 34 | 68 | 2 | 16 | 31 | 162 | 722 | 300 | 307 | 1711 |
| 47 | 70 | REAL ESTATE ACTIVITIES | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 65 | 116 | 241 | 575 | 1043 | 912 | 1073 | 4027 |
| 48 | 71 | RENTING OF MACHINERY & EQUIPMENT WITHOUT OPERATOR & OF PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS | 10 | 9 | 7 | 11 | 4 | 18 | 32 | 77 | 156 | 400 | 489 | 975 | 2188 |
| 49 | 72 | COMPUTER AND RELATED ACTIVITIES | 184 | 196 | 250 | 269 | 369 | 500 | 796 | 772 | 1321 | 3486 | 3998 | 3823 | 15964 |
| 50 | 73 | RESEARCH AND DEVELOPMENT | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 89 | 22 | 10 | 40 | 1283 | 661 | 791 | 2903 |
| 51 | 74 | OTHER BUSINESS ACTIVITIES | 326 | 454 | 430 | 462 | 403 | 459 | 525 | 491 | 3284 | 7296 | 6191 | 5324 | 25645 |
| 52 | 75 | PUBLIC ADMINISTRATION AND DEFENCE; COMPULSORY SOCIAL SECURITY | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 49 | 126 | 121 | 273 | 347 | 931 |
| 53 | 80 | EDUCATION | 10 | 6 | 7 | 18 | 34 | 113 | 329 | 540 | 965 | 2432 | 2952 | 2710 | 10116 |
| 54 | 85 | HEALTH AND SOCIAL WORK | 3 | 9 | 15 | 8 | 12 | 46 | 76 | 121 | 335 | 1107 | 1431 | 1893 | 5056 |
| 55 | 90 | SEWAGE AND REFUSE DISPOSAL, SANITATION AND SIMILAR ACTIVITIES | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 74 | 30 | 70 | 96 | 274 |
| 56 | 91 | ACTIVITIES OF MEMBERSHIP ORGANIZATION N.E.C. | 3 | 10 | 15 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 39 | 93 | 217 | 217 | 600 |
| 57 | 92 | RECREATIONAL, CULTURAL AND SPORTING ACTIVITIES | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 24 | 61 | 65 | 147 | 242 | 369 | 458 | 1377 |
| 58 | 93 | OTHER SERVICE ACTIVITIES | 1100 | 1187 | 1317 | 1286 | 1764 | 2085 | 2087 | 1956 | 2705 | 8562 | 20687 | 20307 | 65043 |

| Sl No. | NIC 2004 | No. of EM.IInd / Udyog Aadhar | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Description** | **2007-08** | **2008-09** | **2009-10** | **2010-11** | **2011-12** | **2012-13** | **2013-14** | **2014-15** | **2015-16** | **2016-17** | **2017-18** | **2018-19** | **TOTAL** |
| 59 | 95 | ACTIVITIES OF PRIVATE HOUSEHOLDS AS EMPLOYERS OF DOMESTIC STAFF | 7 | 6 | 5 | 26 | 33 | 9 | 72 | 14 | 66 | 349 | 230 | 259 | 1076 |
| 60 | 96 | UNDIFFERENTIATED GOODS0PRODUCING ACTIVITIES OF PRIVATE HOUSEHOLDS FOR OWN USE | 8 | 12 | 17 | 18 | 34 | 1 | 27 | 37 | 285 | 469 | 1480 | 1670 | 4058 |
| 61 | 97 | UNDIFFERENTIATED SERVICE & PRODUCING ACTIVITIES OF PRIVATE HOUSEHOLDS FOR OWN USE | 44 | 30 | 31 | 53 | 43 | 59 | 52 | 95 | 118 | 499 | 190 | 232 | 1446 |
| 62 | 99 | EXTRA TERRITORIAL ORGANIZATION AND BODIES. | 94 | 70 | 52 | 41 | 128 | 35 | 0 | 0 | 31 | 155 | 106 | 70 | 782 |
| | | TOTAL | 13840 | 14696 | 14677 | 14894 | 14678 | 15363 | 17601 | 18655 | 38339 | 99340 | 102515 | 104584 | 469182 |

| **Large Scale Industries - (Running)** (Tentative Data) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Up to 31.3.2019** | | | | | |
| **S.NO.** | **Name of D.I.C.** | **Running Units(Nos.)** | **Fix.Investment (Rs. in Crore)** | **Employment (Nos.)** | **Closed** |
| **1.** | **Ajmer** | 10 | 1566.74 | 3740 | 0 |
| **2** | **Alwar** | 14 | 1150.88 | 6286 | 1 |
| **3** | **Banswara** | 7 | 2430.00 | 23029 | 0 |
| **4** | **Baran** | 6 | 15497.02 | 784 | 0 |
| **5** | **Barmer** | 2 | 9593.58 | 1353 | 0 |
| **6** | **Bharatpur** | 1 | 18.06 | 20 | 3 |
| **7** | **Bhilwara** | 75 | 11866.95 | 40233 | 0 |
| **8** | **Bhiwadi** | 105 | 14755.5 | 40818 | 0 |
| **9** | **Bikaner** | 2 | 428.01 | 1876 | 1 |
| **10** | **Bundi** | 3 | 395.40 | 577 | 3 |
| **11** | **Chittorgarh** | 13 | 15414.49 | 14720 | 2 |
| **12** | **Churu** | 1 | 34.55 | 103 | 0 |
| **13** | **Dausa** | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| **14** | **Dholpur** | 2 | 84.48 | 589 | 0 |
| **15** | **Dungarpur** | 2 | 184.03 | 987 | 1 |
| **16** | **Hanumangarh** | 1 | 70.00 | 72 | 1 |
| **17** | **Jaipur(Rural)** | 27 | 3777.88 | 8220 | 1 |
| **18** | **Jaipur(Urban)** | 14 | 119.06 | 4012 | 0 |
| **19** | **Jaisalmer** | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| **20** | **Jalore** | 1 | 0 | 51 | 0 |
| **21** | **Jhalawar** | 2 | 1021.39 | 8072 | 0 |
| **22** | **Jhunjhunu** | 1 | 708.88 | 965 | 0 |
| **23** | **Jodhpur** | 25 | 14542.25 | 4423 | 5 |
| **24** | **Karoli** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Kota** | 10 | 9053.71 | 3121 | 0 |
| **26** | **Nagaur** | 1 | 399.94 | 344 | 0 |
| **27** | **Pali** | 6 | 5576.28 | 7099 | 0 |
| **28** | **Phalodi** | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| **29** | **Pratapgarh** | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| **30** | **Rajsamand** | 7 | 8459.28 | 6194 | 0 |
| **31** | **S.Madhopur** | 0 | 0.00 | 0 | 3 |
| **32** | **Sikar** | 6 | 526.67 | 1966 | 0 |
| **33** | **Sirohi** | 8 | 4709.07 | 5314 | 0 |
| **34** | **SriGanganagar** | 7 | 7149.82 | 1324 | 0, Under Cons.-2 |
| **35** | **Tonk** | 4 | 405.95 | 733 | 0 |
| **36** | **Udaipur** | 27 | 2329.33 | 13739 | 3 |
| | **G.Total** | **390** | **132269.2** | **200764** | **24** |

| Medium Scale Industries - (Running) (Tentative Data) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Up to 31.3.2019 | | | | | |
| S.N. | Name of District | Running Units(Nos.) | Fix.Investment (Rs. in Crore) | Employment (Nos.) | Closed |
| 1 | Ajmer | 7 | 46.73 | 700 | 0 |
| 2 | Alwar | 3 | 26.67 | 443 | 0 |
| 3 | Banswara | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 4 | Baran | 2 | 10.50 | 54 | 0 |
| 5 | Barmer | 4 | 32.62 | 276 | 0 |
| 6 | Bharatpur | 1 | 7.09 | 17 | 0 |
| 7 | Bhilwara | 35 | 216.70 | 2570 | 1 |
| 8 | Bhiwadi | 47 | 449.61 | 6185 | 2 |
| 9 | Bikaner | 2 | 11.41 | 126 | 2 |
| 10 | Bundi | 4 | 80.33 | 247 | 0 |
| 11 | Chittorgarh | 5 | 43.21 | 288 | 0 |
| 12 | Churu | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 13 | Dausa | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 14 | Dholpur | 9 | 47.79 | 265 | 1 |
| 15 | Dungarpur | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 16 | Hanumangarh | 1 | 6.50 | 96 | 0 |
| 17 | Jaipur(Rural) | 18 | 150.35 | 2243 | 1 |
| 18 | Jaipur(Urban) | 14 | 61.98 | 2666 | 0 |
| 19 | Jaisalmer | 2 | 8 | 135 | 0 |
| 20 | Jalore | 2 | 14.59 | 158 | 0 |
| 21 | Jhalawar | 2 | 11.92 | 246 | 0 |
| 22 | Jhunjhunu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jodhpur | 7 | 59.71 | 630 | 1 |
| 24 | Karoli | 2 | 66.57 | 109 | 0 |
| 25 | Kota | 33 | 43678.70 | 5390 | 7 |
| 26 | Nagaur | 2 | 36.12 | 73 | 0 |
| 27 | Pali | 8 | 63.49 | 460 | 0 |
| 28 | Phalodi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Pratapgarh | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 30 | Rajsamand | 3 | 681.07 | 268 | 0 |
| 31 | S.Madhopur | 17 | 66.20 | 370 | 0 |
| 32 | Sikar | 4 | 71.10 | 286 | 0 |
| 33 | Sirohi | 3 | 16.89 | 73 | 0 |
| 34 | SriGanganagar | 1 | 7.01 | 6 | 0 |
| 35 | Tonk | 2 | 28.85 | 130 | 1 |
| 36 | Udaipur | 14 | 105.14 | 1087 | 4 |
| | **G.Total** | **254** | **46106.849** | **25597** | **20** |

# Government of Rajasthan
परिशिष्ट–10

## Office of Commissioner, Industries & Secretary, CSR, Rajasthan
## Udyog Bhawan, Tilak Marg, Jaipur-302005

**OFFICER'S OF HEADQUARTER** EPABX No. 2227727-29,31,33-34; 2227630

| S.No. | NAME | Desig. | Email Address |
|---|---|---|---|
| 1. | Shri Muktanand Agrawal | CI | indraj@rajasthan.gov.in |
| 2. | Shri Avindra Laddha | AD | indrajfo7@rajasthan.gov.in |
| 3. | Shri Sanjeev Saxena | JD | indrajfo8@rajasthan.gov.in |
| 4. | Shri R.K. Ameriya | JD | indrajfo2@rajasthan.gov.in |
| 5. | Shri Y.N. Mathur | JD | indrajfo3@rajasthan.gov.in |
| 6. | Shri S.S. Shah | JD | indrajfo10@rajasthan.gov.in |
| 7. | Shri Yogendra Gurnani | JD | purseplanind@rajasthan.gov.in |
| 8. | Shri C.B. Naval | JD | indrajfo11@rajasthan.gov.in |
| 9. | Shri P.R. Sharma | JD | indrajfo16@rajasthan.gov.in |
| 10. | Shri P.N. Sharma | JD | indrajfo14@rajasthan.gov.in |
| 11. | Shri Sanjay Mamgain | JD | indrajfo1@rajasthan.gov.in |
| 12. | Shri Yugantar Kumar | FA | indrajfo4@rajasthan.gov.in |
| 13. | Shri Rajeev Garg | DD | rajeevgarg.ind@rajasthan.gov.in |
| 14. | Shri Chiranji Lal | DD | indrajfo13@rajasthan.gov.in |
| 15. | Shri Dharmendra Poonia | DD | indrajfo12@rajasthan.gov.in |
| 16. | Smt. Nidhi Sharma | DD | indrajfo9@rajasthan.gov.in |
| 17. | Shri Balendra Singh | DD | csrrajasthan@rajasthan.gov.in |
| 18. | Shri Mahendra Kumar | DLR | indrajfo15@rajasthan.gov.in |
| 19. | Smt. Vaisali Pathak | SLO | indrajfo15@rajasthan.gov.in |
| 20. | Shri Manoj Bansal | ACP | manojbansaldoit@rajasthan.gov.in |
| 21. | Smt. Bharti Meena | AO | indrajfo4@rajasthan.gov.in |
| 22. | Smt. Shalini Sharma | AO | indrajfo4@rajasthan.gov.in |
| 23. | Shri Sitaram Dukya | AAO-I | indrajfo4@rajasthan.gov.in |
| 24. | Shri Mangalram Meena | AAO-I | indrajfo4@rajasthan.gov.in |
| 25. | Shri Badriprasad Meena | S.O. | purseplanind@rajasthan.gov.in |
| 26. | Shri Rasmikant Nagar | ADI | rashmikantnagar.ind@ rajasthan.gov.in |
| 27. | Shri Geet Goswami | ADI | - |
| 28. | Smt. Savita Kejriwal | ADI | savitakejriwal.ind@ rajasthan.gov.in |
| 29. | Shri Rajendra Kr. Gupta | ADI | rgupta.ind@rajasthan.gov.in |
| 30. | Shri Anil Kumar Jain | ADI | aniljain.ind@rajasthan.gov.in |
| 31. | Smt. Anju Gupta | ADI | anjugupta.ind@rajasthan.gov.in |
| 32. | Shri Rajesh Kr. Saxena | DIO | - |
| 33. | Smt. Vandana Varma | DIO | vandanavarma.ind@rajasthan.gov.in |

# Office of Commissioner Industries & Special Secretary, CSR, Rajasthan

**Udyog Bhawan, Tilak Marg, Jaipur-302005**

**EPABX No. 2227727-29, 31, 33-34; 2227630 Fax No. 2227516; 5106748**


## GENERAL MANAGERS OF THE DICs

| *S. N.* | *District* | *Name of General Managers* | *Post* | *STD Code* | *Tel.* | | *Mobile* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | *(O)* | *(R)* | |
| 1. | Ajmer | Dr. Ravish Kumar Sharma | DD | 0145 | 2970791 | 2641335 | 94134-19739 |
| 2. | Alwar | Shri Meghram Meena | DD | 0144 | 2700268 | 2700641 | 94142-50241 |
| 3. | Banswara | Smt. Manju Mali | ADI | 02962 | 242798 | 242758 | 90018-35901 |
| 4. | Baran | Shri Tarachand Jain | ADI | 07453 | 237067 | 230538 | 94132-13816 |
| 5. | Barmer | Shri S.R. Devasi | DIO | 02982 | 220320 | 220619 | 94135-21219 |
| 6. | Bharatpur | Shri B.L. Meena | JD | 05644 | 222422 | 222524 | 94143-64625 |
| 7. | Bhilwara | Shri Vipul Jani | JD | 01482 | 240906 | 220177 | 94137-50330 |
| 8. | Bhiwadi | Shri Sitaram | JD | 01493 | 222393 | 223949 | 94140-43901 |
| 9. | Bikaner | Smt. Manju Nain | DD | 0151 | 2200325 | 2201916 | 94140-83505 |
| 10. | Bundi | Smt. Ranjana Yadav | DD | 0747 | 2456813 | 2457701 | 97729-71693 |
| 11. | Chittorgarh | Shri Rahul Dev Singh | ADI | 01472 | 256073 | 244622 | 99820-13376 |
| 12. | Churu | Shri Yogesh Kumar Sharma | DIO | 01562 | 250936 | 250423 | 94147-77059 |
| 13. | Dausa | Smt. Shilpa Gokhuru | DD | 01427 | 224430 | 224250 | 94145-91294 |
| 14. | Dholpur | Shri Krishna Avatar Sharma | ADI | 05642 | 220866 | 220766 | 81144-26869 |
| 15. | Dungarpur | Shri Hitesh Kumar Joshi | DD | 02964 | 232375 | 230375 | 94134-54808 |
| 16. | Hanumangarh | Shri Akashdeep Siddhu | ADI | 01552 | 260114 | 261906 | 94616-77969 |
| 17. | Jaipur (Urban) | Shri D.D. Meena | JD | 0141 | 2227943 | 2784843 | 97991-57449 |
| 18. | Jaipur (Rural) | Shri Subhash Sharma | DD | 0141 | 2227289 | – | 99281-57032 |
| 19. | Jaisalmer | Shri Harish Kumar Vyas | ADI | 02992 | 252273 | – | 94137-84535 |
| 20. | Jalore | Shri Bhanu Pratap Singh | DIO | 02973 | 222381 | 232503 | 97849-88457 |
| 21. | Jhalawar | Shri Rajesh Kumar Tyagi | ADI | 07432 | 231196 | – | 94135-54700 |
| 22. | Jhunjhunu | Shri Nanu Ram | ADI | 01592 | 250013 | 230761 | 94145-41261 |
| 23. | Jodhpur | Shri S.L. Paliwal | JD | 0291 | 2431937 | 2636256 | 81070-99201 |
| 24. | Karauli | Shri K.K. Meena | DD | 07464 | 215405 | 215396 | 98879-28290 |
| 25. | Kota | Shri Rajendra Kumar Sethia | JD | 0744 | 2363129 | 2423270 | 94145-09906 |
| 26. | Nagaur | Shri Susheel Kumar Chabra | DD | 01582 | 240871 | 240860 | 99832-84485 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. | Pali | Shri S.R. Ali | DD | 02932 | 230213 | 222562 | 98293-00511 |
| 28. | Phalodi | Smt. Anjula Asdeo | ADI | 02925 | 222065 | – | 95889-56772 |
| 29. | Pratapgarh | Shri Bhagwan Das | DIO | 01478 | 220074 | 220075 | 94140-35396 |
| 30. | Rajsamand | Shri Sahiram | ADI | 02952 | 221382 | 221380 | 99294-32929 |
| 31. | Sawai Madhopur | Shri Chandra Mohan Gupta | DD | 07462 | 220481 | 221963 | 94144-16212 |
| 32. | Sikar | Shri Dharmendra Kumar Sharma | DD | 01572 | 245434 | 250879 | 97835-03777 |
| 33. | Sirohi | Shri Bhanu Pratap Singh (Addl. Charge) | DIO | 02972 | 222375 | 232508 | 97849-88457 |
| 34. | Sri Ganganagar | Shri Harish Mittal | ADI | 0154 | 2440164 | 2476165 | 94623-32132 |
| 35. | Tonk | Shri Shailendra Sharma | DD | 01432 | 247328 | 247353 | 84323-77746 |
| 36. | Udaipur | Smt. Aruna Sharma | JD | 0294 | 2490941 | 2460381 | 98282-56647 |
| | **Sub-Centres** | | | | | | |
| 1. | Abu Road | Vacant | | 02974 | 226086 | … | |
| 2. | Balotra | Vacant | | 02988 | 222006 | … | |
| 3. | Beawar | Vacant | | 01462 | 250121 | … | |
| 4. | Falna | Shri S.R. Ali | DD | 02938 | 233406 | … | 98293-00511 |
| 5. | Kishangarh | Vacant | | 01463 | 250685 | … | |
| 6. | Makrana | Vacant | | 01588 | 241410 | … | |
| 7. | Neemrana | Vacant | | 01494 | ... | … | |
| 8. | Sujangarh | Vacant | | 01568 | 220134 | … | |

# DISTRICT INDUSTRIES CENTRE (DICs)

| *S. N.* | *District* | *Address* | *Email* |
|---|---|---|---|
| **1.** | **Ajmer** | General Manager<br>District Industries Centre<br>Near RPSC Building, Jaipur Road<br>Ajmer-305001 | dicajmer@rajasthan.gov.in |
| **2.** | **Alwar** | General Manager<br>District Industries Centre<br>Moti Dungri RoadNear Bhawani Tope Circle<br>Alwar-301001 | dicalwar@rajasthan.gov.in |
| **3.** | **Banswara** | General Manager<br>District Industries Centre<br>Opp. Nehru Yuva Kendra,<br>Ambedkar Circle, Dialab Road<br>Banswara-327001 | dicbanswara@rajasthan.gov.in |
| **4.** | **Baran** | General Manager<br>District Industries Centre<br>Collectrate Parisar, Kota Road<br>Baran-325205 | dicbaran@rajasthan.gov.in |
| **5.** | **Barmer** | General Manager<br>District Industries Centre<br>Krishi Mandi Road<br>Near Punjab National Bank, IndustrialArea<br>Barmer-344001 | dicbarmer@rajasthan.gov.in |
| **6.** | **Bharatpur** | General Manager<br>District Industries Centre<br>Kendriya Vidhyalaya Ke Paas, RIICO Road<br>Bharatpur-321001 | dicbharatpur@rajasthan.gov.in |

| *S. N.* | *District* | *Address* | *Email* |
|---|---|---|---|
| **7.** | **Bhilwara** | General Manager<br>District Industries Centre<br>Near Pansal Choraha, Pur Road<br>Bhilwara-311001 | dicbhilwara@rajasthan.gov.in |
| **8.** | **Bhiwadi** | General Manager<br>District Industries CentreRIICO Chowk<br>Bhiwadi-301019 | dicbhiwadi@rajasthan.gov.in |
| **9.** | **Bikaner** | General Manager<br>District Industries Centre<br>Chopra Katla, Rani Bazar<br>Bikaner-334001 | dicbikaner@rajasthan.gov.in |
| **10.** | **Bundi** | General Manager<br>District Industries Centre ,P-9, Nainva Road<br>Bundi-323001 | dicbundi@rajasthan.gov.in |
| **11.** | **Chittorgarh** | General Manager<br>District Industries Centre<br>IndustrialArea, Chanderia<br>Chittorgarh | dicchittorgarh@rajasthan.gov.in |
| **12.** | **Churu** | General Manager<br>District Industries Centre<br>Near Churu Collectorate<br>Churu-331001 | dicchuru@rajasthan.gov.in |
| **13.** | **Dausa** | General Manager<br>District Industries Centre<br>Collectorate Crossing, Bypass<br>Dausa-303303 | dicdausa@rajasthan.gov.in |
| **14.** | **Dholpur** | General Manager<br>District Industries Centre<br>Opp. S.P. Office<br>New Collectorate<br>Dholpur-328001 | dicdholpur@rajasthan.gov.in |

| S. N. | District | Address | Email |
|---|---|---|---|
| **15.** | **Dungarpur** | General Manager<br>District Industries Centre<br>RIICO IndustrialArea<br>Dungarpur-314001 | dicdungarpur@rajasthan.gov.in |
| **16.** | **Hanumangarh** | General Manager<br>District Industries Centre<br>Near Old Collectorate,<br>Hanumangarh Junction-335512 | dichanumangarh@rajasthan.gov.in |
| **17.** | **Jaipur (Urban)** | General Manager<br>District Industries Centre, Jaipur (Urban)<br>Udyog Bhawan, Tilak Marg, C-Scheme<br>Jaipur-302005 | dicjprurban@rajasthan.gov.in |
| **18.** | **Jaipur (Rural)** | General Manager<br>District Industries Centre, Jaipur (Rural)<br>Udyog Bhawan, Tilak Marg, C-Scheme<br>Jaipur-302005 | dicjprrural@rajasthan.gov.in |
| **19.** | **Jaisalmer** | General Manager<br>District Industries Centre<br>Near Hotel Dhola Maru, Jethwai Road<br>Jaisalmer-345001 | dicjaisalmer@rajasthan.gov.in |
| **20.** | **Jalore** | General Manager<br>District Industries Centre<br>IndustrialArea Ist Phase, Bagora Road<br>Jalore-343001 | dicjalore@rajasthan.gov.in |
| **21.** | **Jhalawar** | General Manager<br>District Industries Centre<br>Kota Road<br>Jhalawar-326001 | dicjhalawar@rajasthan.gov.in |

| *S. N.* | *District* | *Address* | *Email* |
|---|---|---|---|
| **22.** | **Jhunjhunu** | General Manager<br>District Industries Centre<br>RIICO IndustrialArea<br>Jhunjhunu-333001 | dicjhunjhunu@rajasthan.gov.in |
| **23.** | **Jodhpur** | General Manager<br>District Industries Centre<br>Udhyog Bhawan, New Power House Road<br>Industrial EstateJodhpur-342003 | dicjodhpur@rajasthan.gov.in |
| **24.** | **Karauli** | General Manager<br>District Industries Centre<br>RIICO IndustrialArea, Gadka Ki Chowki<br>Karauli | dickarauli@rajasthan.gov.in |
| **25.** | **Kota** | General Manager<br>District Industries Centre<br>D.C.M. Road, Industrial Estate,Kota-324007 | dickota@rajasthan.gov.in |
| **26.** | **Nagaur** | General Manager<br>District Industries Centre<br>IndustrialArea, Basni Road<br>Nagaur-341001 | dicnagaur@rajasthan.gov.in |
| **27.** | **Pali** | General Manager<br>District Industries Centre<br>IndustrialArea, Mandia Road<br>Pali-306401 | dicpali@rajasthan.gov.in |
| **28.** | **Phalodi** | General Manager<br>District Industries Centre<br>Plot No.A/62, RIICO Residential Colony<br>Phalodi (Distt. Jodhpur) | dicphalodi@rajasthan.gov.in |

| *S. N.* | *District* | *Address* | *Email* |
|---|---|---|---|
| **29.** | **Pratapgarh** | General Manager<br>District Industries Centre<br>Room No. 138, Mini Secretariat (District Collectorate)<br>Dhariawad Road,Pratapgarh-312605 | dicpratapgarh@rajasthan.gov.in |
| **30.** | **Rajsamand** | General Manager<br>District Industries Centre<br>Collectorate Campus, Near Tehsil Office<br>Rajsamand-313326 | dicrajsamand@rajasthan.gov.in |
| **31.** | **Sawai Madhopur** | General Manager<br>District Industries Centre<br>Collectorate Road, M.P. Colony<br>Sawai Madhopur-322001 | dicsawaimadhopur@rajasthan.gov.in |
| **32.** | **Sikar** | General Manager<br>District Industries Centre<br>RIICO IndustrialArea, Jaipur Road<br>Sikar-332001 | dicsikar@rajasthan.gov.in |
| **33.** | **Sirohi** | General Manager<br>District Industries Centre<br>National Highway No.14,<br>Near Sanjeevni Hospital<br>Sirohi-307001 | dicsirohi@rajasthan.gov.in |
| **34.** | **Sri Ganganagar** | General Manager<br>District Industries Centre<br>Industrial Estate, Near Police Line,<br>Sri Ganganagar-335001 | dicsriganganagar@rajasthan.gov.in |

| *S. N.* | *District* | *Address* | *Email* |
|---|---|---|---|
| **35.** | **Tonk** | General Manager<br>District Industries Centre<br>Near Sindhi Colony, Jaipur Road<br>Tonk-304001 | dictonk@rajasthan.gov.in |
| **36.** | **Udaipur** | General Manager<br>District Industries Centre<br>Mewar IndustrialArea, Madri<br>Udaipur-313003 | dicudaipur@rajasthan.gov.in |

।। नास्ति उद्यमः समो बंधुः ।।

मुद्रकः राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि. जयपुर